सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2023-2024

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

cgpdtm_india | IPO CGPDTM India | ipindia_cgpdtm_official | CGPDTM | Cgpdtm IPO India

वार्षिक प्रतिवेदन

2023-24

बौद्धिक संपदा
भारत
एकस्व/अभिकल्प/व्यापार चिह्न
भौगोलिक उपदर्शन

विषय सूची

अध्याय	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	
अध्याय I	बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रवृत्ति - एक झलक	1-7
अध्याय II	सार्वजनिक सेवा वितरण - दक्षता एवं पारदर्शिता	8-15
अध्याय III	पेटेंट	16-40
अध्याय IV	पेटेंट सहयोग संधि	41-46
अध्याय V	डिजाइन	47-66
अध्याय VI	व्यापार चिह्न	67-79
अध्याय VII	चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मेड्रिड प्रणाली	80-84
अध्याय VIII	भौगोलिक उपदर्शन	85-91
अध्याय IX	प्रतिलिप्यधिकार	92-96
अध्याय X	अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री	97-98
अध्याय XI	राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) तथा पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)	99-113
अध्याय XII	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	114-127
अध्याय XIII	प्रशिक्षण कार्यक्रम और आउटरीच गतिविधि	128-154
अध्याय XIV	मानव संसाधन	155-161

बौद्धिक संपदा (आईपी) भारत की आर्थिक संवृद्धि, तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक मजबूत और कुशल आईपी पारितंत्र नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ निवेश आकर्षित करता है और व्यवसायों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों को सशक्त बनाता है। कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम), बौद्धिक संपदा पारितंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रतिबद्धता से कार्य करता है कि बौद्धिक संपदा की ससमय सुरक्षा सुनिश्चित हो और आईपी सेवाओं तक आम जन की पहुंच सुलभ हो।

यह वार्षिक प्रतिवेदन सीजीपीडीटीएम के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष पर प्रकाश डालती है, जो पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन में अभूतपूर्व फाइलिंग और अनुदान द्वारा रेखांकित होता है। ये उपलब्धियां सुव्यवस्थित परीक्षण प्रक्रियाओं, कम लंबित मामलों और डिजिटल परिवर्तन प्रयासों द्वारा संचालित बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में बढ़ती जागरूकता और इसे अपनाने के संकल्प को दर्शाती है।

हम विकसित भारत 2047 के संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें बौद्धिक संपदा की एक सुदृढ़ व्यवस्था, फार्मास्यूटिकल्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्टता और आत्मनिर्भरता के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी। सीजीपीडीटीएम एक समावेशी, कुशल और नवाचार-संचालित बौद्धिक संपदा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है जो भारत की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए रचनाकारों और व्यवसायों के अधिकारों की रक्षा करती है।

हम सभी हितधारकों के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं और भारत के बौद्धिक संपदा परिदृश्य को मजबूत करने में निरंतर सहयोग की आशा करते हैं।

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में कुल दाखिल आवेदनों की संख्या और प्रसंस्करण पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा है जिसका विवरण इस प्रकार है:

क. बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में कुल दाखिल आवेदनों की संख्या 2022-23 में 601789 से बढ़कर 2023-24 में 635508 हो गई है, जो 5.6% की समग्र वृद्धि दर्शाती है।

ख. पेटेंट आवेदन दाखिल करने की संख्या में 11.29% की वृद्धि हुई, जो 2022-23 में 80211 से बढ़कर 2023-24 में 92168 हो गई।

ग. पिछले वर्ष की तुलना में पेटेंट आवेदनों के लिए अनुदानित पेटेंट की संख्या 34134 से बढ़कर इस वर्ष 103057 हो गई जो 201.91% की अप्रत्याशित वृद्धि दर्शाती है।

घ. डिजाइन में, दाखिल आवेदन की संख्या 2022-23 में 22698 से 2023-24 में 30389 हो गई है जो 33.88% की वृद्धि दर्शाती है।

ङ. दाखिल व्यापार चिह्न आवेदन 2022-23 में 466580 से बढ़कर 2023-24 में 476089 आवेदन हो गए हैं।

च. भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण भी 2022-23 में 55 की तुलना में 2023-24 में 160 हो गया है जिसमें 190.90% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है।

कम से कम 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता प्रदान करने के लिए सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा वर्ष 2021 में शुरू किए गए निपम (राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन) को जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई है, जिसने कार्यालय को अपना दूसरा संस्करण शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अपने नए अवतार में निपम 2.0 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और पीएफसी-टीआईएफएसी जैसे विभिन्न भागीदारों से समर्थन मिला है। 31 मार्च, 2024 तक, देश भर में 22 लाख छात्रों और संकाय सदस्यों को बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूक किया जा चुका है।

सीजीपीडीटीएम कार्यालय की एक अन्य पहल आईपी मंथन है जिसमें विशेषज्ञता के विविध क्षेत्रों से बौद्धिक संपदा समाज के बीच विभिन्न बौद्धिक संपदा-संबंधित विषयों पर चर्चाओं की एक श्रृंखला शामिल है। इस पहल के तहत, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, बौद्धिक संपदा पेशेवरों, उद्योग विशेषज्ञों और न्यायपालिका के व्यक्तियों को विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

महानियंत्रक कार्यालय ने विभिन्न बौद्धिक संपदा संबंधित मामलों पर हितधारकों के साथ निर्बाध और सीधे संचार के लिए माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप ओपन हाउस चर्चा भी शुरू की है। यह हितधारकों की शिकायतों को दूर करने और भारत में बौद्धिक संपदा कार्यालयों के कामकाज पर उनकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने में मददगार साबित हुआ है।

वर्ष 2023-24 के दौरान की गई गतिविधियों का विवरण इस रिपोर्ट के बाद के अध्यायों में दिया गया है। अद्यतन बौद्धिक संपदा कानून, विभिन्न कार्यों की मुख्य विशेषताएं और अन्य उपयोगी जानकारी हमारे शासकीय वेबसाइट (http:/www.ipindia.gov.in) पर भी उपलब्ध है। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, पारदर्शी और आवेदक-अनुकूल तरीके से सेवाएं प्रदान करके अपनी सार्वजनिक सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित

महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न

बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रवृत्ति - एक झलक

परिचय

बौद्धिक संपदा पारितंत्र के उन्नयन और इसके साथ **विकसित भारत** के निर्माण हेतु ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रचनात्मकता और नवाचार परम आवश्यक हैं। विकसित भारत के लिए बौद्धिक संपदा संचालित - रचनात्मकता और नवाचार पारितंत्र के विकास पर बल देने का उद्देश्य यह है कि सभी के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के लाभ को प्रोत्साहित किया जाए। इसका लक्ष्य एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करना है जिसमें बौद्धिक संपदा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता संसाधनों और डिजाइन में उन्नति को प्रोत्साहित करता है और हमारे देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थायी समाधान विकसित करता है। वह विकसित भारत जहां ज्ञान विकास अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रेरक है, जहां अपने ज्ञान को दूसरों से साझा करके बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान अर्जित किया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) आवेदनों की बढ़ती प्रवृत्ति विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ रचनात्मकता और नवाचार की बढ़ती मान्यता को उजागर करती है जहां विभिन्न बौद्धिक संपदा आवेदनों में कुल मिलाकर 5.63% की वृद्धि हुई है। पेटेंट आवेदनों में 11.29% की वृद्धि हुई है, जिसमें घरेलू आवेदनों की संख्या 55.96% है, जो बढ़ी हुई अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को दर्शाता है। औद्योगिक उत्पादों में सौंदर्य और कार्यात्मक सुरक्षा की आवश्यकता डिजाइन पंजीकरण में 33.87% की वृद्धि से समझा जा सकता है। व्यापार चिह्न आवेदनों का व्यापक प्रसार जारी है; 2014 से 2023 तक परीक्षित व्यापार चिह्न की संख्या में लगभग 355.49% की वृद्धि हुई है। भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) पंजीकरण लगातार प्रगति कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय उत्पादों की विशिष्ट पहचान संरक्षित हो रही है। प्रतिलिप्यधिकार फाइलिंग में 24.6% की वृद्धि हुई, जिसने अर्थव्यवस्था में रचनात्मक कार्यों के मूल्य को पुनर्स्थापित किया है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और कॉपीराइट देने का समग्र रुझान एक विस्तारित बौद्धिक संपदा पारितंत्र की ओर इशारा करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार-संबंधित गतिविधियों से राजस्व में 14.15% की वृद्धि के साथ, मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है, निवेश आकर्षित कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। आवेदन प्रसंस्करण और नीति सुधारों में दक्षता एक मजबूत बौद्धिक संपदा ढांचा सुनिश्चित करती है, जो वैश्विक स्तर पर नवाचार और प्रतिस्पर्धा को और मजबूत करती है।

महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बौद्धिक संपदा कार्यालयों में विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण के लिए आवेदन दाखिल करने में पिछले कुछ वर्षों से लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इस वर्ष, विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए कुल (635508) आवेदन दाखिल किए गए जो पिछले वर्ष (601789) की तुलना में अधिक रही है, जो 5.6% की समग्र वृद्धि दर्शाती है। पिछले पांच वर्षों की तुलना में इस वर्ष पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट और भौगोलिक उपदर्शन के लिए आवेदन दाखिल करने में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।

पिछले पाँच वर्षों में आईपी आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति

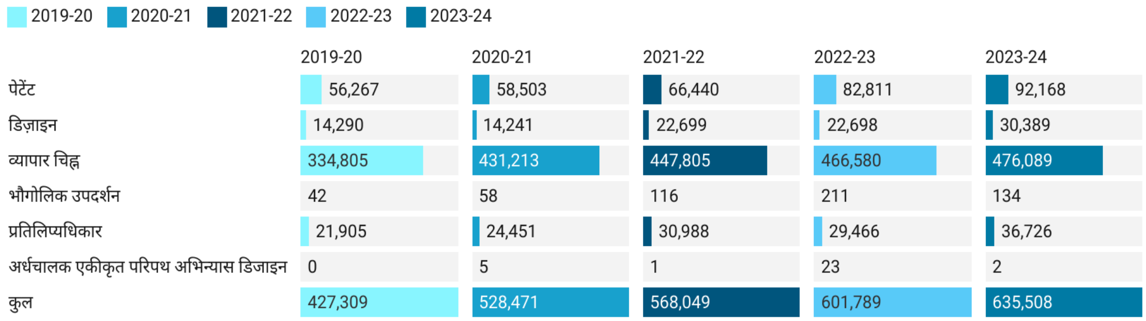

आवेदन	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पेटेंट	56267	58503	66440	82811	**92168**
डिजाइन	14290	14241	22699	22698	**30389**
व्यापार चिह्न	334805	431213	447805	466580	**476089**
भौगोलिक उपदर्शन	42	58	116	211	**134**
प्रतिलिप्यधिकार	21905	24451	30988	29466	**36726**
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एससीआईएलडी)	शून्य	05	01	23	**2**
कुल	427309	528471	568049	601789	**635508**

बौद्धिक संपदा गतिविधियों के संबंध में प्रवृत्ति:

1. पेटेंट: इस वर्ष के दौरान, कुल 92168 पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 11.29% की वृद्धि दर्शाता है। पेटेंट आवेदनों की घरेलू फाइलिंग भी बढ़कर 51574 हो गई है, जो कुल आवेदन का 55.96% है जबकि 2022-23 में दाखिल 43301 आवेदन उस वर्ष के लिए 52.29% थे।

दाखिल, परीक्षित, अनुदानित तथा निपटान किए गए पेटेंट आवेदनों के संदर्भ में पिछले पांच वर्षों की प्रवृत्ति निम्नवत है। आवेदनों के निपटान में पेटेंट कार्यालय द्वारा अनुदानित व अस्वीकृत तथा आवेदकों द्वारा परित्यक्त तथा आहरित आवेदन शामिल है।

पेटेंट आवेदनों की प्रवृत्ति

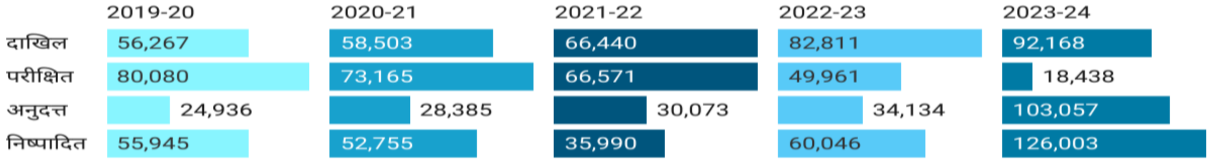

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दाखिल	56267	58503	66440	82811	**92168**
परीक्षित	80080	73165	66571	49961	**18438**
अनुदानित	24936	28385	30073	34134	**103057**
निपटान	55945	52755	35990*	60046	**126003**

*भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीमा की निर्धारित अवधि के विस्तार के कारण धारा 21(1) के तहत 15991 आवेदनों का निपटान स्थगित कर दिया गया था।

2. डिज़ाइन: इस वर्ष के दौरान, कुल 30389 डिज़ाइन आवेदन दाखिल किए गए जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 33.88% की वृद्धि दर्शाते हैं। परीक्षित डिज़ाइन आवेदनों की संख्या 29635 थी, जबकि विगत वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान डिज़ाइन आवेदनों के पंजीकरण और निपटान में क्रमशः 31.06% और 37.80% की वृद्धि हुई।

डिज़ाइन आवेदनों की प्रवृत्ति

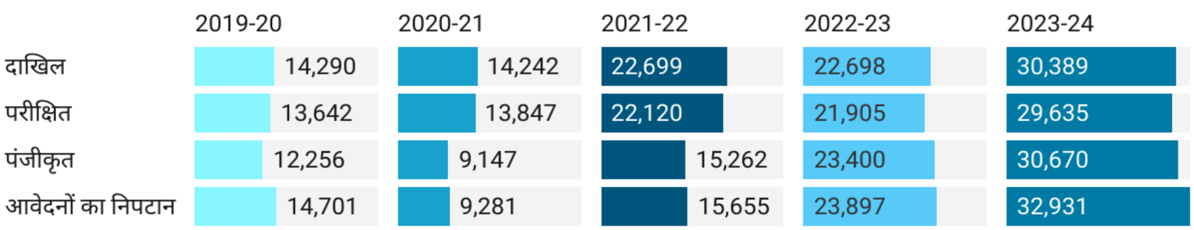

डिज़ाइन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दाखिल	14290	14242	22699	22698	**30389**
परीक्षित	13642	13847	22120	21905	**29635**
पंजीकृत	12256	9147	15262	23400	**30670**
निपटान	14701	9281	15655	23897	**32931**

3. व्यापार चिह्न : इस वर्ष के दौरान, व्यापार चिह्न के 476089 आवेदन पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए और 721944 आवेदनों का परीक्षण किया गया। । 2023-24 के दौरान व्यापार चिह्न पंजीकरण और निपटान की संख्या विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 20.58% और 48.46% की वृद्धि हुई।

व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

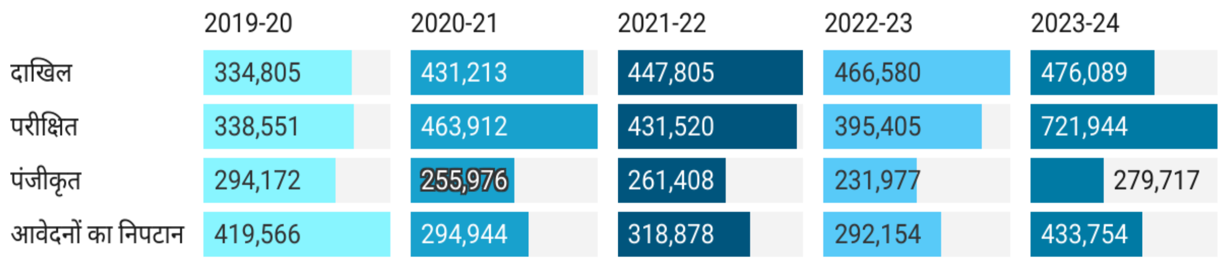

व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दाखिल	334805	431213	447805	466580	**476089**
परीक्षित	338551	463912	431520	395405	**721944**
पंजीकृत	294172	255976	261408	231977	**279717**
निपटान	419566	294944	318878	292154	**433754**

4. भौगोलिक उपदर्शन : - प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, 134 आवेदन दाखिल किए गए, 98 आवेदन परीक्षित किए गए और 160 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए। विगत पांच वर्षों के दौरान दाखिल, परीक्षित और पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति निम्नवत है-

भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति

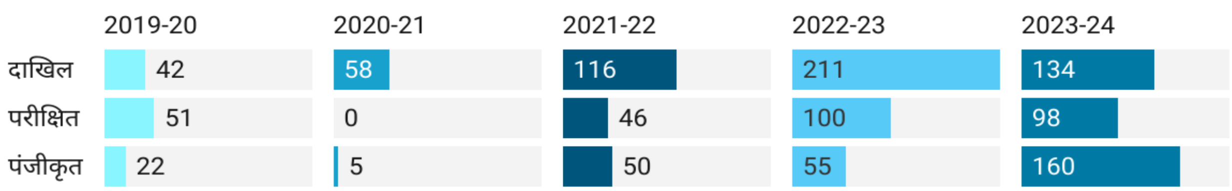

भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दाखिल	42	58	116	211	**134**
परीक्षित	51	0	46	100	**98**
पंजीकृत	22	05	50	55	**160**

5. प्रतिलिप्यधिकार: वर्ष के दौरान प्रतिलिप्यधिकार पंजीकरण हेतु कुल 36726 आवेदन प्राप्त हुए। कुल 56260 आवेदनों का परीक्षण किया गया और 38002 प्रतिलिप्यधिकार पंजीकरण (आरओसी) किए गए, जबकि निपटान किए गए कुल आवेदनों की संख्या 45730 रही।

प्रतिलिप्यधिकार आवेदनों की प्रवृत्ति

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल प्राप्त आवेदन	21,905	24,451	30,988	29,466	36,726
कुल परीक्षित आवेदन	29,670	21,523	29,106	24,896	56,260
कॉपीराइट का रजिस्टर (आरओसी) तैयार किया गया	16,029	16,399	20,673	12,082	38,002
कुल निष्पादित	22,516	19,477	20,820	21,171	45,730

प्रतिलिप्यधिकार आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल परीक्षित आवेदन	उत्पन्न किए गए प्रतिलिप्यधिकार पंजीकरण (आरओसी)	कुल निपटान
2019-20	21905	29670	16029	22516
2020-21	24451	21523	16399	19477
2021-22	30988	29106	20673	20820
2022-23	29466	24896	12082	21171
2023-24	**36726**	**56260**	**38002**	**45730**

अनुदानित/पंजीकृत बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रवृत्ति: विगत 5 वर्षों के दौरान अनुदानित/पंजीकृत बौद्धिक संपदा अधिकार की तुलनात्मक प्रवृत्ति निम्नवत है। कोष्ठक में प्रदत्त आंकड़े आवेदनों के कुल निपटान को इंगित करते हैं।

अनुदानित/पंजीकृत बौद्धिक संपदा अधिकार की तुलनात्मक प्रवृत्ति (और निपटान किए गए)

आईपीआर /वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पेटेंट	24936 (55945)	28385 (52755)	30073 (35990)	34134 (60046)	**103057 (126003)**
डिज़ाइन	12256 (14701)	9147 (9281)	15262 (15655)	23400 (23897)	**30670 (32931)**
व्यापार चिह्न	294172 (419566)	255976 (294944)	261408 (318878)	231977 (292154)	**279717 (433754)**
भौगोलिक उपदर्शन	22	05	50	55	**160**
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन (एससीआईएलडी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	**07 (15)**
प्रतिलिप्यधिकार	16029 (22516)	16399 (19477)	20673 (20820)	12082 (21171)	**38002 (45730)**

प्रकाशन और अनुदान-पूर्व विरोध :

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पेटेंट अधिनियम,1970 की धारा 11क के तहत 108142 पेटेंट आवेदन प्रकाशित किए गए तथा धारा 25(1) के तहत 366 अनुदान-पूर्व विरोध दाखिल हुए जो कुल प्रकाशित आवेदनों का लगभग 0.33% है। प्रकाशित तथा अनुदान-पूर्व विरोध के लिए दाखिल आवेदनों का ब्यौरा निम्नवत है:

प्रकाशन और अनुदान-पूर्व विरोध

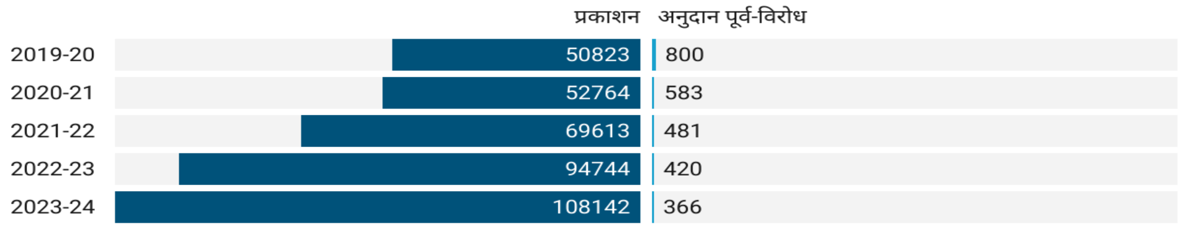

प्रकाशन और अनुदान-पूर्व विरोध

वर्ष	प्रकाशन	अनुदान – पूर्व विरोध
2019-20	50823	800
2020-21	52764	583
2021-22	69613	481
2022-23	94744	420
2023-24	**108142**	**366**

राजस्व और व्यय: वर्ष 2023-24 के दौरान अर्जित कुल राजस्व रु. 1352.81 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 14.15% अधिक है, जबकि कुल व्यय रु. 276.76 करोड़ था।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अर्जित कुल राजस्व रु. 913.97 करोड़ था (इसमें आईबी द्वारा आईएसए फीस के रूप में रु. 0.51675 करोड़ शामिल हैं), जबकि डिजाइन कार्यालय से रु. 9.70 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु. 425.46 करोड़ का राजस्व अर्जित किया (इसमें आईबी से मेड्रिड प्रणाली के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु फीस के रूप में रु. 38.53 करोड़ शामिल है), जबकि प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय ने रु. 3.45 करोड़ और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने रु. 0.11 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) और राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) ने रु. 0.12 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए बौद्धिक संपदा (आई पी) प्रशासन के संबंध में प्राप्त राजस्व और किए गए व्यय का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है:

राजस्व की तुलना (रुपए लाख में)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पेटेंट	62384.00	66749.31	72910.76	**91397.00**
डिज़ाइन	655.00	769.12	852.80	**970.63**
व्यापार चिह्न रजिस्ट्री	39671.00	41776.58	44465.09	**42546.47**
प्रतिलिप्यधिकार	248.81	323.85	241.07	**345.00**
भौगोलिक उपदर्शन	5.00	8.35	13.68	**11.9**
पीआईएस/ आरजीएनआईआईपीएम	12.35	20.48	20.66	**12.00**
कुल	**102727.00**	**109323.84**	**118504.05**	**135281.00**

धन वापसी के प्रावधान के प्रारंभ होने के उपरांत पिछले चार वर्षों के दौरान पेटेंट नियम के नियम 7 (4क) के तहत **परीक्षण हेतु अनुरोध की फीस वापसी का विवरण** इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वापस की गई राशि **(रु. लाख में)**	145.61	182.93	23.542	**63.48**

वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न के लिए आबंटित बजट के व्यय की तुलना:

(रु. लाख में)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सीजीपीडीटीएम	**20157.68**	**20407.35**	**25205.09**	**27676.49**

....

सार्वजनिक सेवा वितरण-दक्षता एवं पारदर्शिता

महानियंत्रक कार्यालय का लक्ष्य है भारत में कुशल बौद्धिक संपदा व्यवहार प्रस्तुत करना और इसे बढ़ावा देना। कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प तथा व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) ने देश में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पारितंत्र को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें बौद्धिक संपदा आवेदनों को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक संपदा कानूनों में संशोधन, कुशल और कागज-रहित सेवा वितरण प्रणाली को अपनाना और वर्ष 2023-24 के दौरान जनता के बीच बौद्धिक संपदा (आईपी) ज्ञान का प्रसार करना शामिल है। निम्नलिखित परिच्छेद वर्ष के दौरान की गई विभिन्न पहलों की एक झलक प्रस्तुत करते हैं:

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) जैसी पहलों ने पहुंच को व्यापक बनाया है, जिससे लाखों लोगों को बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया है। मजबूत साइबर सुरक्षा, क्लाउड माइग्रेशन और बेहतर केस निपटान ने समग्र प्रणाली दक्षता को बढ़ाया है। कार्यालय ने राजस्व में 14.15% की वृद्धि देखी, इन सुधारों ने बौद्धिक संपदा पारितंत्र को मजबूत किया है, नवाचार को बढ़ावा दिया है और अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण का सृजन किया है।

1. पेटेंट:

1.1 प्रक्रियात्मक सुधार

पेटेंट कार्यालय पारदर्शी तरीके से पेटेंट सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और उचित अवधि में पेटेंट अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। वर्ष के दौरान, सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने पेटेंट कार्यालय के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए:

पेटेंट संशोधन नियम 2024:

- पेटेंट किए गए आविष्कारों में आविष्कारकों के योगदान को मान्यता देने के लिए ***'आविष्कारकर्ता का प्रमाणपत्र'*** की शुरूआत।
- धारा 31 के तहत विशेष रूप से सार्वजनिक प्रदर्शन द्वारा प्रत्याशा के मामलों के लिए अनुग्रह अवधि का लाभ उठाने के लिए एक नया फॉर्म पेश किया गया।
- विदेशी फाइलिंग विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का सरलीकरण।
- परीक्षा के लिए अनुरोध दाखिल करने की समय सीमा को 48 महीने से घटाकर 31 महीने करना।
- समय सीमा बढ़ाने और देरी को माफ करने के प्रावधानों का सरलीकरण।
- कम से कम 4 वर्षों के लिए अग्रिम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए नवीनीकरण शुल्क में 10% की कमी।
- फॉर्म 27 विवरण दाखिल करने की आवृत्ति को घटाकर हर तीन वित्तीय वर्षों में एक बार करना।
- पेटेंट आवेदनों पर मुकदमा चलाने में अनुदान-पूर्व विरोध के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

अन्य:

- जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से बौद्धिक संपदा कानून अपराधों का गैर-अपराधीकरण और युक्तिकरण।
- बौद्धिक संपदा अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) की स्थापना।

1.2 आईपी जागरूकता

'आजादी का अमृत महोत्सव' के महत्वपूर्ण अवसर पर सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) नामक एक मिशन तैयार किया है जिसका उद्घाटन माननीय सचिव डीपीआईआईटी ने 08 दिसंबर, 2021 को किया। इस मिशन का उद्देश्य 15 अगस्त, 2022 तक कम से कम 10 लाख विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा जागरूकता प्रदान करना है। इस मिशन को जारी रखा गया है और नए सिरे से इसे और मजबूत किया गया है। वर्ष 2023-24 के अंत तक मिशन के तहत सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल लगभग 22 लाख विद्यार्थियों और शिक्षकों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया है।

बौद्धिक संपदा कार्यालय द्वारा बौद्धिक संपदा प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के लिए शैक्षणिक संस्थान द्वारा अनुरोध प्राप्त करने हेतु कार्यालय की वेबसाइट (*https://ipindia.gov.in/*) पर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है।

बौद्धिक संपदा कार्यालय के अधिकारी नियमित रूप से इन कार्यक्रमों में और स्कूलों, विश्वविद्यालयों, प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों में भी संसाधन व्यक्तियों के रूप में भाग लेते हैं।

राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान नियमित रूप से बौद्धिक संपदा कार्यालय के अधिकारियों, बौद्धिक संपदा पेशेवरों, बौद्धिक संपदा प्रबंधकों आदि के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और छात्रों, शिक्षकों, एमएसएमई, स्टार्टअप आदि सहित जनता के लिए या तो अलग से या विधि विश्वविद्यालयों और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) के सहयोग से बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

1.3 आईपीआर चेयर कार्यक्रम

आईपीआर चेयर कार्यक्रम आईपीआर शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है, जबकि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव (आरबीएसएम) आईपीआर के बारे में देश भर में जागरूकता बढ़ाता है।

नागपुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) बौद्धिक संपदा प्रशिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा के लिए उत्कृष्टता के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।

पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान की भागीदारी (किरण) यह एक दशक लंबा कार्यक्रम है जो 27 से 57 वर्ष की महिलाओं को कार्यबल में फिर से शामिल होने में सहायता करता है, जिसमें महिला वैज्ञानिक योजना (डब्ल्यूओएस) शामिल है।

1.4 इन प्रयासों का प्रभाव

प्रतिवेदन अवधि के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। सुधारों की कुछ झलक इस प्रकार है:

- पेटेंट आवेदन दाखिल करने में 11.3% की वृद्धि हुई है, जो 2022-23 के 82811 से बढ़कर 2023-24 में 92168 हो गई है।
- लगातार तीसरे वर्ष भारतीय नागरिकों द्वारा दाखिल पेटेंट आवेदन भारत में विदेशियों द्वारा दाखिल पेटेंट आवेदनों से अधिक रहे हैं।
- पेटेंट अनुदान में 201.91% की वृद्धि हुई है जो 2022-23 के 31234 से बढ़कर 2023-24 में 103057 हो गई है ।

कार्यालय ने भारतीय पेटेंट कार्यालय को अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) और अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में चयनित करते हुए पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत दाखिल लगभग सभी अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदनों के संबंध में उच्च गुणवत्ता वाली अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट (आईएसआर) और (आईपीईआर) जारी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन बनाए रखा है।

बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) के तहत 31 मार्च, 2024 तक देश भर के 8756 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों से 18.62+4.2 (वित्त वर्ष 2023-24) में 22.82 लाख छात्रों और संकाय सदस्यों को बौद्धिक संपदा विषय में जागरूकता प्रदान किया गया है।

2. व्यापार चिह्न:

2.1 प्रक्रियात्मक सुधार:

खोज प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापार चिह्नों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण के लिए ऑनलाइन खोज सुविधा को वर्ष के दौरान अद्यतन किया गया है।

परीक्षण के लिए आवेदनों का आवंटन आवेदन दाखिल करने की तिथि के क्रम में स्वचालित रूप से किया जाता है।

2.2 पंजीकरण के लिए प्रक्रिया का स्वचालन:

पहले की तरह हाथ से पंजीकरण प्रमाणपत्रों के प्रेषण के संबंध में लंबितता से बचने के लिए, व्यापार चिह्न पंजीकरण प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, प्रकाशन के बाद निर्धारित समय पूरा होने के बाद, पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वचालित रूप से संसाधित हो जाते हैं और आवेदकों के निर्दिष्ट ईमेल-आईडी पर भेज दिए जाते हैं। साथ ही ये व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा बनाए गए (टीएमआर) इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में भी अपलोड हो जाते हैं। इस बदलाव से इस स्तर पर लंबित मामलों को एक महीने से भी कम करने में मदद मिली है और आवेदकों को भी काफी मदद मिली है।

नवीनीकरण की प्रक्रिया भी स्वचालित कर दी गई है, जहां (विहित समय में दाखिल) नवीनीकरण अनुरोध प्रक्रियागत होता है और वैधता तारीख अद्यतन किया जाता है।

आधिकारिक वेबसाइट www.ipindia.gov.in पर प्रत्येक सोमवार को टीएमआर जर्नल में दाखिल और पंजीकृत व्यापार चिह्न आवेदनों के विवरण का ऑनलाइन प्रकाशन इस वर्ष के दौरान प्रारंभ कर प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया।

2.3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कारण बताओ आवेदन की सुनवाई:

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने उचित आईटी उपकरणों के उपयोग को सक्षम करके व्यापार चिह्न अनुप्रयोगों के इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण का उपयोग करके समस्या मुक्त निपटान सुनिश्चित करने के लिए परिचालन को सुव्यवस्थित किया है। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में कारण बताओ आवेदनों की सुनवाई के तरीके में आमूलचूल बदलाव आया है। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग द्वारा व्यापार चिह्न अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण को और अधिक सुव्यवस्थित करने और हितधारकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सभी कारण बताओ आवेदनों की सुनवाई पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड पर जारी हैं। अधिकांशतः विरोध, पंजीकरणोत्तर और सुज्ञात आवेदनों की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार चिह्न आवेदन प्रसंस्करण में अधिक दक्षता आई है और हितधारकों को उनकी सुविधा के अनुसार अपने कार्यालय या घर से सुनवाई में शामिल होने का अवसर भी मिला है।

3 डिज़ाइन:

- बेहतर कामकाज की सुविधा के लिए नए और संशोधित डिजाइन अनुप्रयोगों के लिए ई-फाइलिंग सुविधा को उन्नत किया गया।

- डिज़ाइन नियमों में पिछला संशोधन 25 जनवरी, 2021 से लागू हुआ जिसमें 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्राप्त एक नई श्रेणी शामिल की गई जिसे भारतीय इकाई के मामले में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है और विदेशी के मामले में आवेदक एक इकाई जो स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुसार टर्नओवर और निगमन या पंजीकरण की अवधि के मानदंडों को पूरा करती है और उस आशय की घोषणा प्रस्तुत करती है।
- इसके अलावा डिजाइन नियमों के नियम 10 के तहत उप-नियम (1) को प्रतिस्थापित किया गया है और डिजाइनों के पंजीकरण और इन नियमों के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेदों को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) द्वारा प्रकाशित 'औद्योगिक डिजाइनों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण' (लोकार्नो वर्गीकरण) के वर्तमान संस्करण के अनुसार वर्गीकृत किया जा रहा है।
- नए आवेदनों की जांच में लंबितता को दाखिल करने की तारीख से एक महीने तक कम कर दिया गया है।
- वर्ष के दौरान संशोधित आवेदनों की लंबितता को पर्याप्त कम करने के लिए उपाय किए गए हैं।
- WIPO-DAS कोड का उपयोग करके प्राथमिकता वाले दस्तावेज़ जमा करने और जारी करने की सुविधा लागू की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए सुनवाई की गई।
- डिजाइनों का ई-रजिस्टर जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है।
- पंजीकरण के बाद की विभिन्न कार्यवाहियों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
- पंजीकृत डिज़ाइनों के लिए ई-प्रमाणपत्र जारी करना शुरू किया गया है।

4 भौगोलिक उपदर्शन:

- वर्ष के दौरान भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों और भौगोलिक उपदर्शन अधिकृत उपयोगकर्ता आवेदनों की जांच और पंजीकरण में लंबित मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान 141 भौगोलिक उपदर्शन आवेदन विज्ञापित किए गए, 98 भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का परीक्षण किया गया और 160 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान 12766 भौगोलिक उपदर्शन अधिकृत उपयोगकर्ता आवेदन दाखिल किए गए और 10484 भौगोलिक उपदर्शन अधिकृत उपयोगकर्ता आवेदन विज्ञापित हुए। 11193 भौगोलिक उपदर्शन अधिकृत उपयोगकर्ता आवेदनों का परीक्षण किया गया और 14196 भौगोलिक उपदर्शन अधिकृत उपयोगकर्ता आवेदनों को पंजीकृत किया गया।
- भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) पंजीकरण प्रमाण पत्र और अधिकृत उपयोगकर्ता (एयू) पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किए गए हैं और भौगोलिक उपदर्शन और एयू प्रमाण पत्र भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के डेटाबेस से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है।
- क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से भौगोलिक उपदर्शन प्रशासन का पुनर्गठन किया गया है।

5 प्रतिलिप्यधिकार:

- वर्ष के दौरान नए आवेदनों की जांच एक महीने तक लंबित रही जो नए आवेदनों पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है।
- डिजिटाइजेशन, पंजीकरण प्रक्रियाओं की री-इंजीनियरिंग, जनशक्ति में वृद्धि और वेबसाइट को अपडेट करने के माध्यम से कॉपीराइट कार्यालय की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए।

- सभी प्रतिलिप्यधिकार पंजीकरण प्रक्रियाएं, आपत्तियां, विसंगति पत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना और संचार डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाते हैं, जिससे दक्षता और पहुंच में वृद्धि होती है।

- 2016-17 की तुलना में 2023-24 में प्रतिलिप्यधिकार आवेदनों को भरने में 121% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान प्रतिलिप्यधिकार आवेदनों के पंजीकरण में 957% की वृद्धि हुई है। डिजिटाइजेशन ने प्रसंस्करण के समय को कम कर दिया है और पारदर्शिता बढ़ाई है।

- 7 नवंबर, 2023 को सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने मुंबई में एक प्रतिलिप्यधिकार हितधारक बैठक आयोजित की जिसमें भारत की कॉपीराइट सोसायटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य छोटे और हाशिए पर पड़े रचनाकारों, उत्पादकों और संगीतकारों के लिए उनके महत्वपूर्ण रचनात्मक योगदान से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।

- माननीय मंत्री महोदय ने नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में आविष्कारकों और उद्यमियों के साथ संवाद किया।

6 आईसीटी बुनियादी ढांचा और कार्यात्मक सुधार:

- क्लाउड में माइग्रेशन: इन-हाउस डेटा सेंटर में होस्ट किए गए पेटेंट और ट्रेडमार्क आवेदनों और डेटा और कनेक्टेड सेवाओं को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में माइग्रेट करने से संबंधित कार्य 2023-24 में किया गया। इससे हितधारकों को बिना किसी रुकावट के सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
- डिजास्टर रिकवरी: ट्रेडमार्क के लिए डीआर साइट स्थापित की गई और अन्य आईपी अधिकारों के लिए काम जारी है।
- बढ़ी हुई कनेक्टिविटी: सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने निर्बाध ऑनलाइन सुनवाई सहित कार्यालयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आईपीओ के सभी स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को 1 जीबीपीएस तक अपग्रेड किया।
- वर्गीकरण टीम का गठन: पेटेंट आवेदनों के वर्गीकरण और आवंटन के लिए नया वर्कफ़्लो डिज़ाइन किया गया था, जिसमें आईपीसी और सीपीसी दोनों के अनुसार वर्गीकरण कोड को फ्रंटियर तकनीकों की पहचान के साथ कैप्चर किया जाता है। वर्गीकरण में उपयोग की जाने वाली खोज क्वेरी और वर्गीकरण के दौरान प्राप्त किसी भी संभावित पूर्व कला को कैप्चर करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
- ओपन हाउस पोर्टल का शुभारंभ: शिकायत समाधान को बेहतर बनाने और इसे अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए, समाधान के लिए एक टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई थी। ओपन हाउस पोर्टल हितधारकों को अपनी शिकायतों के लिए टिकट उठाने की अनुमति देता है।
- सुनवाई प्रबंधन प्रणाली: आईपी आवेदनों के निपटान में तेजी लाने के लिए, आईटी कार्यालय ने अधिकारियों द्वारा अग्रिम रूप से स्लॉट बुक करने में सक्षम बनाने के लिए एक इन-हाउस सुनवाई प्रबंधन प्रणाली विकसित की ताकि अधिकतम संख्या में सुनवाई करने के लिए सुनवाई लाइसेंस का इष्टतम उपयोग किया जा सके।
- विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पोर्टल: सीजीपीडीटीएम कार्यालय के आईटी कार्यालय ने निम्नलिखित पोर्टल विकसित और लॉन्च किए:
  - पेटेंट एजेंट परीक्षा
  - ट्रेडमार्क एजेंट परीक्षा
  - वाईपी भर्ती
  - एनआईपीएएम पोर्टल
  - एसआईपीपी पंजीकरण
  - राष्ट्रीय आईपी पुरस्कार
  - राष्ट्रीय आईपी सम्मेलन
  - टॉयकैथॉन श्रृंखला

पेटेंट के लिए एमआईएस: 2023-24 के दौरान पेटेंट के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की गई थी जो अधिकारियों के विभिन्न प्रदर्शन मीट्रिक को समाहित करते हुए प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में आवेदनों की निगरानी करने में सक्षम बनाती है।

- प्रकाशन को सुव्यवस्थित करना: जनवरी 2024 में विशेष अभियान शुरू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक आईटी हस्तक्षेप और रिपोर्टों के साथ पेटेंट आवेदनों का 18 महीने का प्रकाशन और प्रारंभिक प्रकाशन बिना किसी बैकलॉग के किया जाए।
- आईपीओ ने बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर शिकायतों/सुझावों को संबोधित करने के लिए *ओपन हाउस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र* शुरू किया, जिसमें वरिष्ठ आईपी अधिकारी हितधारकों की बात सुनने के लिए वीसी पर मौजूद रहते हैं।
- सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, विभाग ने पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए एक 'डिजिटल परिवर्तन' परियोजना शुरू की है और यह कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) को सौंपा गया है। आईटी कार्यालय भविष्य की प्रौद्योगिकियों और सार्वजनिक पोर्टलों और बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर के डिजाइन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में शामिल है।

7. हितधारक परामर्श बैठकें:

बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर शिकायतों/सुझावों के समाधान के लिए खुला सम्मेलन

आईपी कार्यालय में फीडबैक तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए, सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने हितधारकों के साथ आईपी संबंधित विभिन्न मामलों के निर्बाध और सीधे संचार के लिए ओपन हाउस आयोजित करने की पहल की है। ओपन हाउस चर्चा 17 अक्टूबर, 2022 से प्रत्येक शुक्रवार (कार्यालय खुला रहने पर) को शाम 4:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक शुरू की गई। इस पहल ने विभिन्न आईपी कार्यालयों से संबंधित विभिन्न आईपी मामलों के लिए हितधारकों द्वारा जमीनी स्तर पर सामना की जा रही कई चुनौतियों का समाधान किया है। आईपी कार्यालयों के कामकाज से संबंधित मुद्दों और हितधारकों की शिकायतों को सबसे प्रभावी ढंग से संभालने के संबंध में बहुमूल्य फीडबैक और सुझावों के परिणामस्वरूप खुले सदन में बड़ी भागीदारी और खुली चर्चा हुई है जो देश में आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।

इसके अलावा, सीजीपीडीटीएम कार्यालय में हितधारकों के लाभ के लिए आईपी कार्यालयों के कामकाज से संबंधित मुद्दों के संबंध में फीडबैक/सुझाव/शिकायतें दर्ज करने के लिए आईपीओ वेबसाइट पर एक तंत्र स्थापित किया गया है, जिससे मुद्दों का समय पर समाधान हुआ है ।

8. फीडबैक व्यवस्था:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक भाग के रूप में सीजीपीडीटीएम द्वारा आईपीओ शिकायत पोर्टल लॉन्च किया गया:

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने एक शिकायत पोर्टल https://ipindiaservices.gov.in/ipogrievance प्रारंभ किया गया, जिसमें हितधारक यदि किसी अधिकारी द्वारा उनके आवेदनों के प्रसंस्करण के दौरान उनके सामने आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान की अनावश्यक मांग से व्यथित हैं तो वे अपनी शिकायतें/व्यथाएँ दर्ज कर सकते हैं।

9. अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए)/ अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) रिपोर्ट:

आईएसए/आईपीईए के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट स्थापित करने में समयबद्धता बनाए रखता है और परीक्षकों की खोज रणनीतियों को वायपो के पेटेंटस्कोप पोर्टल पर प्रकाशित करता है।

10. अंतरराष्ट्रीय समझौते:

सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के प्रयास के साथ, सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा विदेश के IP कार्यालयों के साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग के दायरे में विभिन्न पहल की गईं। कार्यालय ने विभिन्न क्षेत्राधिकार में अपनाई

जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी साझा करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय गतिविधियाँ आयोजित कीं। इसके परिणामस्वरूप अन्य देशों द्वारा अपनाई जाने वाली आईपी प्रणालियों की बेहतर समझ विकसित हुई। बदले में, इस तरह की अंतरराष्ट्रीय सहयोग गतिविधियों के परिणामस्वरूप भारत में आईपीआर प्रणाली के भीतर मौजूद मतभेदों और विशिष्टताओं की बेहतर सराहना हुई, जबकि ट्रिप्स समझौते के तहत उपलब्ध लचीलेपन का अधिकतम संभव उपयोग हो सका। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, विदेशी आईपी कार्यालयों के साथ ऐसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं और इसका विवरण अध्याय XII (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) में मौजूद है।

11. राजभाषा :

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके सभी अधीनस्थ कार्यालय राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के तहत अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इनके क्रियाकलापों की निरंतर निगरानी महानियंत्रक कार्यालय द्वारा की जाती है और इन सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति के सटीक अनुपालन हेतु निदेश जारी किए जाते हैं।

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, अहमदाबाद

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, मुंबई

विगत वर्ष के दौरान माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 11 जनवरी, 2024 को व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, अहमदाबाद तथा दिनांक 13 फरवरी, 2024 को महानियंत्रक कार्यालय, मुंबई का निरीक्षण किया। इस अवसर पर इन कार्यालयों में किए जा रहे राजभाषा नीति के अनुपालन विषयक कार्य को प्रदर्शित किया गया।

समिति ने कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्य पर संतोष व्यक्त किया और शासकीय संवाद के प्रमुख माध्यम के रूप में हिंदी के सतत संवर्धन की दिशा में कार्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

12. सूचना का अधिकार:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। बौद्धिक संपदा कार्यालयों के कामकाज में अत्यधिक पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए, जनता और हितधारकों को सक्रिय रूप से जानकारी प्रदान करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न गतिविधियों के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, सूचना अधिकार अधिनियम के विधायी प्रयोजन और जनादेश के अनुरूप अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की गई।

वर्ष 2023-24 में 2763 सूचना अधिकार अनुरोध और 92 अपीलों का निपटारा किया गया।

13. स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी):

स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) योजना भारत में स्टार्टअप्स को उनकी बौद्धिक संपदा (आईपी), जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की सुरक्षा की सुविधा प्रदान करके सहयोग करने के लिए बनाई गई है। स्टार्टअप, जो अक्सर सीमित संसाधनों के साथ काम करते हैं, उन्हें बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने नवाचारों की रक्षा करनी चाहिए। 2016 में शुरू की गई यह योजना आविष्कारकों और उद्यमियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करने में मदद करती है।

भारतीय आविष्कारकों -जिनमें स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) के प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्रों (टीआईएससी) के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें भारत में स्थापित किया गया है। ये केंद्र बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के सृजन, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं।

मूल रूप से पायलट के रूप में शुरू किए गए इस कार्यक्रम को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया था। बेहतर सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, 2 नवंबर, 2022 तक सुविधा शुल्क में कम से कम 100% की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, इसके प्रारंभिक कार्यान्वयन से मिले सबक के आधार पर, 1 अप्रैल, 2023 से योजना में बदलाव किए गए हैं।

एसआईपीपी योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, क्रिएटर्स और शैक्षणिक संस्थानों के बीच जागरूकता बढ़ाना और आईपीआर के उपयोग को बढ़ावा देना है। टीआईएससी की सेवाओं का लाभ उठाकर, यह योजना इन संस्थाओं को भारत और विदेशों में अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और इसके मूल्य संवर्धन में सहायता करती है।

यह पहल उभरती प्रौद्योगिकियों को पोषित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को उनकी बौद्धिक संपदा की रक्षा और व्यावसायीकरण करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन देने पर भी केंद्रित है। इसका व्यापक लक्ष्य एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहाँ नवाचार पनप सके, जिससे भारतीय और वैश्विक दोनों बाजारों में स्टार्टअप्स की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान मिल सके।

मार्च 2024 तक, इस योजना ने देश भर में 657 पेटेंट और डिज़ाइन सुविधाप्रदाताओं और 2,124 ट्रेडमार्क सुविधाप्रदाताओं का पंजीकरण किया है, जो देश भर के नवप्रवर्तकों को अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

....

पेटेंट

परिचय:

यह अध्याय पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 155 के तहत पेटेंट कार्यालयों द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान निष्पादित गतिविधियों के संबंध में 52वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पेटेंट कार्यालय कोलकाता, नई दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई में स्थित है, जिनका पेटेंट प्रशासन के लिए देश में विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। हालांकि, सभी चार पेटेंट कार्यालय आभासी एकल कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं। पेटेंट कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के अधीक्षण व प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन देश में हुए आविष्कारों के संरक्षण से संबंधित पेटेंट अधिनियम 1970 (यथा शांशोधित) के प्रावधानों को लागू करता है। निम्न प्रदत्त अनुच्छेद पेटेंट विधान के तहत यथाप्रशासित पेटेंट कार्यालय की प्रमुख गतिविधियों की रूप-रेखा प्रस्तुत करते हैं।

1. पेटेंट आवेदन:

2023-24 में दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या 92168 रही जो 2022-23 की फाइलिंग की संख्या 82811 में 11.3% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान, आविष्कार के लगभग सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीमर, रसायन, भौतिकी एवं धातुकर्म के क्षेत्र में मध्यम से उच्च विकास देखा गया है। विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित, विगत पाँच वर्षों के आवेदनों की प्रवृत्ति के विस्तृत आँकड़े परिशिष्ट-ङ और ङ1 में दर्शाए गए हैं।

1.1 भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन:

कुल दाखिल 92168 आवेदनों में से, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 51574 रही जो विगत वर्ष के आवेदनों की संख्या 43301 से लगभग 19.1% की वृद्धि दर्शाता है। कुल दाखिल आवेदनों में से घरेलू आवेदन पिछले वर्ष के 52.29% की तुलना में 55.96% रहे हैं। इस प्रकार, विगत वर्षों की वृद्धि की निरंतरता में, इस वर्ष भी, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 40594 रही जो 2022-23 के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या 39510 की तुलना में जो 2.74% की वृद्धि दर्शाता है।

1.2 भारतीय आवेदकों द्वारा राज्यवार दाखिल पेटेंट आवेदन:

2023-24 के दौरान, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों में से, तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। इस वर्ष गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के साथ-साथ दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपने पिछले साल दाखिल आवेदनों की संख्या में वृद्धि प्रदर्शित की, जिससे भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल समग्र पेटेंट आवेदनों में उनका योगदान अत्यधिक रहा।

आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (आवेदनों की संख्या कोष्ठक में दी गयी है) तमिलनाडु (9565), महाराष्ट्र (7251), कर्नाटक (6086), उत्तर प्रदेश (5779), पंजाब (4604), तेलंगाना (2807), गुजरात (2718), आंध्र प्रदेश (2134), दिल्ली (2002), राजस्थान (1466), उत्तराखंड (1085), हरियाणा (1014), पश्चिम

बंगाल (874), मध्य प्रदेश (726), केरल (637), एवं झारखंड (574) हैं। राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्र के अनुसार विवरण परिशिष्ट ख में प्रदर्शित किया गया है।

भारतीय आवेदकों द्वारा राज्यवार दाखिल पेटेंट आवेदन

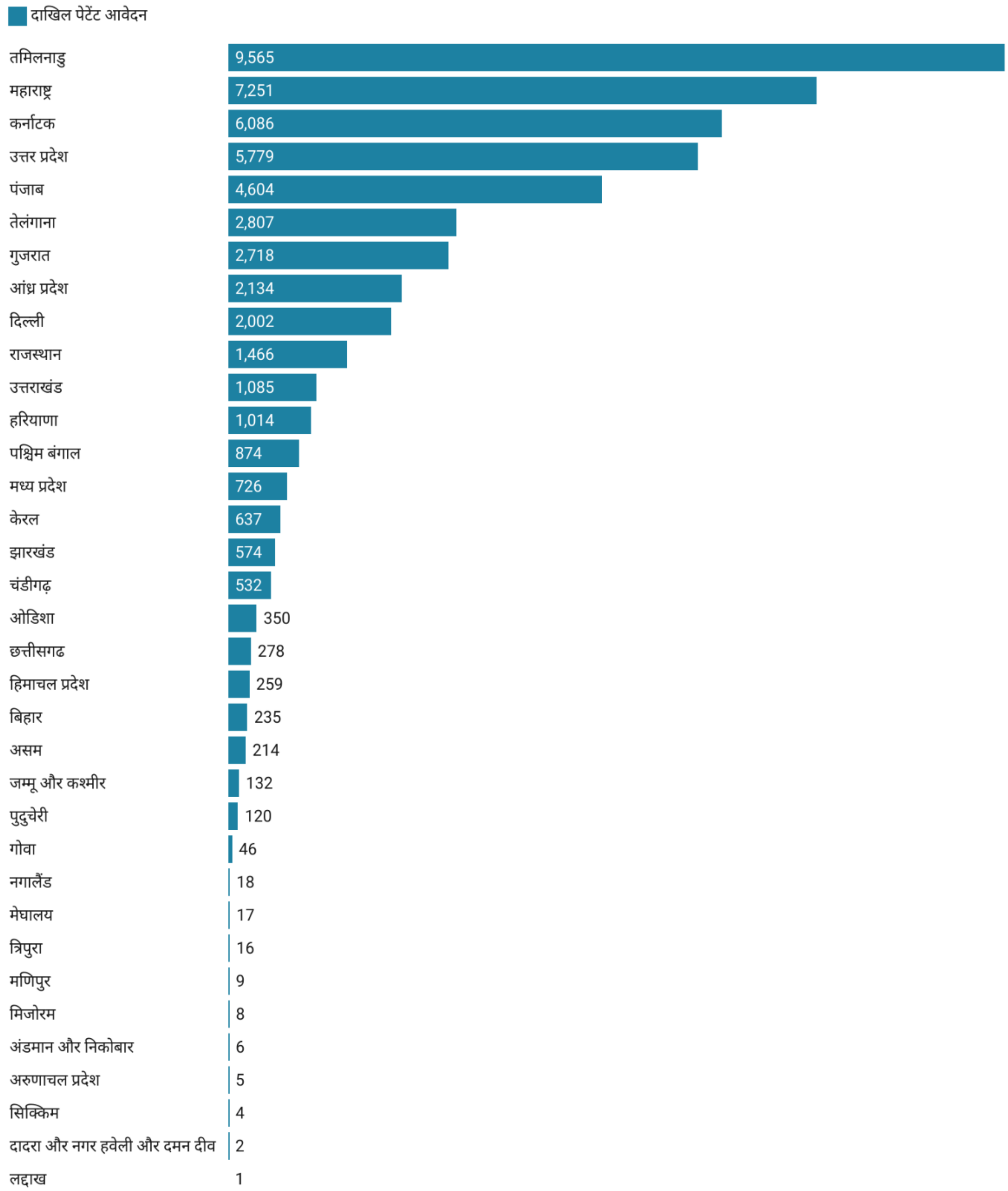

1.3 आवेदनों का श्रेणीवार वितरण:

विगत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों जैसे प्रकृत व्यक्ति (एनपी), स्टार्टअप (एसयू), लघु अस्तित्व (एसई), शैक्षणिक संस्थान (ईआई) तथा अन्य प्रकृत व्यक्ति (ओएनपी) द्वारा दाखिल आवेदनों का विवरण निम्नवत है। ध्यातव्य है कि लगभग सभी श्रेणियों में दाखिल आवेदनों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

वर्ष	प्रकृत व्यक्ति (एनपी)		स्टार्टअप (एसयू)		लघु अस्तित्व (एसई)		शैक्षणिक संस्थान (ईआई)		प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य		कुल		कुल योग
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	
2019-20	8792	1182	1650	2	576	272	0	0	9825	33968	20843	35424	**56267**
2020-21	10844	1053	1598	13	744	53	0	0	11150	33048	24326	34167	**58503**
2021-22	12451	1324	1482	19	985	384	7405	96	7185	35109	29508	36932	**66440**
2022-23	14599	1261	2016	25	1329	429	19155	275	6202	37520	43301	39510	**82811**
2023-24	**14431**	**1185**	**2546**	**25**	**3421**	**128**	**23306**	**237**	**7870**	**39019**	**51574**	**40594**	**92168**

1.4 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 5 भारतीय आवेदक:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	दाखिल आवेदन
1	जियो प्लेटफ़ोर्म्स लिमिटेड	818
2	ब्लूएस्ट मेट्टल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	640
3	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	580
4	जैन (मानद विश्वविद्यालय)	568
5	चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टेक्नोलोजी बीजनेश ईंक्यूबेटर	451

1.5 वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास संस्थानों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदक :

इस वर्ष चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टेक्नोलोजी बीजनेश ईंक्यूबेटर शीर्ष पर रहा जिसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थान रहा। भारत उच्च शिक्षा और शोध संस्थान (समेकित), सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज क्रमशः तीसरे व चौथे स्थान पर रहे।

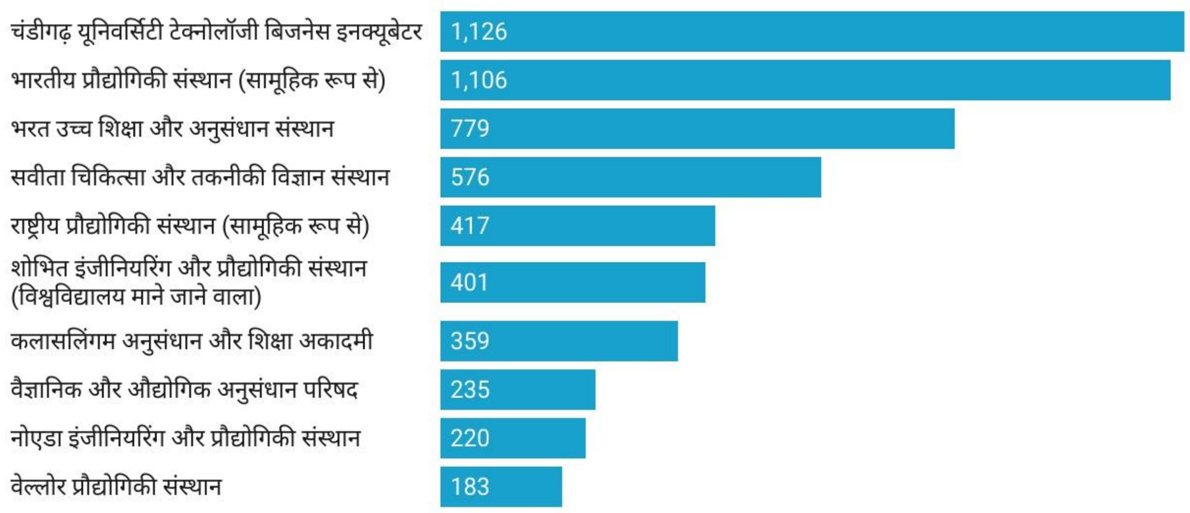

क्रम सं.	वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास संस्थान का नाम	दाखिल आवेदन
1	चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टेक्नोलोजी बीजनेश ईंक्यूबेटर	1126
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)	1106
3	भारत उच्च शिक्षा और शोध संस्थान	779
4	सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज	576
5	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)	417
6	शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग & टेक्नॉलॉजी (मानद विश्वविद्यालय)	401
7	कलासलिंगम अनुसंधान और शिक्षा अकादमी	359
8	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)	235
9	नोएडा इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान	220
10	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी	183

1.6 शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदक:

इस श्रेणी में लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा। जबकि जैन (मानद विश्वविद्यालय) एवं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टेक्नोलोजी बीजनेश ईंक्यूबेटर क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने क्रमशः चौथा व पांचवा स्थान प्राप्त किया।

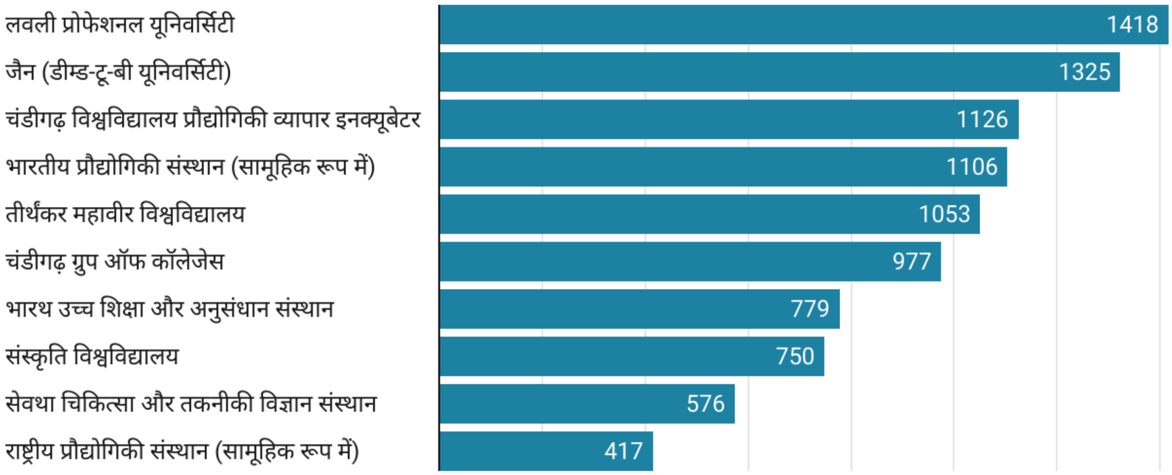

क्रम सं.	संस्थानों/विश्वविद्यालयों के नाम	दाखिल आवेदन
1	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	1418
2	जैन (मानद विश्वविद्यालय)	1325
3	चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टेक्नोलोजी बीजनेश ईंक्यूबेटर	1126
4	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)	1106
5	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय	1053
6	चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजिस	977
7	भारत उच्च शिक्षा और शोध संस्थान	779
8	संस्कृति विश्वविद्यालय	750
9	सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज (एसआईएमएटीएस)	576
10	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)	417

2. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन:

2.1 कन्वेंशन आवेदन:

विगत वर्ष के 3351 की तुलना में इस वर्ष के दौरान पेरिस कन्वेंशन के तहत प्रायिकता दावा करते हुए दाखिल आवेदनों की कुल संख्या 3508 रही। इस वर्ष के दौरान दाखिल किए गए कन्वेंशन आवेदनों की संख्या में लगभग 4.68% की वृद्धि देखी गई है। वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन 3360 थे जो पिछले वर्ष के 3258 से 3.13% अधिक है।

2.2 पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज आवेदन:

विदेश से प्राप्त आवेदनों में से अधिकांश पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) राष्ट्रीय फेज माध्यम से दाखिल किए गए। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान दाखिल ऐसे आवेदनों की संख्या 32187 रही जो विगत वर्ष की संख्या 32091 की तुलना में लगभग 0.29% की वृद्धि दर्शाता है। आवेदन दाखिल करने वाला शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमरीका (11276) रहा। देशानुसार विवरण परिशिष्ट ख1 में प्रदर्शित किया गया है।

पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज आवेदनों के शीर्ष आवेदक (देशानुसार)

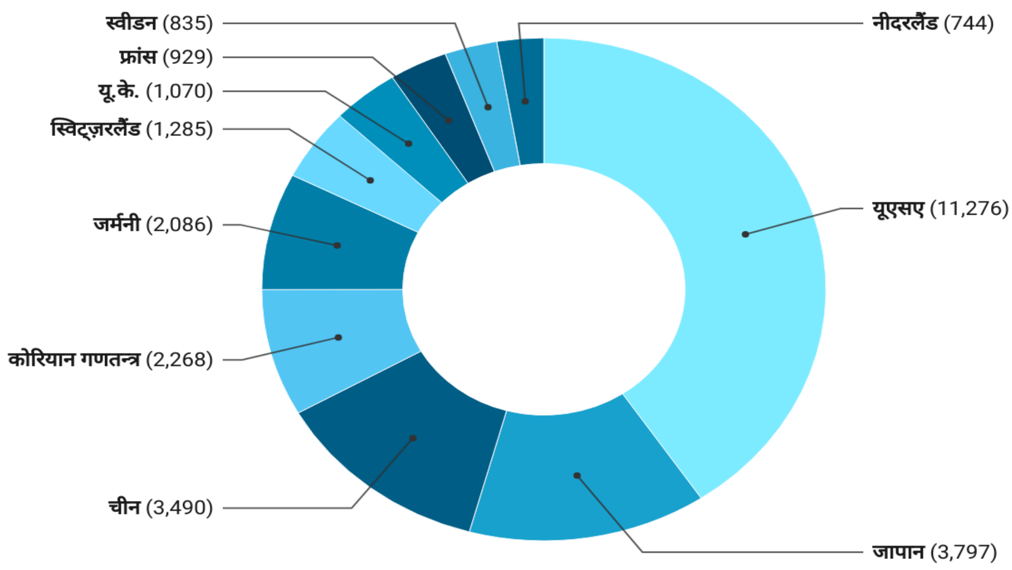

पी.सी.टी. आवेदन की विगत 5 वर्षों की प्रवृत्ति

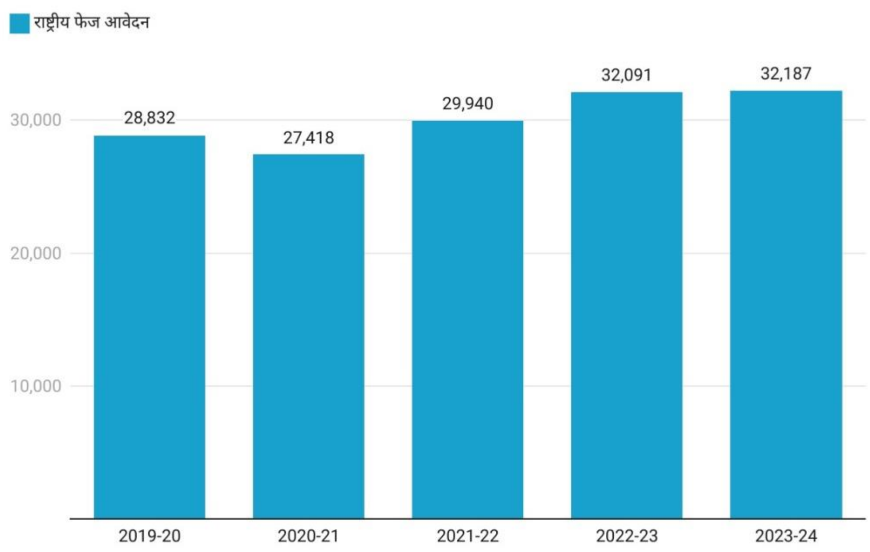

2.3 शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक:

निम्नलिखित तालिका उन शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदकों की सूची प्रदान करती है जिन्होंने 2023-24 के दौरान भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं। यह देखा गया है कि क्वालकम इंकॉरपोरेटेड इस वर्ष तीन हज़ार के करीब आवेदनों के साथ इस सूची में अग्रणी रहा।

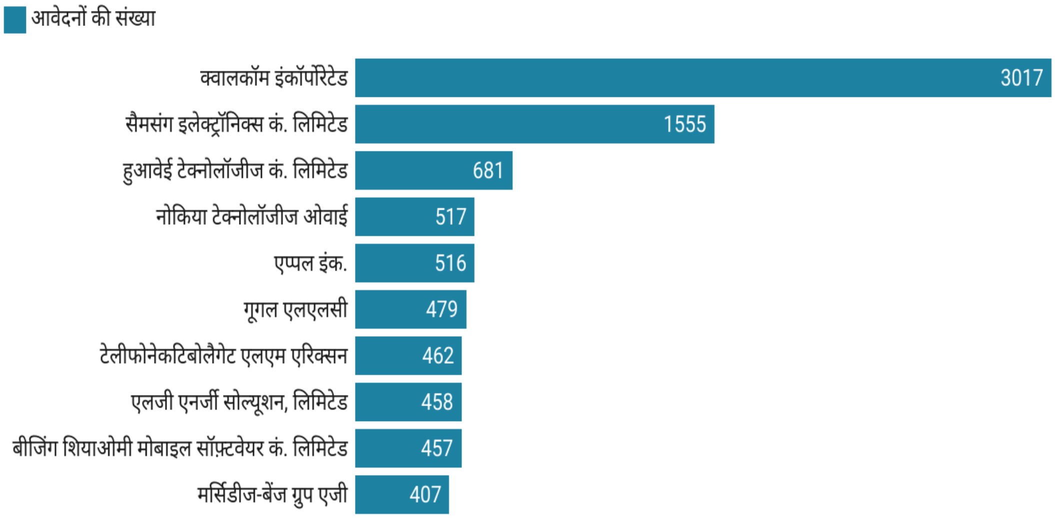

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	आवेदनों की संख्या
1	क्वालकम इंकॉरपोरेटेड	3017
2	सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड	1555
3	हुआवि टेक्नोलॉजी कलि .	681

4	नोकिया टेक्नोलॉजीज़ ओ.वाई	517
5	एप्पल इंक.	516
6	गूगल एलएलसी	479
7	टेलेफोनाक्टिबोलागेट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल)	462
8	एलजी एनर्जी सॉल्यूशन, लिमिटेड	458
9	बीजिंग शाओमि मोबाइल सॉफ्टवेयर कं, लिमिटेड	457
10	मर्सिडीज- बेंज़ ग्रुप एजी	407

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-ख (भारत में उद्गम राज्य के अनुसार वर्गीकृत) एवं परिशिष्ट-ख1 (उद्गम देश के अनुसार वर्गीकृत) में दर्शाया गया है।

2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों से भारतीय प्रवासियों एवं अप्रवासियों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों की संख्या परिशिष्ट-ग में दर्शायी गई है।

विगत पाँच वर्ष के दौरान रसायन, विद्युत, यांत्रिक, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य, कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि पर विषयवार दाखिल आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-ङ तथा ङ1 में प्रदत्त सारणी द्वारा दिखाया गया है।

3. परीक्षित आवेदनों की कुल संख्या:

कार्यालय ने पिछले वर्ष के 49961 परीक्षित आवेदनों की तुलना में, इस वर्ष के दौरान 18438 आवेदनों का परीक्षण किया।

4. परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का कुल निपटान:

विगत वर्ष के 60046 की तुलना में इस वर्ष के दौरान 126003 परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का निष्पादन किया गया, जो 109.84% की वृद्धि दर्शाता है। निष्पादन में अनुदानित, अस्वीकृत, धारा 21(1) के तहत परित्यक्त व आहरित आवेदन शामिल हैं।

5. अनुदानित तथा प्रवृत्त पेटेंट :

वर्ष के दौरान अनुदानित पेटेंट की कुल संख्या 103057 रही, जिनमें से 25082 भारतीय आवेदकों को अनुदानित किए गए। इस वर्ष के दौरान अनुदानित पेटेंट, 2022-23 के दौरान अनुदानित पेटेंट (34134) से 201.91% अधिक रहे।

31 मार्च 2024 तक प्रवृत्त पेटेंट की संख्या 223245 रही जिनमें से 47335 पेटेंट भारतीयों के नाम थे।

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या, परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोधों की संख्या, परित्यक्त हुआ सा मान लिए गए आवेदन तथा पेटेंट अनुदान प्राप्त करने वाले आवेदन एवं प्रवृत्त पेटेंट की संख्या परिशिष्ट-घ में प्रदर्शित की गई है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान आविष्कार के विभिन्न क्षेत्रों के तहत अनुदानित पेटेंट की संख्या परिशिष्ट –च एवं च1 में प्रदर्शित की गई है।

6. शीघ्र परीक्षण स्थिति:

शीघ्र परीक्षण की सुविधा प्रारम्भ में स्टार्टअप और उन पेटेंट आवेदनों के लिए प्रदान की गई थी, जहां आवेदकों ने अपने संबंधित पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिए आईएसए / आईपीईए के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय का चयन किया है। पेटेंट नियमों में संशोधन करके आवेदकों की 8 और श्रेणियों को 17 सितंबर, 2019 से इसमें शामिल कर लिया गया है। आवेदकों की नई श्रेणियों में लघु, मध्यम उद्यम, महिला आवेदक, सरकारी विभाग, केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान है, जो सरकार के स्वामित्व में है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित है, सरकारी कंपनी, सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा सारवान रूप से वित्तपोषित संस्थान तथा पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाइवे (पीपीएच) के अधीन दाखिल आवेदन शामिल हैं।

शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोधों की फाइलिंग में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, जिसका कारण है कि इस श्रेणी के तहत आवेदनों का परीक्षण और संसाधन अतिशीघ्र किया जाता है जिससे अधिकांश मामलों में अनुदान / अंतिम निपटान, सामान्य परीक्षण मार्ग में अपेक्षित कुछ वर्षों की अवधि की तुलना में शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के औसत समय के भीतर हो जाता है।

शीघ्र परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोध, परीक्षित व निपटान का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है जिसमें नई श्रेणियों को संचित रूप से "अन्य" के रूप में नामित किया गया है।

वर्ष	शीघ्र परीक्षण हेतु दाखिल अनुरोध				अनुदानित पेटेंट				अस्वीकृत			
	स्टार्ट अप	आईएसआर हेतु आवेदक	अन्य	कुल	स्टार्ट अप	आईएसआर हेतु आवेदक	अन्य	कुल	स्टार्ट अप	आईएसआर हेतु आवेदक	अन्य	कुल
2019-20	408	311	304	1023	189	235	5	429	53	57	0	110
2020-21	433	331	802	1566	252	212	283	747	57	48	24	129
2021-22	548	411	1554	2513	49	65	143	257	4	3	14	21
2022-23	713	386	2471	3570	468	335	1283	2086	54	37	141	232
2023-24	**3406**	**2411**	**9124**	**14941**	**1869**	**1627**	**4335**	**7831**	**323**	**245**	**428**	**996**

7. भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन:

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईएन)के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय में भारतीय आवेदकों द्वारा पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की कुल संख्या निम्नवत है (इस संख्या में वे अंतरराष्ट्रीय आवेदन शामिल नहीं है जो भारतीय आवेदकों द्वारा सीधे वाइपो के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में दाखिल किए गए हैं):

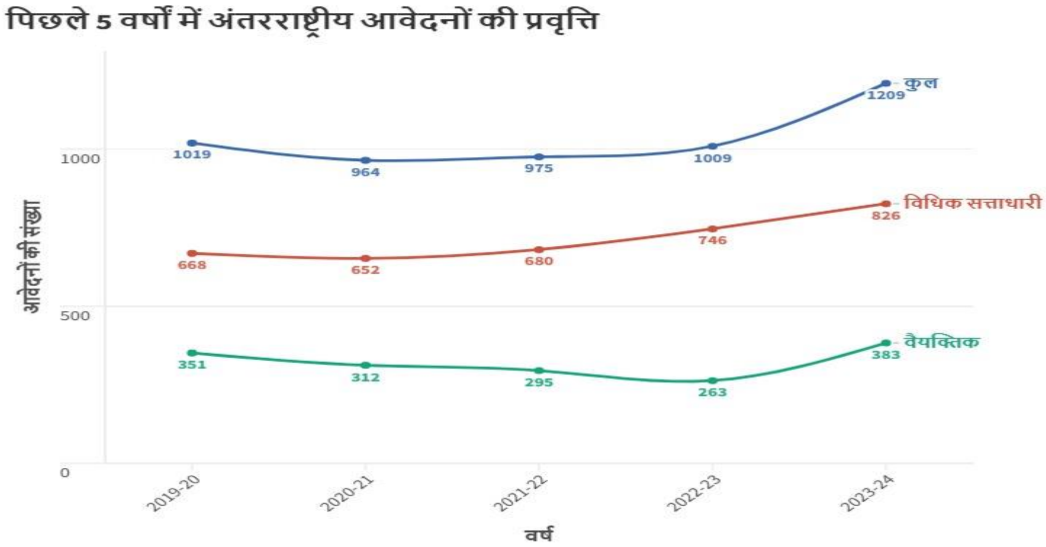

वर्ष	वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी	कुल
2019-20	351	668	1019
2020-21	312	652	964
2021-22	295	680	975
2022-23	263	746	1009
2023-24	**383**	**826**	**1209**

2023-24 के दौरान पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने वाले प्रमुख भारतीय योगदानकर्ता वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, मद्रास रहे।

8. पेटेंट अधिनियम व नियमों के तहत विविध कार्यवाहियाँ:

8.1 परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आविष्कार: वर्ष के दौरान, पेटेंट अधिनियम की धारा 4 के तहत 134 आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रेषित किए गए जिनमें से 44 आवेदन परमाणु ऊर्जा से संबद्ध पाए गए, जबकि 80 आवेदन सामान्य शासकीय कार्यवाही के तहत प्रक्रियागत करने के लिए अनुमत्त हुए। वर्ष के अंत तक शेष आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग के समक्ष विचारार्थ लंबित रहे।

8.2 धारा 11(क) के तहत पेटेंट आवेदनों का प्रकाशन: वर्ष 2023-24 के दौरान, पेटेंट अधिनियम की धारा 11क के तहत 108142 आवेदन प्रकाशित किए गए, जिनमें 30989 ऐसे आवेदन शामिल हैं जिनके लिए शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध प्राप्त किए गए थे। विगत पाँच वर्षो के दौरान प्रकाशित पेटेंट आवेदनों की संख्या संबंधी वर्षानुसार विवरण निम्नवत है:

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
धारा 11क के तहत प्रकाशन	44297	42462	55362	69208	**77153**
शीघ्र प्रकाशन	6526	10302	14251	25536	**30989**
कुल	**50823**	**52764**	**69613**	**94744**	**108142**

8.3 अनुदानपूर्व आपत्ति [धारा 25(1) के तहत]: वर्ष के दौरान अनुदानपूर्व आपत्ति के रूप में 366 आवेदन प्राप्त हुए एवं 622 अनुदानपूर्व आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया।

8.4 अनुदानोत्तर आपत्ति [धारा 25(2) के तहत] : वर्ष 2023-24 के दौरान 99 अनुदानोत्तर आपत्तियाँ दाखिल की गईं। 52 अनुदानोत्तर आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया।

8.5 गोपनीयता निदेश (धारा 35 के तहत): वर्ष के दौरान, 119 पेटेंट आवेदन भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को उन आविष्कारों के रक्षा उद्देश्य से संबद्ध होने विषयक विचार देने हेतु प्रेषित किए गए। वर्ष के दौरान, 109 आवेदनों को सामान्य कार्यवाही हेतु अनुमत्त किया गया। कोई भी आवेदन को डीआरडीओ द्वारा आगे बढ़ने के लिए अस्वीकृत नहीं किया गया, जबकि शेष आवेदन वर्ष के अंत तक डीआरडीओ के विचारार्थ प्रक्रियाधीन थे।

8.6 देश से बाहर आवेदन करने की अनुमति (धारा 39 के तहत): वर्ष के दौरान 9179 ऐसे आवेदन प्राप्त हुए जिनमें फॉर्म 25 पर भारत के बाहर पेंटेट दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी जबकि 8992 आवेदनों के संबंध में अनुमति प्रदान की गई।

8.7 व्यपगत पेटेंट का प्रत्यावर्तन (धारा 60 के तहत) : 2023-24 के दौरान पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए 395 आवेदन प्राप्त हुए और 143 पेटेंट प्रत्यावर्तित किए गए।

8.8 समनुदेशन, मोर्गेज, लाइसेंस आदि (धारा 68 तथा 69 के तहत): इस धारा के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए 3824 मामले प्राप्त हुए तथा वर्ष के दौरान 2243 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया।

8.9 जारी पेटेंट (धारा 146 के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान फॉर्म-27 पर जारी पेटेंट जारी रहने के 94097 कथन प्राप्त किए गए और 22618 पेटेंट प्रवृत्त रूप में दर्शाए गए हैं। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सूचना का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रवृत्त पेटेंट	81279	98839	115916	137333	**223245**
प्राप्त फॉर्म-27	57192	58633	55014	4781	**94097**
जारी रहने के रूप में प्रदर्शित	16181	13924	9616	560	**22618**

8.10 अनिवार्य लाइसेंस (धारा 84, 92 तथा 92क के तहत): वर्ष 2023-24 के दौरान अनिवार्य लाइसेंस के अनुदान हेतु कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

8.11 सूचना (धारा 153 के तहत): वर्ष के दौरान, पेटेंट नियम, 2003 (यथा संशोधित) के नियम 134 में यथा प्रदत्त इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत पेटेंट संबंधी सूचना की आपूर्ति के लिए पेटेंट कार्यालय को 68 अनुरोध प्राप्त हुए।

8.12 पेटेंट अभिकर्त्ताओं का पंजीकरण: वर्ष के दौरान 560 नए पेटेंट अभिकर्ताओं का पंजीकरण किया गया। 31 मार्च 2024 तक पंजीकृत पेटेंट अभिकर्त्ताओं की कुल संख्या 5839 रही।

9. **पेटेंट एजेंट परीक्षा** 2023 & 2024 :

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 126 (1)(ग)(ii) के प्रावधानों के अनुसार उक्त परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पंजीकरण, शुल्क भुगतान और ई-प्रवेश पत्र जारी करने जैसी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई ताकि न्यूनतम शारीरिक संपर्क की आवश्यकता हो। ऑफ़लाइन मोड में परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

दृष्टिबाधित/शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग) उम्मीदवारों को उनके अनुरोध के अनुसार उचित रूप से पाठक/लेखक या अतिरिक्त लेखन समय प्रदान किया गया।

9.1 पेटेंट एजेंट परीक्षा 2023 दिनांक 07/05/2023 को 9 स्थानों अर्थात अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नागपुर में ऑफ़लाइन मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा शुल्क के साथ कुल 5695 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। पेपर- I में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 3086 थी, और पेपर- II में 3012 थी। मौखिक परीक्षा के लिए 716 पात्र उम्मीदवारों की सूची 10/06/2023 को प्रकाशित की गई थी। 707 उम्मीदवार मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जो 22/06/2023 और 23/06/2023 को चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में स्थित पेटेंट कार्यालयों तथा ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री, अहमदाबाद और आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में आयोजित किया गया था।

9.2 पेटेंट एजेंट परीक्षा 2024 दिनांक 07/01/2024 को 14 स्थानों अर्थात अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची और विशाखापत्तनम में आयोजित की गई थी। पेपर 1 के लिए कुल 1528 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जबकि पेपर 2 के लिए 1491 उम्मीदवार उपस्थित हुए। उनमें से, 343 उम्मीदवारों ने मौखिक परीक्षा चरण के लिए सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त की। मौखिक परीक्षाएं चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में स्थित पेटेंट कार्यालयों के साथ-साथ ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री, अहमदाबाद और आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में 10/02/2024 और 11/02/2024 को आयोजित की गईं। मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए 343 उम्मीदवारों में से 223 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें 117 उम्मीदवार पुरुष और 106 उम्मीदवार महिलाएँ हैं।

वर्ष 2023-24 में कुल 752 सफल उम्मीदवारों में से 696 उम्मीदवारों ने पेटेंट एजेंट के रजिस्टर में पंजीकरण कराया है।

10. राजस्व:

पेटेंट कार्यालय ने अधिनियम और नियमों के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के लिए शुल्क के माध्यम से लगभग रु.913.98 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। पेटेंट के संदर्भ में एकत्रित शुल्क का विवरण परिशिष्ट- छ में दिया गया है।

11. सामान्य सूचना:

पेटेंट कार्यालय, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली एवं चेन्नई के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकालय जनता को परामर्श तथा संदर्भ कार्य के लिए सुविधा प्रदान करते रहे। इन सुविधाओं का विभिन्न अनुसंधान व औद्योगिक संस्थानों के आविष्कारक तथा अन्य जनता के साथ-साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधानरत विद्वानों ने उपयोग किया।

वर्तमान में पेटेंट कार्यालय, सीडी-रोम्स, पुस्तकों और जर्नल के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी ई-जर्नल प्राप्त करता है। भारत और विदेश के पेटेंट कार्यालयों के पेटेंट विनिर्देश और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से खोज संचालित करने हेतु हजारों लोग पेटेंट कार्यालय के पुस्तकालयों में आते हैं।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर प्रदत्त नि:शुल्क ऑनलाइन इंटरनेट खोज सुविधा का हितधारकों और सर्वसाधारण ने भी व्यापक लाभ उठाया।

परीक्षक, एकस्व का विषयवार वितरण

क्रम सं.	विषय	परीक्षकों की संख्या
1	जैव रसायन	5
2	जैव प्रौद्योगिकी	7
3	जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी	6
4	रसायन	51
5	सिविल अभियांत्रिकी	0
6	कम्प्यूटर एवं आई टी अभियांत्रिकी	45
7	वैद्युतिक व इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी	83
8	खाद्य प्रौद्योगिकी	0
9	यांत्रिकी अभियांत्रिकी	6
10	धातुकर्म अभियांत्रिकी	5
11	भौतिकी	5
12	पॉलीमर	6
13	वस्त्र	0
	कुल	**219**

परिशिष्ट -ख

उद्गम राज्य के अनुसार वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में दाखिल किए गए पेटेंट आवेदन

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
अंडमान & निकोबार	6	4	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	2131	1443	1	2	2	0
अरुणाचल प्रदेश	5	8	0	0	0	0
असम	214	211	0	0	0	0
बिहार	235	169	0	0	0	0
चंडीगढ़	532	507	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	278	313	0	0	0	0
दादरा और नागर हवेली और दमन & दीव	2	3	0	0	0	0
दिल्ली	1965	1916	5	5	32	39
गोवा	45	52	1	0	0	0
गुजरात	2702	1197	3	4	13	14

हरियाणा	1007	951	0	5	7	3
हिमाचल प्रदेश	259	279	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	130	81	2	0	0	0
झारखंड	574	353	0	0	0	0
कर्नाटक	6025	5369	39	28	22	11
केरल	637	497	0	0	0	0
लद्दाख	1	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	726	645	0	0	0	1
महाराष्ट्र	7138	5572	68	9	45	45
मणिपुर	9	19	0	0	0	0
मेघालय	17	29	0	0	0	0
मिजोरम	8	11	0	0	0	0
नागालैंड	18	4	0	0	0	0
उड़ीसा	350	567	0	0	0	0
पुडुचेरी	120	81	0	0	0	0
पंजाब	4603	3405	0	0	1	0
राजस्थान	1457	1271	0	2	9	5
सिक्किम	4	3	0	0	0	0
तमिलनाडु	9507	7615	21	32	37	39
तेलगांना	2795	2425	5	5	7	8
त्रिपुरा	16	35	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	5774	5562	2	1	3	1
उत्तराखंड	1085	1637	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	866	808	1	0	7	0
कुल	**51241**	**43042**	**148**	**93**	**185**	**166**

वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में दाखिल उद्गम देश के अनुसार वर्गीकृत पेटेंट आवेदन

राष्ट्रमंडल देश

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
ऑस्ट्रेलिया	7	17	10	3	286	250
कनाडा	15	18	16	19	342	331
फ़िजी	1	0	0	0	0	0
आयरलैंड	93	102	29	46	136	128
न्यूजीलैंड	0	4	0	1	47	63
पापुआ न्यू ग्युना	0	1	0	0	0	0
समोआ	0	1	1	0	0	1
श्रीलंका	1	2	0	0	8	4
यू.के.	110	55	62	48	1070	1060
कुल	**227**	**200**	**118**	**117**	**1889**	**1837**

उत्तर व दक्षिण अमरीका

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
अर्जेन्टीना	0	0	0	0	6	5
बहामास	0	0	0	0	2	1
बारबाडोस	4	1	0	1	3	2
बरमूडा	1	0	1	0	7	3
ब्राजील	2	3	20	10	70	71
केमन आइलैंड	0	3	1	12	19	25
चिली	0	14	0	1	14	12
कोलंबिया	0	1	0	0	8	4
कोस्टा रीका	0	1	0	0	0	0
क्यूबा	0	0	0	0	4	3
मैक्सिको	1	0	0	0	18	20
पनामा	0	0	0	0	1	1
पेरु	3	3	0	0	1	0
सेंट किट्स एंड नेविस	0	0	0	0	0	1
उरुग्वे	0	0	0	0	1	0
यू.एस.ए.	1980	1787	651	765	11276	12149
वर्जिन आइलैंड्स	0	0	0	0	1	2

उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अन्य देश	3	16	2	0	5	9
कुल	**1994**	**1816**	**675**	**789**	**11436**	**12308**

परिशिष्ट - ख1 (जारी)

यूरोप

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
ऑस्ट्रीया	5	5	18	7	268	265
बेलारूस	0	0	0	0	1	1
बेल्जियम	11	3	5	6	250	246
ब्रिटिश आइल्स	0	0	0	1	0	2
बुल्गारिया	1	2	0	0	5	4
चैनल आइलेंड	0	0	0	0	0	0
साइप्रस	0	1	0	0	4	4
चेक गणराज्य	0	2	6	0	29	17
डेनमार्क	36	19	14	9	318	321
इस्टोनिया	1	0	1	0	8	2
फ़िनलैंड	312	172	44	43	367	357
फ़्रांस	125	99	122	167	929	802
जर्मनी	575	407	374	313	2086	1842
जिब्राल्टर	0	0	0	0	1	0
ग्रीस	0	0	0	0	11	13
हॉलैंड	0	0	0	0	0	0
हंगरी	0	0	1	0	15	17
आइस लैंड	0	1	0	0	6	1
इटली	5	5	71	69	569	490
लातविया	0	0	0	0	0	3
लिक्टन्स्टाइन	0	0	0	0	11	2
लग्जमबर्ग	7	0	24	0	118	106
माल्टा	0	0	0	0	5	3
मोनाको	0	0	0	0	1	3
नीदरलैंड्स	181	133	26	18	744	796
नार्वे	5	11	0	1	93	96

पोलैंड	1	0	1	3	38	41
पुर्तगाल	0	0	2	0	13	19
रोमानिया	0	1	2	0	6	4
रूस	1	1	12	6	90	96
सैन मैरिनो	0	0	0	0	1	0
स्लोवाकिया	1	0	0	0	10	4
स्लोवेनिया	0	0	0	0	8	8
स्पेन	4	4	36	48	188	178
स्वीडन	34	22	15	21	835	791
स्विट्जरलैंड	158	160	124	101	1285	1140
तुर्की	1	1	1	1	37	37
यूक्रेन	0	0	0	0	1	4
अन्य यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ	0	1	1	4	16	18
कुल	**1464**	**1049**	**900**	**818**	**8367**	**7733**

परिशिष्ट-ख1 जारी

अफ्रीका

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
इजिप्ट	0	1	0	0	2	4
कीनिया	0	1	0	0	0	3
मॉरिशस	21	28	2	0	9	14
मोरक्को	0	0	0	0	4	3
नामीबिया	0	0	0	0	0	1
दक्षिण अफ्रीका	4	4	1	0	25	25
सेशल्स	0	0	1	1	0	0
स्वाजीलैंड	2	0	0	0	1	0
अन्य अफ्रीकी देश	10	28	0	0	8	4
कुल	**37**	**62**	**4**	**1**	**49**	**54**

एशिया

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
बाहरीन	4	3	0	0	0	0
चीन	32	57	290	280	3490	3885
चाइनीज़ ताइपे	1	0	0	0	1	0
हाँग-काँग(चीन)	1	1	9	6	9	5
इंडोनेशिया	2	6	0	1	0	2
ईरान	0	0	0	0	9	3
इजराइल	26	23	9	14	347	314
जापान	139	73	828	818	3797	3653
जॉर्डन	1	1	0	0	1	0
कजाखिस्तान	0	0	0	0	5	2
कुवैत	1	0	0	0	0	1
मलेशिया	2	6	4	10	20	18
नेपाल	4	0	0	0	0	0
ओमान	17	41	0	0	1	1
पाकिस्तान	0	1	1	1	0	0
फिलीपींस	0	0	0	0	1	2
कोरिया गणराज्य	921	791	286	201	2268	1866
सउदी अरब	23	32	0	1	13	16
सिंगापुर	214	81	14	7	225	155
ताइवान	70	44	220	192	29	23
थाइलैंड	1	6	2	0	19	17
यू.ए.ई	35	15	0	1	23	21
उज्बेकिस्तान	4	2	0	0	0	0
वियतनाम	0	1	0	1	2	2
अन्य एशियाई देश	12	16	0	0	1	7
कुल	**1510**	**1200**	**1663**	**1533**	**10261**	**9993**
कुल योग	**56473**	**47369**	**3508**	**3351**	**32187**	**32091**

पिछले 10 वर्षों में प्रवासी और भारत में रहने वाले द्वारा विभिन्न माध्यमों से दाखिल आवेदन

आवेदक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत में रहने वाले	12071	13066	13219	15550	17005	20843	24326	29508	43301	**51574**
प्रवासी										
साधारण	1461	1915	2084	2290	2777	3156	3565	3955	4327	**5232**
कन्वेन्शन	3174	3675	3649	3610	3911	3637	3382	3212	3258	**3360**
पीसीटी के तहत राष्ट्रीय फेज आवेदन	26057	28248	26492	26404	26966	28832	27230	29765	31925	**32002**
कुल योग	**42763**	**46904**	**45444**	**47854**	**50659**	**56468**	**58503**	**66440**	**82811**	**92168**

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान पेटेंट संबंधी विविध सूचना

वर्ष	दाखिल आवेदनों की संख्या	परीक्षण हेतु अनुरोधों की संख्या	पूर्ण विनिर्देश दाखिल नहीं करने के कारण परित्यक्त मान लिए गए आवेदनों की संख्या धारा 9 (1)	धारा 21 (1) के तहत अननुपालन के कारण परित्यक्त समझे गए आवेदनों की कुल संख्या	अनुदत्त पेटेंट की संख्या		प्रवृत्त पेटेंट की संख्या	
					भारतीय पेटेंटी	विदेशी पेटेंटी	भारतीय पेटेंटी	विदेशी पेटेंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-15	42763	34958	12	6970	684	5294	7561	35695
2015-16	46904	35960	1226	12782	918	5408	7306	37218
2016-17	45444	38578	4357	10408	1315	8532	7660	41105
2017-18	47854	37208	184	24992	1937	11108	8830	47934
2018-19	50659	38665	3779	30458	2511	12772	9787	54899
2019-20	56267	42007	3761	23291	4003	20933	12181	69098
2020-21	58503	42196	295	17944	5629	22756	15687	83211
2021-22	66440	46230	0	1	6397	23676	19700	96216
2022-23	82811	48373	0	19303	9239	24895	26165	111168
2023-24	**92168**	**56905**	**4393**	**4305**	**25082**	**77975**	**47335**	**175910**

परिशिष्ट -ङ

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत 2019-20 से 2023-24 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र /वर्ष	रसायन	औषध	पॉलीमर विज्ञान व प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स	संचार	वैद्युतिक	भौतिकी	जैव चिकित्सा	यांत्रिक अभियांत्रिकी	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट- ङ1 देखें)	कुल
2019-20	5198	5622	1309	11126	6862	4587	2646	3508	10359	5050	**56267**
2020-21	8809	80	1508	11930	6660	3743	2842	4911	10540	7480	**58503**
2021-22	5173	5179	858	15575	7314	4286	3007	5288	11969	7791	**66440**
2022-23	11715	0	1739	20355	8373	5666	3901	6963	14582	9517	**82811**
2023-24	**13093***	**0**	**1990**	**25826**	**7864**	**6596**	**4305**	**7376**	**14811**	**10307**	**92168**

* रासायनिक आवेदनों में फार्मास्युटिकल आवेदन शामिल हैं

परिशिष्ट -ङ 1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2019-20 से 2023-24 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र /वर्ष	जैव-प्रौद्योगिकी	जैव-रसायन	खाद्य	माइक्रो-बायोलॉजी	धातुकर्म व सामग्री विज्ञान	वस्त्र	सिविल	सामान्य अभियांत्रिकी	एग्रो-केमिकल्स	कृषि अभियांत्रिकी	पारंपरिक ज्ञान	विविध
2019-20	1065	442	1111	17	836	693	816	27	19	13	11	0
2020-21	3368	820	617	0	870	900	827	31	3	11	6	0
2021-22	3530	906	690	1	1004	793	866	0	1	0	0	0
2022-23	3758	1697	833	0	1053	884	1292	0	0	0	0	0
2023-24	**3883**	**1787**	**854**	**0**	**1161**	**807**	**1243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**572**

परिशिष्ट –च

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र /वर्ष	रसायन	औषध	पॉलीमर विज्ञान व प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स	संचार	वैद्युतिक	भौतिकी	जैव चिकित्सा	यांत्रिकी अभियांत्रिकी	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट- च1 देखें)	कुल
2019-20	4848	1930	923	2141	2692	2451	1349	565	5301	2736	**24936**
2020-21	6074	1264	1745	2049	2857	2637	1396	703	6348	3312	**28385**
2021-22	4279	3317	893	2459	3238	3084	1609	982	6832	3380	**30073**
2022-23	6958	0	1237	3718	3795	3489	1971	1165	8663	3138	**34134**
2023-24	**9860***	**0**	**1981**	**18697**	**9913**	**8920**	**6171**	**5697**	**31249**	**10569**	**103057**

* रासायनिक आवेदनों में फार्मास्युटिकल आवेदन शामिल हैं

परिशिष्ट-च1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2019-20 से 2023-24 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र /वर्ष	जैव-प्रौद्योगिकी	जैव-रसायन	खाद्य	माइक्रो-बायोलॉजी	धातुकर्म व सामग्री विज्ञान	वस्त्र	सिविल	सामान्य अभियांत्रिकी	एग्रो-केमिकल्स	कृषि अभियांत्रिकी
2019-20	357	188	114	152	363	493	280	446	289	54
2020-21	574	236	169	151	634	443	412	378	236	79
2021-22	611	232	234	140	571	430	464	420	170	108
2022-23	903	244	293	0	698	498	502	0	0	0
2023-24	**2379**	**745**	**378**	**0**	**2982**	**2024**	**2061**	**0**	**0**	**0**

अधिनियम व नियम के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के संदर्भ में वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त शुल्क

क्रम सं.	एकत्रित शुल्क का संदर्भ	प्राप्त कुल राशि (रु.)
1	1- अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश के साथ पेटेंट के लिए नया आवेदन पृष्ठों व दावों की संख्या का निरीक्षण	2,39,10,93,192
2	2- अनंतिम विनिर्देश के बाद पूर्ण -फॉर्म 2 पृष्ठों व दावों की संख्या का निरीक्षण	3,49,64,950
3	4(i)- धारा 53(2) व 142(4), नियम 13(6), 80(1क) व 130 के अंतर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध पर - फॉर्म 4	1,89,39,730
4	4(ii)- नियम 24 ख के उपनियम (5) के अंतर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध पर- फॉर्म 4	2,52,15,700
5	6- उत्तर दिनांकन के लिए आवेदन	13,59,520
6	8(i)- आवेदक का प्रतिस्थापन /परिवर्तन -फॉर्म 6	94,18,640
7	8(ii)- उत्तरजीवी /अन्य पक्ष के नाम पर कार्यवाही करने का अनुरोध	99,280
8	9- विरोध की सूचना - फॉर्म 7 (अनुदानोत्तर)	10,54,600
9	10- सुनवाई में उपस्थिति हेतु सूचना – कोई फॉर्म नहीं	6,22,700
10	11- किसी पेटेंट में आविष्कारक के रूप में उल्लेख -फॉर्म 8	61,62,320
11	12- शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध -फॉर्म 9	8,96,60,000
12	13-पेटेंट संशोधन हेतु आवेदन- फॉर्म 10	2,400
13	16-अतिरिक्त पेटेंट को स्वतंत्र पेटेंट में परिवर्तित करना	2,400
14	पेटेंट का नवीकरण	5,25,21,46,297
15	18(i)- अनुदान पूर्व आवेदन का संशोधन -फॉर्म 13	3,97,31,760
16	18(ii)- अनुदानोत्तर आवेदन का संशोधन -फॉर्म 13	10,44,950
17	18(iii)- नाम/पता/राष्ट्रीयता/सेवार्थ पते में संशोधन -फॉर्म 13	1,64,53,200
18	19- संशोधन/प्रत्यावर्तन/परित्याग का विरोध – फॉर्म 14	24,000
19	20- पेटेंट का प्रत्यावर्तन -फॉर्म 15	27,53,650
20	21- प्रत्यावर्तन हेतु अतिरिक्त शुल्क	18,74,200
21	22- पेटेंट परित्याग का प्रस्ताव	61,000
22	24- पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए -फॉर्म 16	2,93,33,100
23	25- पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के बदलाव के लिए	84,05,410
24	26- अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि हेतु	5,82,400

25	28(i)- 18 महीने के प्रकाशन के उपरांत परीक्षण हेतु अनुरोध - फॉर्म 18	79,63,76,800
26	28(ii)- त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध -फॉर्म 18	1,71,97,600
27	32- पेटेंट अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण -फॉर्म 22	22,28,400
28	33- अभिकर्ता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुरोध	70,23,402
29	34(i)- रजिस्टर में अभिकर्ता नाम जारी रखना -प्रथम वर्ष	5,57,120
30	34(ii)- रजिस्टर में अभिकर्ता नाम जारी रखना -द्वितीय वर्ष से	50,94,480
31	36- रजिस्टर में अभिकर्ता के नाम का प्रत्यावर्तन -फॉर्म 23	71,750
32	37- लिपिकीय त्रुटियों का सुधार	51,81,200
33	38- नियंत्रक के निर्णय की समीक्षा हेतु आवेदन -फॉर्म 24	7,86,300
34	39- भारत के बाहर पेटेंट आवेदन करने हेतु अनुमति -फॉर्म 25	3,18,07,450
35	40 – प्रतिलिपि पेटेंट हेतु आवेदन (एलपी)	1,600
36	41- धारा 72 के अधीन सत्यापित प्रति अथवा धारा 147 व नियम 133(1) के अधीन प्रमाण पत्र	1,32,28,400
37	42- कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन हेतु, प्रत्येक मुद्रण	72,000
38	43- रजिस्टर की जांच हेतु अनुरोध	9,600
39	44- सूचना हेतु अनुरोध	1,43,520
40	46-पूर्विक्ता दस्तावेज़ दाखिल करने में देरी /अनियमितता ठीक करने /देरी ठीक करने हेतु याचिका	17,68,81,950
41	47-दस्तावेज़ की छायाप्रति की आपूर्ती	6,714
42	48- अंतरराष्ट्रीय आवेदन हेतु पारेषण शुल्क	42,200
43	49- पूर्विक्ता दस्तावेज़ की सत्यापित प्रति तैयार करना	55,550
44	विविध - फॉर्म 30	2,27,046
45	गैर राजस्व	8,74,518
46	सूचना का अधिकार	56000
47	फॉर्म 7क (अनुदान पूर्व)	76,000
48	4(iii) नियम 24(ग) के उप नियम 11 के अंतर्गत समय के विस्तार हेतु अनुरोध – फॉर्म 4	2,62,000
49	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण हेतु अनुरोध का शीघ्र परीक्षण में परिवर्तन – फॉर्म 18 क	5,00,68,000
50	नियम 129 क के अंतर्गत सुनवाई के स्थगन हेतु अनुरोध	5,51,35,000

51	धारा 72 के अधीन सत्यापित प्रतियाँ अथवा धारा 147 व नियम 133 (2) के अंतर्गत प्रमाण पत्र	63,01,620
52	आवेदक के प्रकार में परिवर्तन से संबंधित बकाया शुल्क	85,99,440
53	दावे, पृष्ठ, संशोधन के उपरांत सीक्वेंस लिस्टिंग में वृद्धि से संबंधित शुल्क	2,71,99,120
54	1. विरोधी का लिखित कथन एवं साक्ष्य (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क) / 2. हलफ़नामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)	55,000
55	1. पेटेंटी का लिखित कथन एवं साक्ष्य (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)/ 2. हलफ़नामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)	42,000
56	कार्यालय कार्रवाई का उत्तर (अनिवार्य)	10,15,061
57	फॉर्म 31	500
58	नियम 70क के तहत आविष्कारकर्ता का प्रमाणपत्र – फॉर्म 8क	11,700
59	गैर राजस्व (वेतन गैर-योजना)	33,580
60	गैर राजस्व (कार्यालय व्यय गैर-योजना)	3,97,648
61	अन्य प्राप्ति	17,16,701
62	विविध – फॉर्म 30 [नियम 6(6) के तहत याचिका]	1,980
	कुल	**₹ 9,13,98,44,349**

…………………………………

अध्याय –IV

पेटेंट सहयोग संधि

परिचय

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रशासित पेटेंट सहयोग संधि सदस्य देशों के आवेदकों को 157 देशों में पेटेंट अनुदान हेतु एकल अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली कई लाभ प्रदान करती है जिसमें प्रत्येक देश में राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करने से पूर्व अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) और वैकल्पिक रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईपीईआर) प्रदान करना शामिल है। ये रिपोर्ट उच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विश्व के पेटेंट कार्यालयों में से एक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे विशेष रूप से वायपो द्वारा अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय पेटेंट कार्यालय पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) और अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) दोनों के रूप में कार्य करता है।

1. पीसीटी के तहत प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय:

प्रवासी या भारत का नागरिक पीसीटी के तहत भारतीय पेटेंट कार्यालय के माध्यम से प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईएन) अथवा वायपो के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के माध्यम से प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईबी) के रूप में अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल कर सकता है।

1.1 आरओ/आईएन और आरओ/आईबी के माध्यम से भारत के नागरिकों / प्रवासियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति:

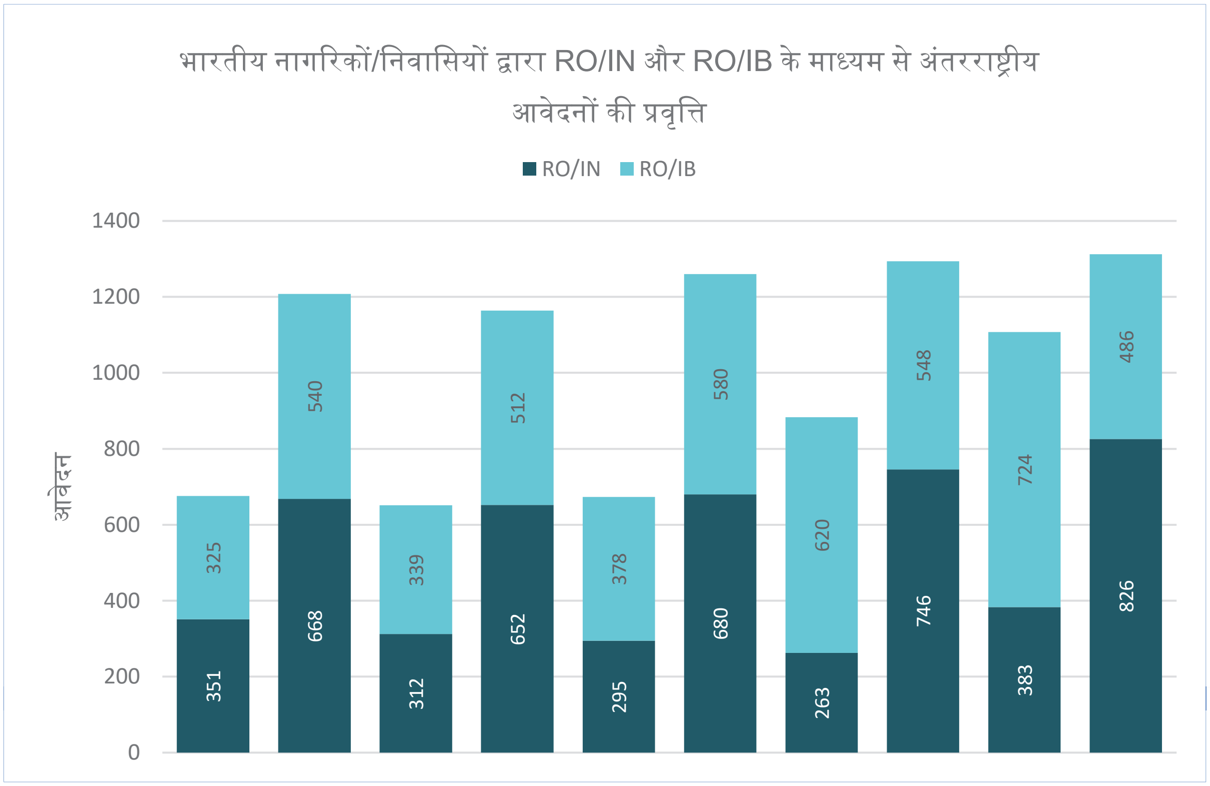

वर्ष	आरओ/आईएन			आरओ/आईबी			कुल योग
	आवेदक का प्रकार		कुल	आवेदक का प्रकार		कुल	(आरओ/आईएन व आरओ/आईबी)
	वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी		वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी		
2019-20	351	668	1019	325	540	865	1884
2020-21	312	652	964	339	512	851	1815
2021-22	295	680	975	378	580	958	1933
2022-23	263	746	1009	620	548	1168	2177
2023-24	**383**	**826**	**1209**	**724**	**486**	**1210**	**2419**

1.2 ईपीसीटी के माध्यम से दाखिल आवेदन :

आरओ/आईएन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में पेटेंट कार्यालयों के काउंटरों पर कागज पर या वायपो द्वारा प्रस्तावित ईपीसीटी फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है। आरओ/आईबी के माध्यम से फाइलिंग कागज पर या ईपीसीटी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी की जा सकती है।

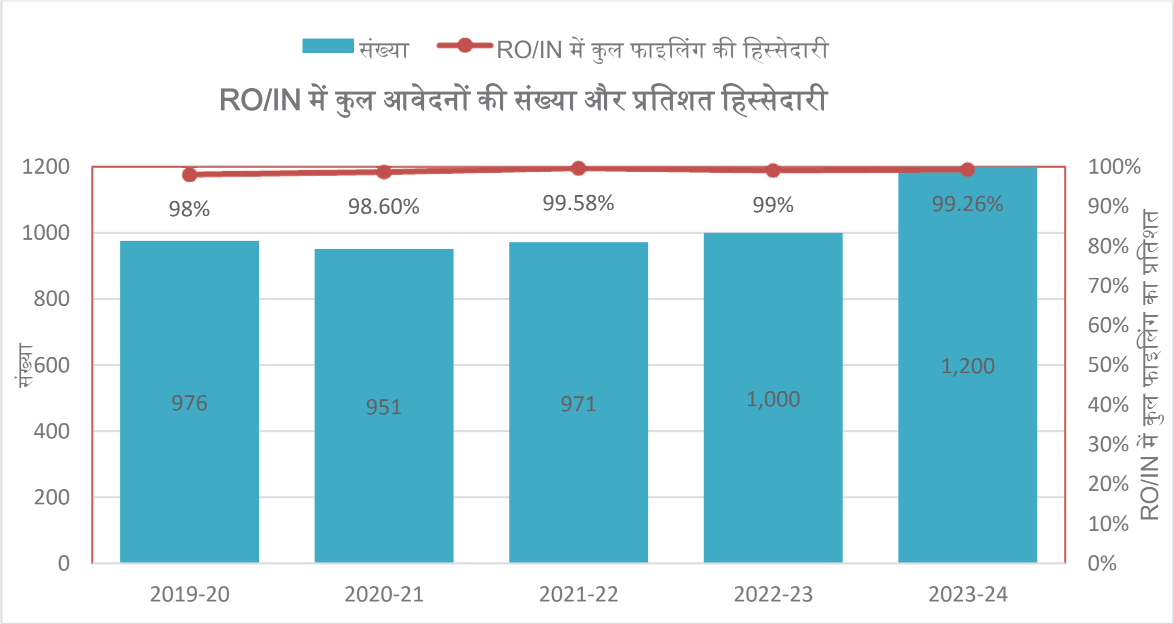

इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी के माध्यम से आरओ/आईएन में दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदन:

वर्ष	**संख्या**	**आरओ/आईएन में कुल आवेदन का भाग**
2019-20	976	98%
2020-21	951	98.6%
2021-22	971	99.58%

2022-23	1000	99%
2023-24	**1200**	**99.26%**

1.3 इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही व समयबद्धता:

आरओ/आईएन अंतरराष्ट्रीय आवेदनों पर आगे की कार्यवाही के लिए ईपीसीटी का उपयोग करता है और ईपीसीटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड प्रतियां और खोज प्रतियां प्रेषित करता है। अप्रैल 2017 से इन कार्यों को आईपीओ दिल्ली में केंद्रीकृत किया गया है। ईसर्च प्रतियां आरओ/आईएन द्वारा 8 में से 7 आईएसए को प्रेषित की जाती हैं जिन्हें भारतीय आवेदकों के लिए सक्षम घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय फाइलिंग तिथि से 4 सप्ताह की निर्धारित समय सीमा के भीतर वायपो के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में रिकॉर्ड प्रतियां भेजने में समयबद्धता को 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में 100% कायम रखा गया।

2023-24 में भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल शीर्ष पीसीटी आवेदन (आरओ/आईएन)

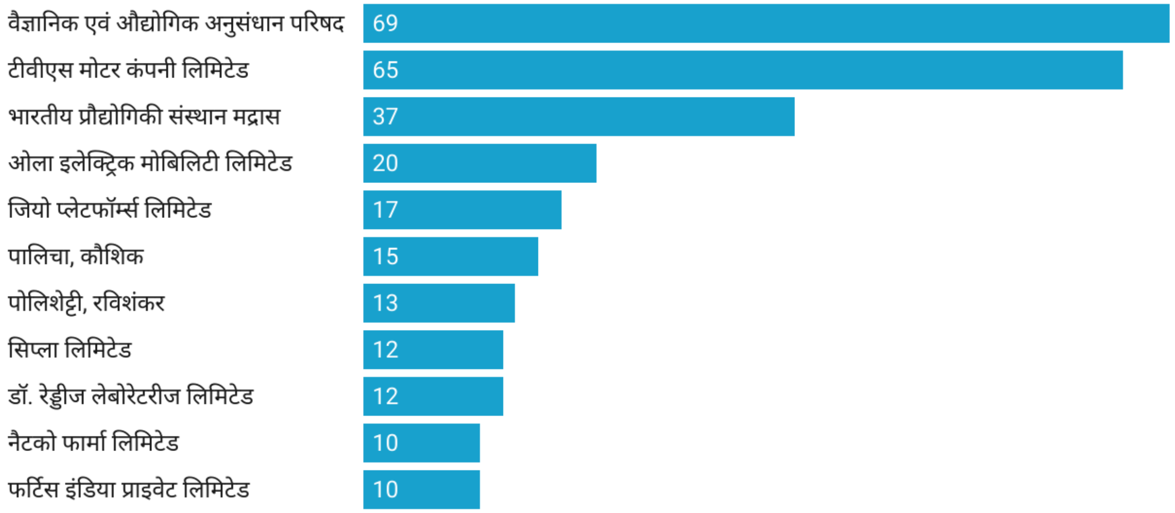

2023-24 में भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल शीर्ष पीसीटी आवेदन (आरओ/आईएन)

क्रम सं.	आवेदक का नाम	कुल आवेदन
1	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद	69
2	टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड	65
3	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान मद्रास	37
4	ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड	20
5	जियो प्लेट्फोर्म्स लिमिटेड	17
6	पलीचा, कौशिक	15
7	पोलिशेट्टी, रविशंकर	13
8	सिप्ला लिमिटेड	12
9	डॉ रेड्डीस लेबोरेटरिस लिमिटेड	12
10	नैटको फार्मा लिमिटेड	10
11	फेर्टिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	10

1.4 पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) व अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय:

भारतीय पेटेंट कार्यालय को वायपो द्वारा पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु मान्यता प्रदान की गई है और इसने 15 अक्टूबर 2013 से कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, भारत, ईरान और जापान के नागरिकों / निवासियों द्वारा दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिए आईपीओ सक्षम आईएसए/आईपीईए था।

क) आईएसए /आईएन में खोज प्रतियों (दाखिल, निपटान, आहरित व वर्ष के दौरान के दौरान लंबित) संबंधी वर्ष-वार विवरण:

वर्ष	दाखिल	निष्पादित	आहरित	वर्ष के दौरान लंबित
2014-15	519	502	4	129
2015-16	711	621	1	218
2016-17	940	983	0	175
2017-18	1213	1156	1	231
2018-19	1738	1639	3	327
2019-20	1654	1640	2	339
2020-21	1780	1793	1	325
2021-22	2016	1959	1	381
2022-23	1933	1973	7	334
2023-24	**2077**	**1987**	**0**	**272**

ख) वर्ष के दौरान आईपीईए/आईएन में प्राप्त मांगों (दाखिल, निष्पादित, आहरित व लंबित) संबंधी वर्ष-वार विवरण:

वर्ष	दाखिल	निष्पादित	आहरित	वर्ष के दौरान लंबित
2014-15	11	0	1	10
2015-16	24	14	1	19
2016-17	30	28	1	20
2017-18	49	29	0	40
2018-19	61	54	1	46
2019-20	65	87	1	23
2020-21	79	69	5	28
2021-22	58	58	4	24
2022-23	58	56	4	22
2023-24	**66**	**57**	**2**	**34**

ग) आईएसए/आईपीईए में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली:

भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) ने पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार आईएसए/आईपीईए के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की है। आईएसए/आईपीईए का गुणवत्ता सेल में विभिन्न विषय के विशेषज्ञ परीक्षक व नियंत्रक शामिल होते हैं, रिपोर्ट की स्थापना व आवेदक तथा वायपो को इसकी रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व, रिपोर्ट की गुणवत्ता की जाँच करते हैं।

घ) समयबद्धता:

यदि आवेदकों द्वारा ईमेल उपलब्ध कराया गया है तो आईपीओ ईमेल द्वारा अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करता है और वायपो के साथ स्थापित सुरक्षित ट्रांसमिशन चैनल पीसीटी के ई-आईडी माध्यम से वायपो को रिपोर्ट प्रसारित करता है। आवेदकों को रिपोर्ट की सूचना इसकी स्थापना की तारीख पर तुरंत ही प्रेषित की जाती है। सभी रिपोर्ट आईएसए में विहित समय के भीतर ही स्थापित की जाती है।

ङ) खोज रणनीतियों का प्रकाशन:

आईपीओ ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के पेटेंट्सस्कोप सर्च पोर्टल पर प्रकाशन हेतु उन अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की खोज रणनीतियों को साझा करना प्रारंभ किया है जिनके लिए 1 जनवरी, 2018 से रिपोर्ट स्थापित की गई है। भारत इस सेवा को प्रारंभ करने वाले 23 प्राधिकरणों में से सातवां अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण है। पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में यह आईपीओ द्वारा महत्वपूर्ण कदम है जो आईपीओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति आवेदकों में विश्वास भरता है। पूर्ण खोज रणनीतियाँ आवेदक के साथ-साथ अन्य कार्यालयों के परीक्षकों के लिए भी उपयोगी हैं ताकि उद्धरणों को खोजने के लिए आईएसए के परीक्षक द्वारा किए गए प्रयास के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके।

च) आईपीओ को आईएसए /आईपीईए के रूप में चयन करने वाले आवेदक:

पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के आवेदक जो भारत, ईरान और जापान के नागरिक/प्रवासी हैं, भारतीय पेटेंट कार्यालय को आईएसए/आईपीईए के रूप में चुन सकते हैं। आईएसए/ आईपीईए के रूप में आईपीओ का चयन करने वाले आवेदकों में वैयक्तिक आविष्कारक, स्टार्ट अप, प्रमुख अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, भारतीय बहु-राष्ट्रीय समूह, विदेशी बहु-राष्ट्रीय फर्मों की भारतीय इकाइयाँ और भारतीय आविष्कारक या भारतीय कंपनियों के साथ सह आवेदक के रूप में विदेशी कंपनियाँ शामिल हैं।

2023-24 के दौरान आईएसए के रूप में आईपीओ का चयन करने वाले शीर्ष आवेदक

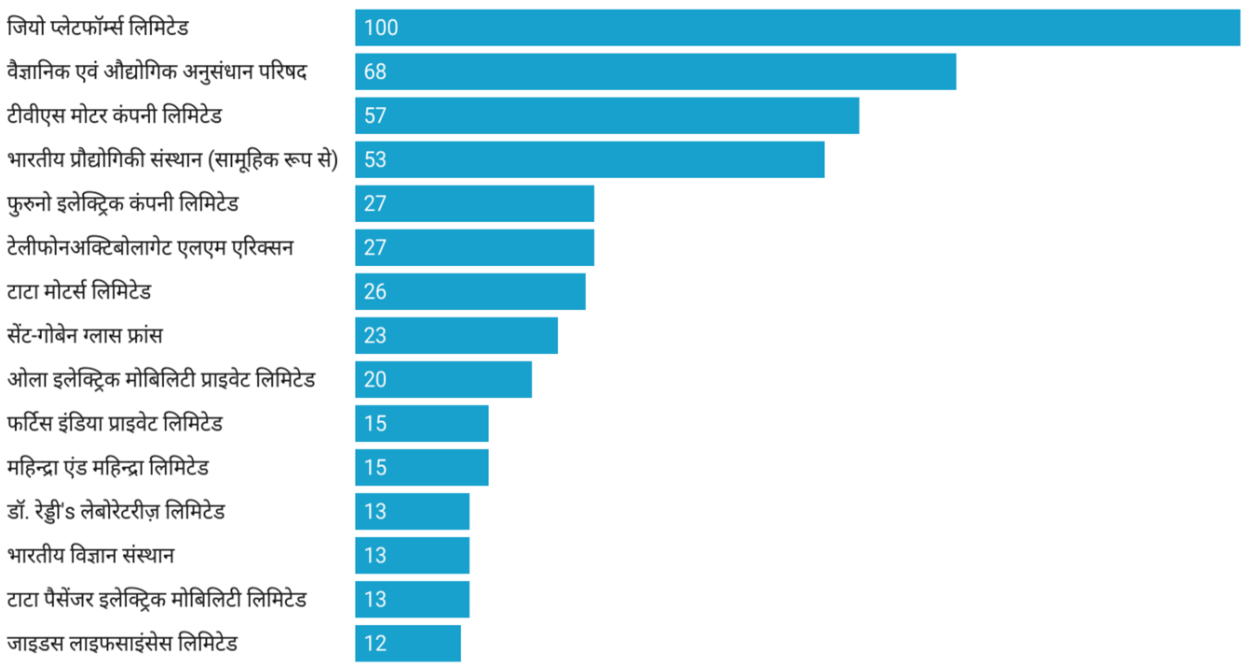

2023-24 के दौरान आईएसए के रूप में आईपीओ का चयन करने वाले शीर्ष आवेदक

क्रम सं.	आवेदक का नाम	कुल आवेदन
1	जियो प्लेटफ़ॉर्म लिमिटेड	100
2	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	68
3	टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड	57
4	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)	53
5	फ्यूरुणो इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड	27
6	टेलीफोनैक्टीबोलगेट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल)	27
7	टाटा मोटर्स लिमिटेड	26
8	सेंट-गोबेन ग्लास फ्रांस	23
9	ओला इलैक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	20
10	फेर्टिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	15
11	महिंद्रा & महिंद्रा लिमिटेड	15
12	डॉ रेड्डीस लेबोरेटरिस लिमिटेड	13
13	भारतीय विज्ञान संस्थान	13
14	टाटा पैसेंजर इलैक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड	13
15	जाइडस लाइफ़साइंसेस लिमिटेड	12

………………………………………..

डिजाइन

परिचय :

भारत में औद्योगिक डिजाइन का पंजीकरण और संरक्षण डिजाइन अधिनियम 2000 तथा तत्संबंधी डिजाइन नियम 2001 द्वारा प्रशासित होता है जो 11 मई 2001 से लागू हुआ। डिजाइन नियम 2001 को डिजाइन नियम (संशोधन) 2008, 2014, डिजाइन नियम (संशोधन) 2021 द्वारा संशोधित किया गया। औद्योगिक डिजाइन नए आकार की नई मूल विशेषताओं के निर्माण, आकृति, सतह विन्यास, सतह अलंकरण, किसी वस्तु पर पंक्तियों अथवा रंगों की संरचना जो निर्मित होने के उपरांत केवल आँखों से परखी जा सके उसे मान्यता प्रदान करता है।

डिजाइन नियमों में नवीनतम संशोधन 25 जनवरी, 2021 से लागू हुआ, जिसमें 'स्टार्टअप' के रुप में मान्यता प्राप्त एक नई श्रेणी सम्मिलित की गई है, जो भारतीय इकाई के मामले में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो एवं विदेशी आवेदक के मामले में, आवेदक को स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुसार टर्नोवर और निगमन या पंजीकरण की अवधि के मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ इस आशय का घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी। यह नवीनतम श्रेणी 'प्रकृत व्यक्ति' (व्यक्तियों), लघु इकाई (इकाईयों) एवं 'अन्य, अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) और /या स्टार्टअप और या लघु इकाई के साथ पहले से मौजूद श्रेणियों के अतिरिक्त है। लघु इकाई या स्टार्टअप के लिए शुल्क को भी संशोधित कर प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के शुल्क के समान कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, नियम 10 के उपनियम (1) को भी प्रतिस्थापित किया गया है तथा डिजाइन के पंजीकरण और नियमों के प्रयोजन के लिए वस्तुओं को " विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) द्वारा प्रकाशित औद्योगिक डिजाइन हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली (लोकार्नो प्रणाली) के 'वर्तमान संस्करण' के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

1. दाखिल एवं पंजीकृत डिजाइन आवेदन

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, डिजाइन पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या 30389 रही एवं 30670 डिजाइन पंजीकृत किए गए। डिजाइन आवेदन दाखिल करने एवं उनके पंजीकरण की प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई है:

दाखिल एवं पंजीकृत डिजाइन आवेदन की प्रवृत्ति:

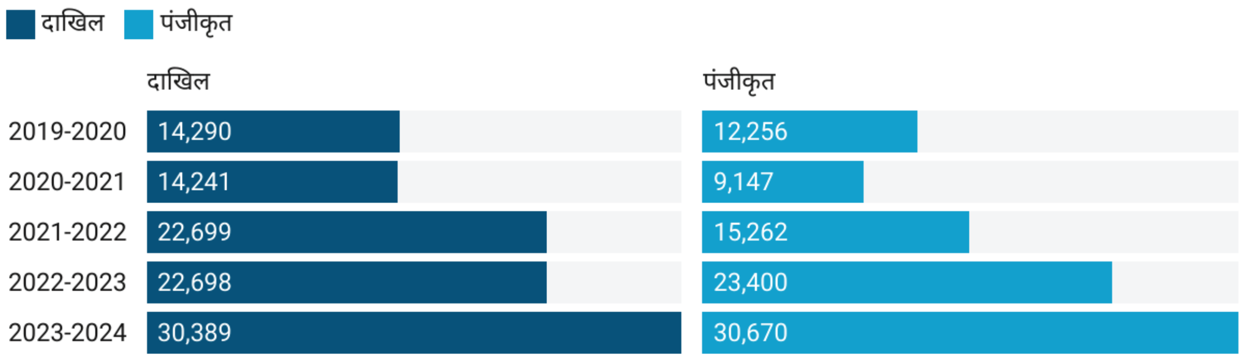

1.1. भारत एवं विदेशों से उद्गमित आवेदन :

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान भारत से उद्गमित आवेदनों की संख्या 26536 थी जबकि 3853 डिजाइन आवेदन विदेशों से प्राप्त हुए। कुल दाखिल आवेदनों में से भारत से आवेदन 87% रहे। डिजाइन आवेदनों को दाखिल करने एवं आवेदन के उद्गम के आधार पर इसके पंजीकरण की प्रवृत्ति को ग्राफ द्वारा नीचे दर्शाया गया है।

उद्गम के आधार पर डिजाइन आवेदनों की प्रवृत्ति

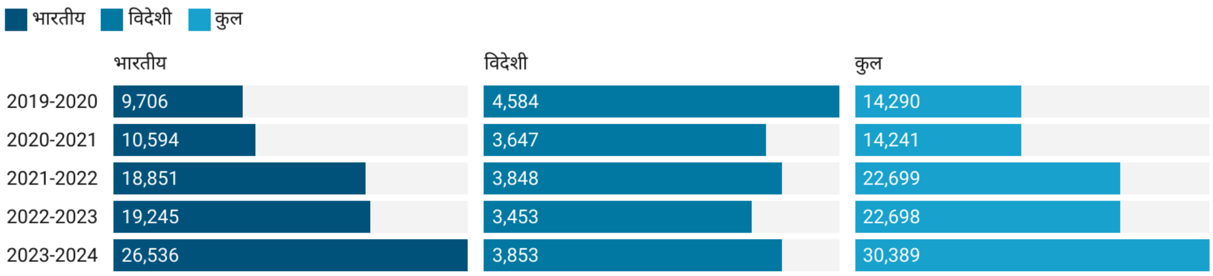

1.2. भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन-

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या 26536 रही, जिनमें से 5230 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। 3261 आवेदनों के साथ तमिलनाडु ने दूसरा स्थान प्राप्त किया जबकि 3088 आवेदनों के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। शीर्ष 20 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र जिनसे आवेदन प्राप्त हुआ है उनकी ग्राफिक प्रस्तुति नीचे दी गई है।

शीर्ष 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन

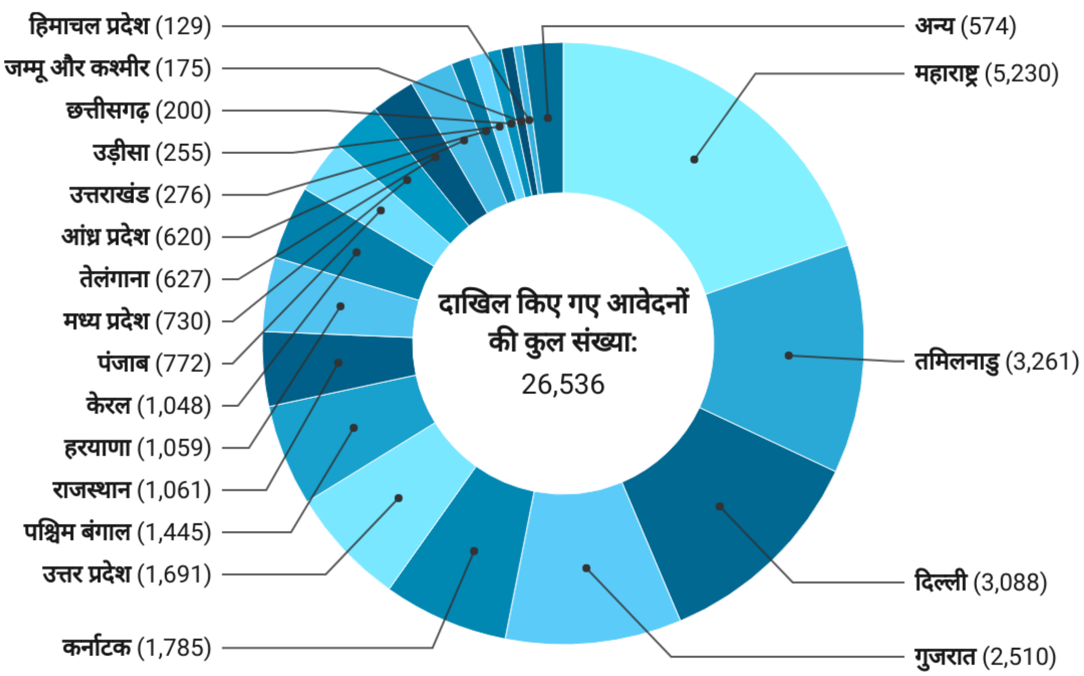

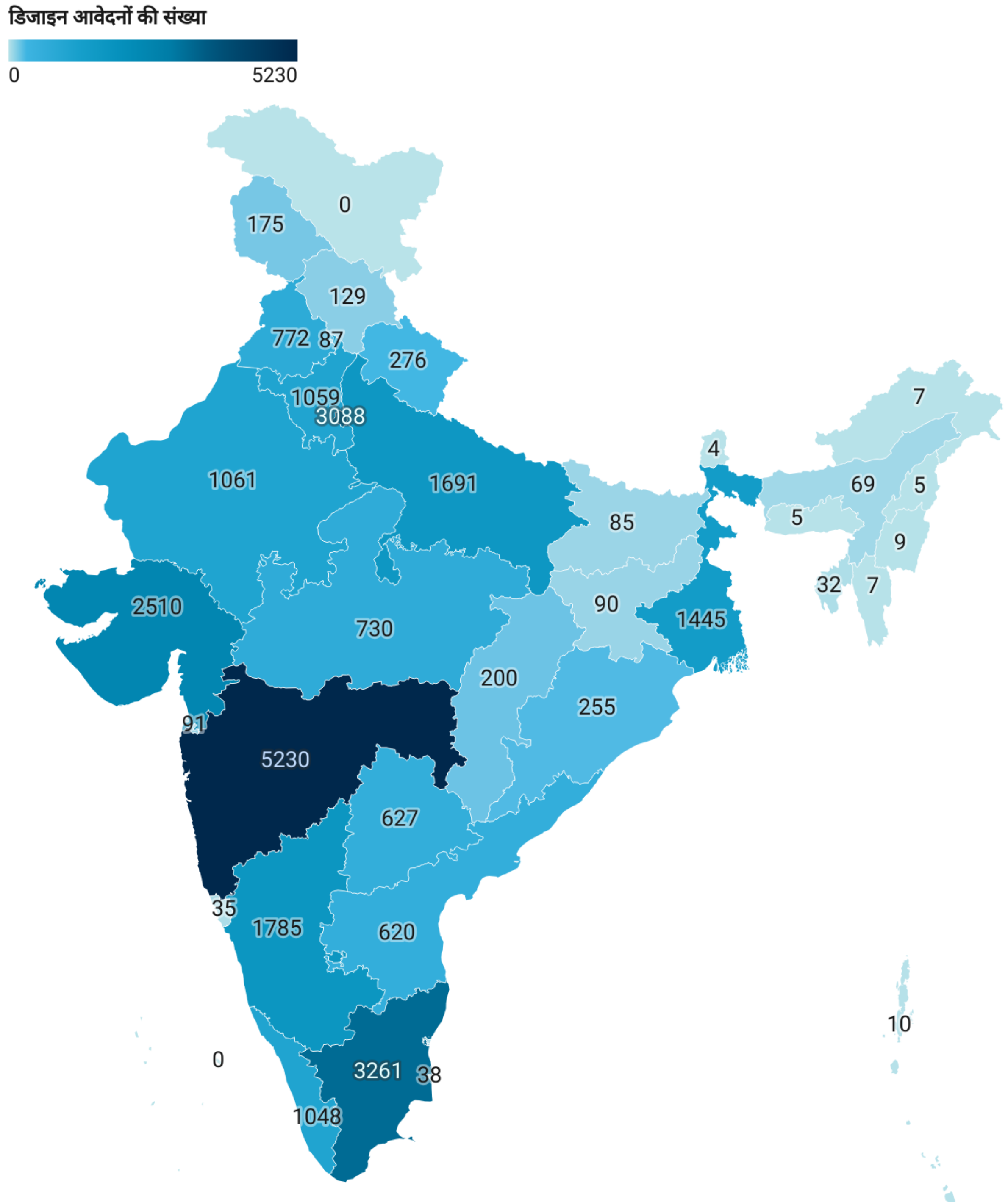
डिजाइन आवेदनों की संख्या
0
5230
0
175
129
772
87
276
1059
3088
1061
1691
4
7
69
5
5
9
85
32
7
2510
90
1445
730
200
255
91
5230
627
35
1785
620
10
0
3261
38
1048

शीर्ष पाँच भारतीय आवेदक :

भारतीय आवेदक सब्यसाची कलकत्ता एलएलपी (1067), यूफोरिक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (844), हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (422), अपाला (268), हैवेल्स इंडिया लिमिटेड (236), आदि अग्रणी रहे।

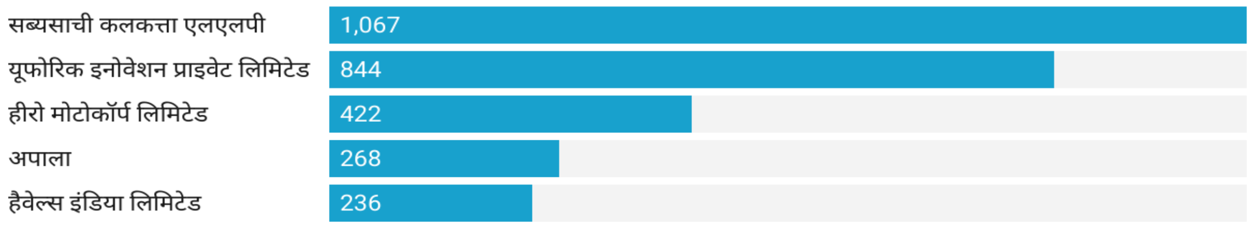

1.3. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन:

विदेशों से उद्गमित 3853 आवेदनों के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकतम आवेदनों (1137) के साथ अग्रणी रहा, जिसके बाद क्रमशः जर्मनी (362), चीन (301), जापान (299), कोरिया गणराज्य (275), स्विट्जरलैंड (223), यूके (178), नीदरलैंड (174), फ्रांस (119), और इटली (102) का स्थान है। डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत पारस्परिक व्यवस्था के तहत 2232 आवेदनों ने प्रायिकता का दावा किया। शीर्ष 10 देशों / विदेशी उद्गम क्षेत्रों से प्राप्त हुए आवेदनों का ग्राफिक विवरण नीचे दर्शाया गया है:

विदेशी डिज़ाइन आवेदनों का दाखिला – देश/क्षेत्र अनुसार- 2023-24

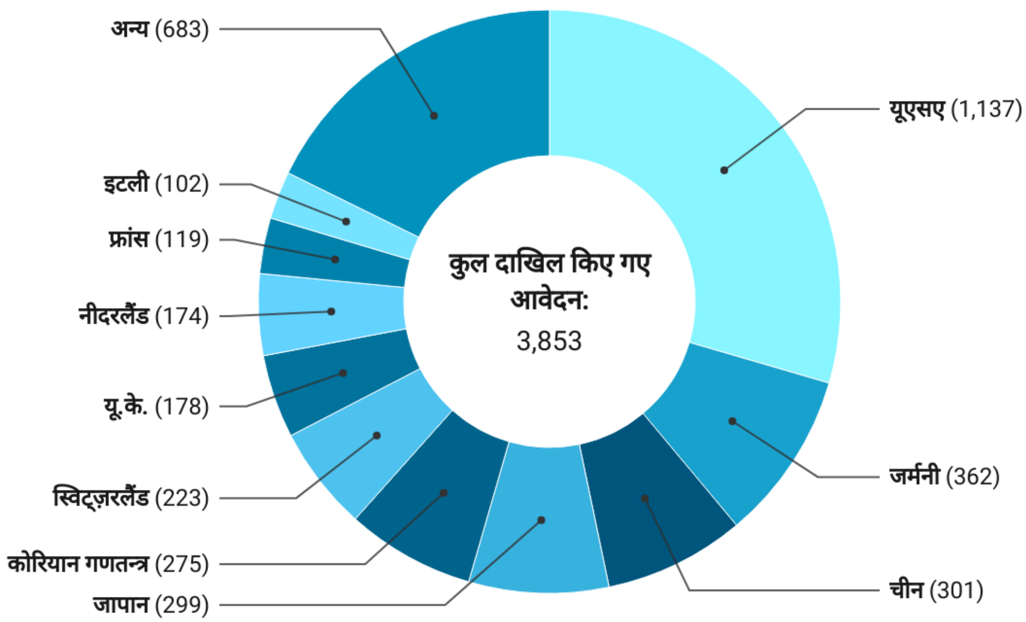

शीर्ष पाँच अग्रणी विदेशी आवेदक :

डिजाइन आवेदन दाखिल करने वाले अग्रणी विदेशी आवेदकों में कोहलर कंपनी (127), सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड (113), कोनिनक्लिजके फिलिप्स एनवी (87), स्केचर्स यूएसए इंक II (73), डॉ. Ing. h.c. F. पोर्श एटकिनगएशेलशाफ़्ट (70) आदि शामिल थे।

1.4. वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत डिजाइन आवेदन

भारत से उद्भूमित आवेदनों में से 3091 आवेदन वर्ग 02 (वस्त्र वस्तु व बिसाती वस्तु) के अंतर्गत दाखिल किए गए जिसके बाद वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 2804, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 2353, जिसके बाद वर्ग 15 (मशीनें) के अंतर्गत 2107, वर्ग 11 (सजावट की वस्तुएँ) के अंतर्गत 1735, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण आदि) के अंतर्गत 1626, वर्ग 10 (घड़ियां और घड़ियाँ और अन्य मापने वाले उपकरण, जाँच और सिग्नलिंग उपकरण) के अंतर्गत 1585, वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 1376 आवेदन दाखिल हुए।

भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल वर्गानुसार डिजाइन आवेदन (शीर्ष 5 वर्ग):

दूसरी तरफ, प्रतिवेदन वर्ष के दौरान विदेशों से उद्भूमित आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति के अनुसार वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 442, वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 422, वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 407, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण आदि) के अंतर्गत 325, वर्ग 09 (माल के परिवहन या हैंडलिंग के लिए पैकेजिंग और कंटेनर) के अंतर्गत 262, तथा वर्ग 13 (विद्युत उत्पादन, वितरण या रूपांतरण हेतु उपकरण) के अंतर्गत 241 आवेदन दाखिल किए गए। शेष आवेदन अन्य वर्गों में दाखिल किए गए। भारतीय और विदेशी आवेदकों की ओर से दाखिल आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई है:

विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल वर्गानुसार डिजाइन आवेदन (शीर्ष 5 वर्ग):

2. पंजीकृत डिजाइन आवेदन:

2.1. भारत व विदेशी उद्गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

कुल पंजीकृत 30670 डिजाइन में से, 25911 पंजीकृत डिजाइन भारत से उद्गमित थे जबकि 4759 विदेशों से उद्गमित हुए। भारत व विदेशों से उद्गमित पंजीकरणों की प्रवृत्ति नीचे दर्शाई गयी है:

उद्गम के आधार पर पंजीकृत डिजाइन की प्रवृत्ति

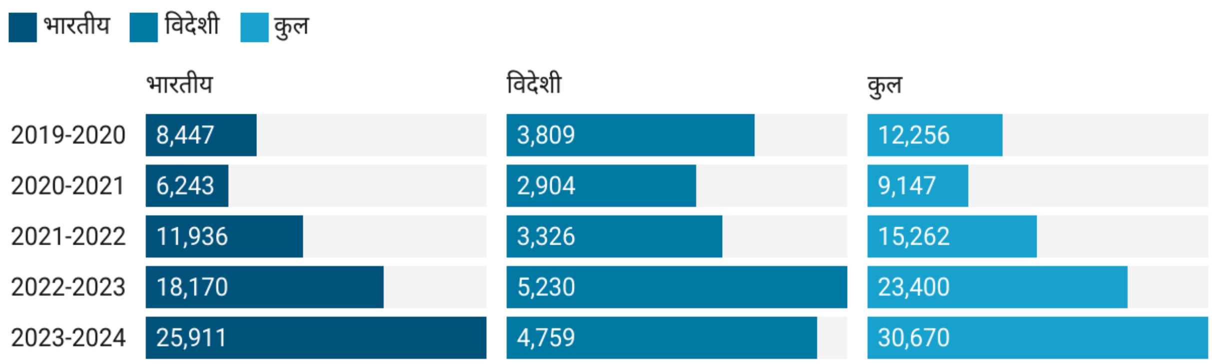

2.2. भारतीय उद्गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

वर्ष के दौरान, भारतीय आवेदकों द्वारा पंजीकृत आवेदनों की 25911 संख्या में से, 5108 पंजीकरणों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। दिल्ली ने 3123 पंजीकरणों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया जबकि 2814 पंजीकरणों के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। राज्य/संघ क्षेत्रों से उद्गमित आवेदनों का ग्राफिक वर्णन नीचे दर्शाया गया है।

शीर्ष 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी)-वार पंजीकृत डिज़ाइन

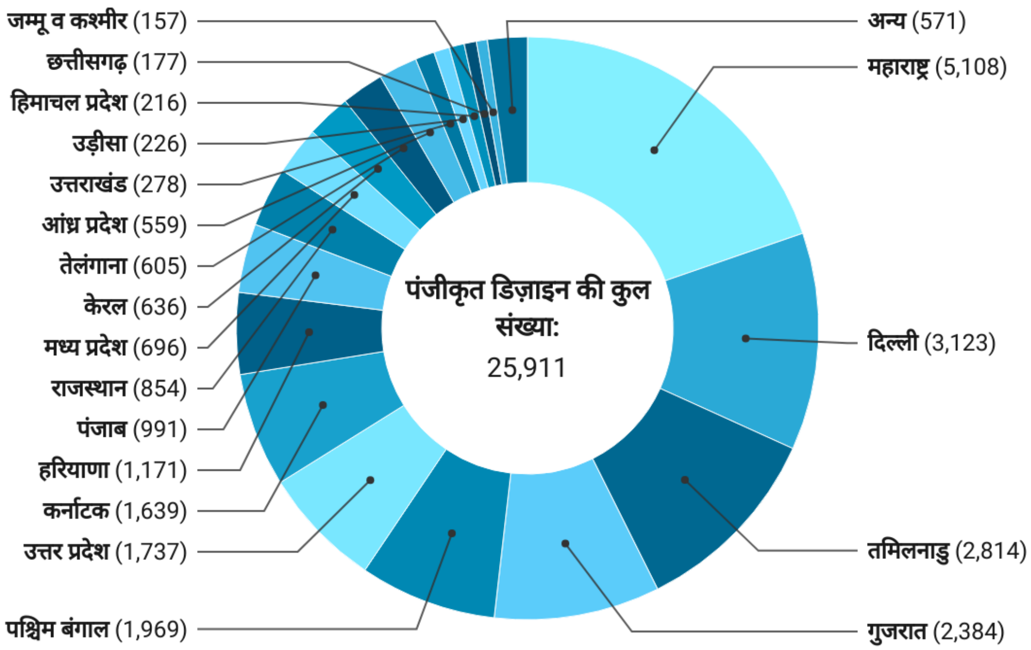

शीर्ष पाँच भारतीय पंजीकृत स्वत्वधारी :

साथ ही, डिजाइन पंजीकरण वाले अग्रणी भारतीय आवेदकों के नाम हैं- सब्यसाची कलकत्ता एलएलपी (1571), हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (465), यूफोरिक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (416), चितकारा विश्वविद्यालय (पंजाब) (305), अपाला (258) आदि।

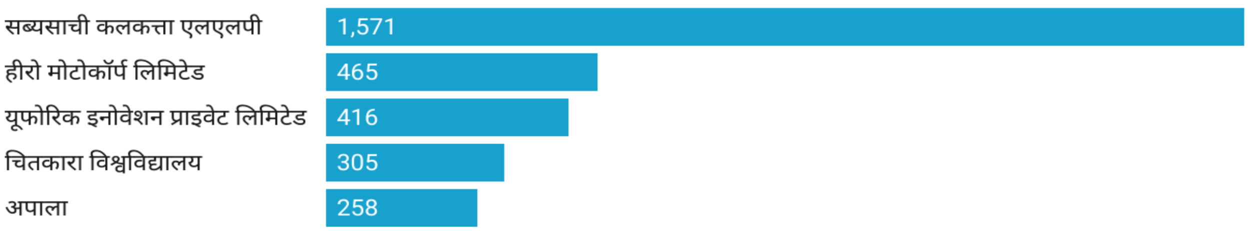

2.3. विदेशी उद्गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

विदेशों से उद्गमित 4759 आवेदनों में से यू.एस.ए. अधिकतम आवेदनों की संख्या (1217) के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमश: चीन (510), जर्मनी (429), जापान (406), कोरिया गणराज्य (328), स्विट्जरलैंड (272) और यूनाइटेड किंगडम (221) का स्थान रहा।

डिज़ाइनों का पंजीकरण - देश/क्षेत्रवार - 2023-24

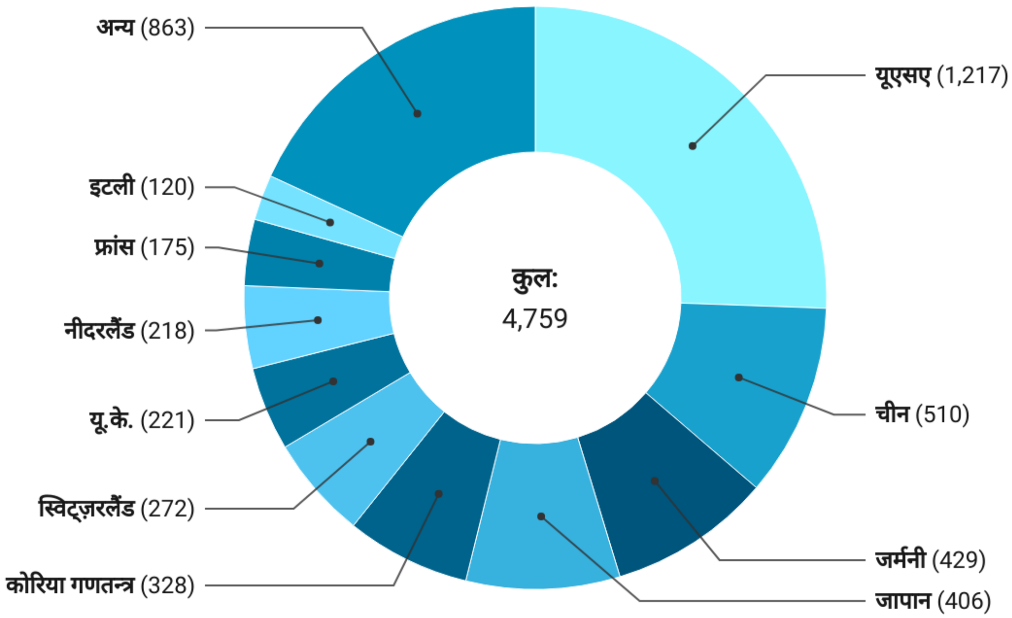

शीर्ष पाँच विदेशी पंजीकृत स्वत्वधारी :

अग्रणी विदेशी आवेदक जिन्होंने डिजाइन आवेदन पंजीकृत किए वे थे - सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड (138), कोनिङ्क्लिके फिलिप्स एन.वी. (116), एप्पल इंक (82), कोहलर कंपनी (81), पैरी मर्रे एंड कंपनी लिमिटेड (57) आदि।

2.4. वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत डिजाइन आवेदन:

भारतीय उद्गम की कंपनियों के पंजीकृत डिजाइनों का वर्गवार वितरण - वर्ग 02 (वस्त्र एवं बिसाती की वस्तुएं) के अंतर्गत 3181, वर्ग 12 (परिवहन या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 2692, वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 2641, वर्ग 15 (मशीनें) के अंतर्गत 1932, वर्ग 11 (सजावट की वस्तुएं) के अंतर्गत 1780, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण) के अंतर्गत 1630, वर्ग 10 (घड़ियां और अन्य मापन उपकरण, जांच और संकेत उपकरण) के अंतर्गत 1420, वर्ग 09 (माल के परिवहन या हैंडलिंग के लिए पैकेज और कंटेनर) के अंतर्गत 1389, वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 1123। जबकि, विदेशी अनुप्रयोगों के संबंध में पंजीकृत डिजाइनों के वितरण में वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 591, वर्ग 12 (परिवहन या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 497, वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 479, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण) के अंतर्गत 373, वर्ग 09 (माल के परिवहन या हैंडलिंग के लिए पैकेज और कंटेनर) के अंतर्गत 332, वर्ग 10 (घड़ियाँ और घड़ियाँ तथा अन्य मापन उपकरण, जाँच और संकेत उपकरण) के अंतर्गत 293 आदि शामिल हैं। शेष आवेदन अन्य वर्गों में पंजीकृत किए गए। भारतीय और विदेशी अनुप्रयोगों के लिए विस्तृत वर्गवार पंजीकरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

भारतीय आवेदकों द्वारा वर्गानुसार पंजीकृत डिजाइन (शीर्ष 5 वर्ग)

विदेशी आवेदकों द्वारा वर्गानुसार पंजीकृत डिजाइन (शीर्ष 5 वर्ग)

3. डिजाइन आवेदनों का परीक्षण

प्रतिवेदन अवधि के दौरान, डिजाइन के पंजीकरण हेतु कुल 29635 आवेदनों का परीक्षण किया गया जिनमें से 14017 आवेदनों की प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफ़ईआर) भेजने की आवश्यकता थी। वर्ष के दौरान पंजीकृत डिजाइन की संख्या 30670 रही। पंजीकरण के अलावा, 1407 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया तथा 854 आवेदन परित्यक्त किए गए।

4. प्रतिलिप्यधिकार विस्तार [धारा 11(2) और धारा 12 के तहत]:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन में प्रतिलिप्यधिकार विस्तार के लिए 2584 आवेदन प्राप्त किए गए। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 958 पंजीकृत डिजाइन का आगामी 5 वर्षों के लिए नवीकरण किया गया। हालांकि, शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। वर्ष के दौरान, डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए 84 आवेदन दाखिल किए गए जिनमें से 23 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया। शेष आवेदनों पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

5. विविध कार्यवाहियाँ:

5.1. डिजाइन का निरस्तीकरण [धारा 19 के तहत]: प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन के निरस्तीकरण के लिए 130 आवेदन दाखिल हुए। जिनमें वर्ष के दौरान 51 पर निर्णय जारी किए गए जिनमें से 22 मामलों पर याचिका की अनुमति दी गई और 29 मामलों में याचिका को खारिज कर दिया गया।

5.2. पंजीकृत डिजाइन का निरीक्षण [धारा 17 (1) & नियम 38] के तहत: पंजीकृत डिजाइन आवेदनों के निरीक्षण हेतु 14 याचिकाएँ प्राप्त हुईं।

5.3. नाम और पते आदि में परिवर्तन [नियम 31 के तहत]: वर्ष के दौरान नाम, पते एवं सेवार्थ पते में परिवर्तन हेतु 1815 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 624 मामलों का निपटान कर आदेश जारी किया गया। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

5.4. डिजाइन रजिस्टर में सेवा के लिए दो पतों की प्रविष्टि हेतु अनुरोध [धारा 10 के तहत]: वर्ष के दौरान डिजाइन रजिस्टर में दो सेवार्थ पते की प्रविष्टि हेतु 1003 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 163 मामलों का निपटान किया गया। शेष मामलों में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

5.5. धारा 30 और 31 के तहत समनुदेशन: प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, 237 समनुदेशन के आवेदन दाखिल हुए, जिनमें से 786 का निपटान किया गया व आदेश जारी किए गए। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 31 के अंतर्गत 13 आवेदन प्राप्त हुए और कार्रवाई शुरू की गई।

5.6. खोज सूचना [धारा के तहत 18]: प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, धारा 18 के तहत 2 मामले दाखिल हुए व सभी का निपटान कर दिया गया।

5.7. लिपिकीय त्रुटि का परिमार्जन [नियम 29 के तहत]: प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, लिपिकीय त्रुटि के परिमार्जन हेतु 31 अनुरोध प्राप्त हुए और वर्ष के दौरान सभी का निपटान कर दिया गया।

5.8. नियम 41 तथा धारा 17 (2) के तहत सत्यापित प्रतियां: वर्ष के दौरान, 899 अनुरोध दाखिल किए गए जिनमें से **793** आवेदनों का निपटान कर दिया गया। शेष मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

5.9. स्टार्ट-अप इंटेलेक्चुयल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन (एसआईपीपी) - सुविधाप्रदाता (फेसीलीटेटर): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, डिजाइन आवेदनों को दाखिल करने और/या पंजीकरण के लिए सुविधाप्रदाता शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए सुविधाकर्ताओं द्वारा 886 दावे किए गए; जिनमें से 592 दावों का निपटान किया गया और शेष आवेदनों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

6. प्रवृत्त डिजाइन:

प्रतिवेदन वर्ष के अंत तक प्रवृत्त पंजीकृत डिजाइन की संख्या 141000 रही।

7. राजस्व:

वर्ष के दौरान, डिजाइन अधिनियम 2000 तथा उसके अधीन बने नियमों के तहत डिजाइन आवेदनों तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में पेटेंट कार्यालय (कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई) से अर्जित राजस्व का विवरण निम्नवत है:

पेटेंट कार्यालय	राजस्व (रु. में)
कोलकाता	9,48,68,750
दिल्ली	8,50,000
मुंबई	5,60,200
चेन्नई	7,85,000
कुल	**9,70,63,950**

पेटेंट कार्यालय राजस्व (रु. में)

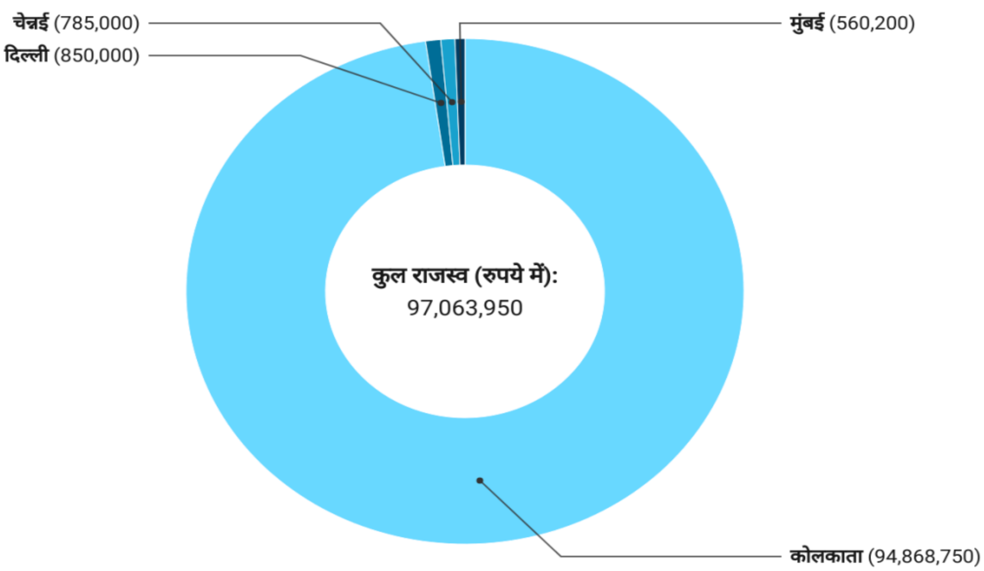

अर्जित राजस्व की प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई है :

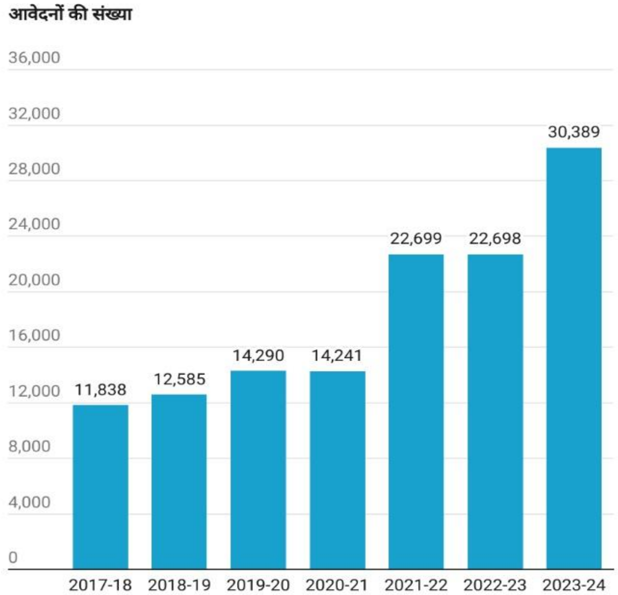

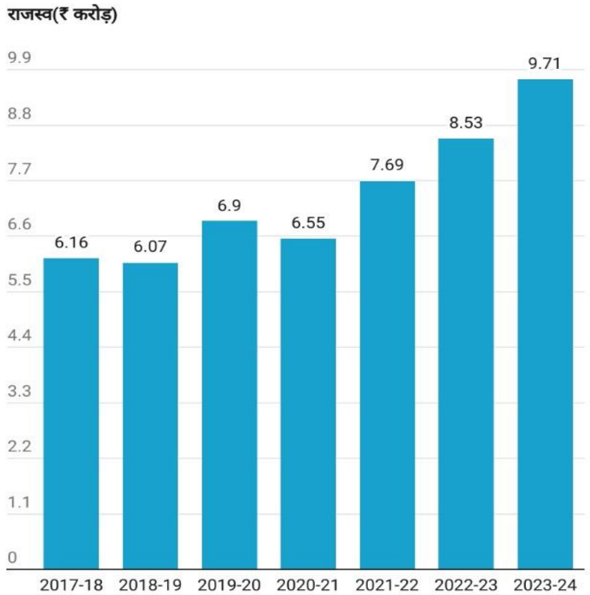

इस वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न प्रावधानों के तहत रु. 9,70,63,950 (रुपए नौ करोड़ सत्तर लाख तिरसठ हज़ार नौ सौ पचास मात्र) के अर्जित राजस्व की प्रस्तुति नीचे की गई है:

2023-24 के दौरान अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत विभिन्न कार्यवाही के संबंध में प्राप्त शुल्क

प्रलेखों का विवरण	संख्या	शुल्क (रु.)	राशि (रु.)
डिजाइन अधिनियम, 2000 धारा 5 एवं 44 के तहत डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)	30389	1000, 4000	6,99,34,650
धारा 11(2) के तहत प्रतिलिप्यधिकार के विस्तार हेतु आवेदन	2584	2000, 8000	19,59,1800
धारा 12(2) के तहत व्यपगत डिजाइन का प्रत्यावर्तन	84	1000, 4000	3,18,000
धारा 30 व 31 के तहत समनुदेशन	237	500, 200 2000, 800	21,94,500
धारा 19 के तहत डिजाइन का निरस्तीकरण	130	1500, 6000	4,06,500
धारा 26 और 17(2) के तहत सत्यापित प्रति	899	500, 2000	12,88,000
डिजाइन अधिनियम, 2000 व डिजाइन नियम 2001 के		प्रथम अनुसूची के	33,30,500

तहत अन्य विविध शुल्क; (दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)		अनुसार	
कुल योग			**9,70,63,950**

दाखिल और पंजीकृत आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	दाखिल	पंजीकृत
2016-2017	10213	8276
2017-2018	11838	10012
2018-2019	12585	9483
2019-2020	14290	12256
2020-2021	14241	9147
2021-2022	22699	15262
2022-2023	22698	23400
2023-2024	**30389**	**30670**

उद्गम के अनुसार दाखिल और पंजीकृत आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	दाखिल		पंजीकृत	
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी
2016-2017	6292	3921	5511	2765
2017-2018	8224	3614	6432	3580
2018-2019	8864	3721	6587	2896
2019-2020	9706	4584	8447	3809
2020-2021	10594	3647	6243	2904
2021-2022	18851	3848	11936	3326
2022-2023	18170	5230	19245	3453
2023-2024	**26536**	**3853**	**25911**	**4759**

दाखिल डिजाइन आवेदन - राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्रों के अनुसार

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	आवेदनों की संख्या
अंडमान और निकोबार	10
आंध्र प्रदेश	620
अरुणाचल प्रदेश	7

असम	69
बिहार	85
चंडीगढ़	87
छत्तीसगढ़	200
दादर और नागर हवेली तथा दमन दीउ	91
दिल्ली	3088
गोवा	35
गुजरात	2510
हरियाणा	1059
हिमाचल प्रदेश	129
जम्मू और कश्मीर	175
झारखंड	90
कर्नाटक	1785
केरल	1048
मध्य प्रदेश	730
महाराष्ट्र	5230
मणिपुर	9
मेघालय	5
मिज़ोरम	7
नागालैंड	5
ओडिसा	255
पुद्दुचेरी	38
पंजाब	772
राजस्थान	1061
सिक्किम	4
तमिलनाडु	3261
तेलंगाना	627
त्रिपुरा	32
उत्तर प्रदेश	1691
उत्तराखंड	276
पश्चिम बंगाल	1445
कुल	**26536**

दाखिल डिजाइन आवेदन – देश / क्षेत्र के अनुसार

देश/क्षेत्र	आवेदनों की संख्या
अफगानिस्तान	1
ऑस्ट्रेलिया	75
ऑस्ट्रिया	16
बंगलादेश	2
बेल्जियम	50
ब्राज़ील	6
बुल्गारिया	1
कनाडा	16
केमन द्वीप	2
चीन	301
चेक गणराज्य	3
डेनमार्क	42
एजिप्ट	3
इथियोपिया	4
फिनलैंड	29
फ्रांस	119
जर्मनी	362
ग्रीस	1
हाँगकाँग	5
भारत	26536
इंडोनेशिया	12
इराक	3
आयरलैंड	10
इजराएल	24
इटली	102
जापान	299
लात्विया	3
लिषेश्टिन	3
लग्जंबर्ग	18
मलेशिया	12
मालदीव	1
मॉरिशस	3
मेक्सिको	1

नेपाल	2
नीदरलैंड	174
न्यूजीलैंड	24
नॉर्वे	23
ओमान	3
पोलैंड	9
कोरिया गणराज्य	275
रोमानिया	1
रूस	8
सऊदी अरब	6
सेशेल्स	20
सिंगापुर	26
स्लोवेनिया	14
दक्षिण अफ्रीका	7
स्पेन	17
श्री लंका	3
सुडान	1
स्वीडन	101
स्विट्जरलैंड	223
ताइवान	41
थाइलैंड	5
त्रिनिदाद और टोबागो	2
तुर्कीए	4
यूएई	3
यूके	178
यूएसए	1137
युगांडा	1
यूक्रेन	4
उरुग्वे	1
उज्बेकिस्तान	3
वियतनाम	8
कुल	**30389**

डिजाइन का पंजीकरण - राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्रों के अनुसार

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	आवेदनों की संख्या
अंडमान और निकोबार	5
आंध्र प्रदेश	559
अरुणाचल प्रदेश	8
असम	52
बिहार	79
चंडीगढ़	107
छत्तीसगढ़	177
दादर और नागर हवेली तथा दमन दीउ	107
दिल्ली	3123
गोवा	32
गुजरात	2384
हरियाणा	1171
हिमाचल प्रदेश	216
जम्मू और कश्मीर	157
झारखंड	87
कर्नाटक	1639
केरल	636
मध्य प्रदेश	696
महाराष्ट्र	5108
मणिपुर	9
मेघालय	1
मिज़ोरम	7
नागालैंड	4
ओडिसा	226
पुद्दुचेरी	42
पंजाब	991
राजस्थान	854
सिक्किम	8
तमिलनाडु	2814
तेलंगाना	605
त्रिपुरा	23
उत्तर प्रदेश	1737
उत्तराखंड	278

पश्चिम बंगाल	1969
कुल	**25911**

डिजाइन का पंजीकरण - देश / क्षेत्र के अनुसार

देश/क्षेत्र	पंजीकरण की संख्या
ऑस्ट्रेलिया	75
ऑस्ट्रिया	33
बंगलादेश	1
बेल्जियम	60
ब्राज़ील	1
बुल्गारिया	22
कनाडा	31
केमन द्वीप	15
चीन	510
चेक गणराज्य	1
डेनमार्क	80
एजिप्ट	2
इथियोपिया	4
फिनलैंड	37
फ्रांस	175
जर्मनी	429
ग्रीस	1
हाँगकाँग	10
भारत	25911
इंडोनेशिया	18
इराक	3
आयरलैंड	3
इजराएल	28
इटली	120
जापान	406
लात्विया	1
लिषेश्टिन	2

लग्जंबर्ग	21
मलेशिया	11
मालदीव	1
मौरिशस	4
मेक्सिको	2
नेपाल	2
नीदरलैंड	218
न्यूजीलैंड	33
नॉर्वे	27
पीआर चीन	3
पाकिस्तान	1
पनामा	1
पोलैंड	8
पुर्तगाल	9
पुर्तो रिको	3
कतर	1
कोरिया गणराज्य	328
रोमानिया	1
रूस	19
सऊदी अरब	1
सिंगापुर	29
स्लोवेकिया	1
स्लोवेनिया	14
दक्षिण अफ्रीका	6
स्पेन	28
श्री लंका	2
सुडान	1
स्वीडन	118
स्विट्जरलैंड	272
ताइवान	37
थाइलैंड	17
त्रिनिदाद और टोबागो	2
तुर्कीए	9
यूएई	7
यूके	221

यूएसए	1217
यूक्रेन	4
उज्बेकिस्तान	2
वियतनाम	10
कुल	**30670**

अध्याय-VI

व्यापार चिह्न

परिचय

यह अध्याय इस प्रतिवेदन वर्ष में व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 149 के तहत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में 64वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

व्यापार चिह्न विधान का उद्देश्य देश में वाणिज्य वस्तुओं पर धोखाधड़ी वाले चिह्नों के उपयोग को रोकने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यापार चिह्न का पंजीकरण और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। व्यापार चिह्न पंजीकृत स्वत्वधारी को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है, जो उसे व्यापार चिह्न के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। यह उन सामान्य विधिक अधिकार के अतिरिक्त है जहां पासिंग ऑफ के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा व्यापार चिह्न नियम, 2002 दिनांक 15 सितंबर, 2003 को लागू हुए। व्यापार चिह्न नियम, 2002 को 6 मार्च, 2017 से व्यापार चिह्न नियम, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं।

देश में सामान्य रूप से बौद्धिक संपदा अधिकार और विशेष रूप से व्यापार चिह्न के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) के कार्य और जिम्मेदारियां उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के तहत सेवा चिह्नों, प्रसिद्ध चिह्नों, सामूहिक चिह्नों, बहु-वर्ग दाखिल करने के प्रावधान आदि की सुरक्षा की शुरूआत और भारत के मैड्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने के बाद व्यापार चिह्न के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के प्रावधान के साथ यह भूमिका और विस्तारित हो गई है।

1. 2023-24 के दौरान गतिविधियों की प्रवृत्ति :

वर्ष 2023-24 के दौरान व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियाँ निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई हैं। आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति से पता चलता है कि इस वर्ष के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या वर्ष 2022-23 में 466580 से बढ़कर 476089 हो गई है। इसी अवधि के दौरान 279717 व्यापार चिह्न पंजीकरण हुए हैं। दाखिल, परीक्षित और पंजीकृत आवेदनों की संख्या के संबंध में गतिविधियों का विवरण **परिशिष्ट I** में दिया गया है।

क्र.सं.	गतिविधियाँ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	पंजीकरण के लिए दाखिल आवेदनों की संख्या	334805	431213	447805	466580	**476089**
2.	व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित आवेदनों की संख्या	378147	339356	310196	237203	**569861**
3.	पंजीकृत व्यापार चिह्नों की संख्या	294172	255976	261408	231977	**279717**
4	पंजीकरण के अलावा अन्यथा निपटाए गए परीक्षित आवेदनों की संख्या (अर्थात अस्वीकृति, परित्याग और वापसी)	125394	38978	57470	60177	**154035**

5	नवीनीकृत किए गए पंजीकरणों की संख्या	70583	73100	69968	90295	**82648**
6.	पंजीकृत व्यापार चिह्न (समनुदेशन सहित) में पंजीकरण के बाद किए गए परिवर्तनों की प्रविष्टि हेतु निष्पादित अनुरोधों की संख्या	32596	29214	22957	13079	**37771**
7.	कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 45(1) के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र	7362	9032	5437	5197	**11763**

2. व्यापार चिह्न आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति:

भारत में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए दाखिल आवेदनों की प्रवृत्ति में 2023-24 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को प्राप्त आवेदनों की संख्या 2022-23 में 466580 से बढ़कर 2023-24 में 476089 हो गई है। वहीं, विदेशी आवेदकों के आवेदनों की संख्या 2022-23 में 13255 से घटकर 2023-24 में 12981 हो गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान, मैड्रिड प्रणाली के तहत विदेशी आवेदकों के 12838 अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण व्यापार चिह्न के संरक्षण हेतु भारत को नामित किए गए थे। इन अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का परीक्षण किया गया और इन पर राष्ट्रीय आवेदनों के रूप में आगे की कार्यवाही की गयी।

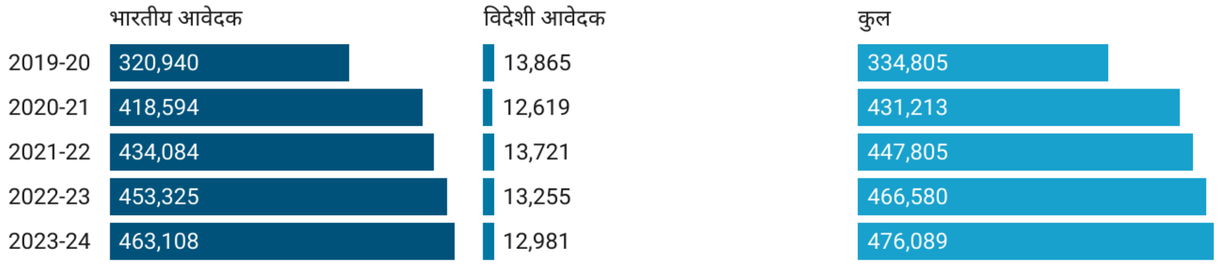

2019-20 से 2023-24 तक दाखिल आवेदनों की प्रवृत्ति:

वर्ष	भारतीय आवेदक	विदेशी आवेदक	कुल
2019-20	320940	13865	334805
2020-21	418594	12619	431213
2021-22	434084	13721	447805
2022-23	453325	13255	466580
2023-24	463108	12981	476089

3. भारतीयों द्वारा दाखिल व्यापार चिह्न आवेदन (राज्यवार):

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल कुल 476089 आवेदनों में से, महाराष्ट्र 84627 आवेदनों के साथ पहले स्थान पर रहा। 61863 आवेदनों के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जबकि 52463 आवेदनों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर है। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की संख्या उनके ग्राफीय वर्णन के साथ नीचे दर्शाई गई है:

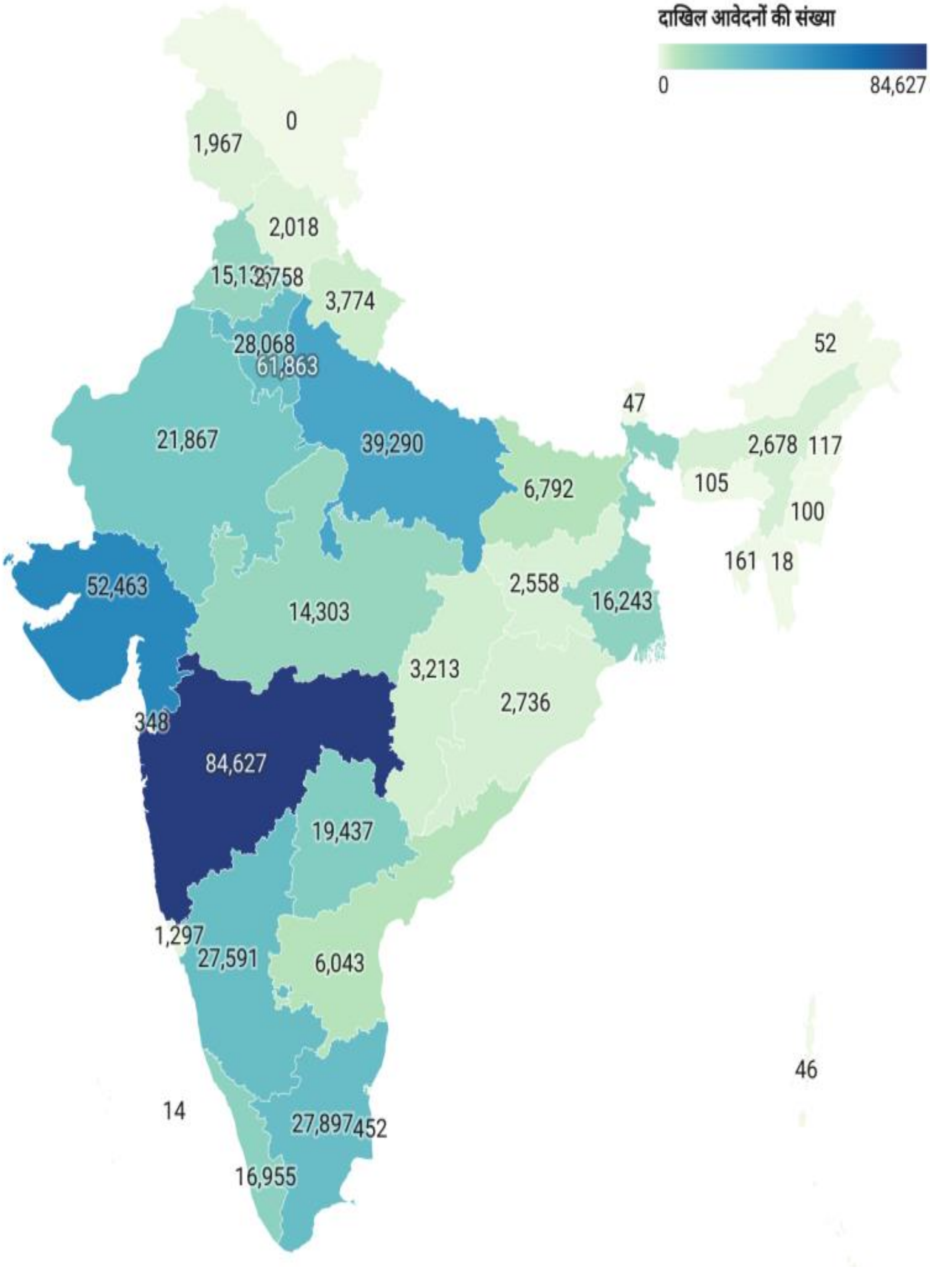

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	दाखिल आवेदनों की संख्या 2023-24
अंडमान और निकोबार	46
आंध्र प्रदेश	6043
अरुणाचल प्रदेश	52
असम	2678
बिहार	6792
चंडीगढ़	2758
छत्तीसगढ़	3213
दादरा व नागर हवेली	208
दमन व दीव	140
दिल्ली	61863
ज़िला निर्दिष्ट नहीं	74
गोवा	1297
गुजरात	52463
हरियाणा	28068
हिमाचल प्रदेश	2018
जम्मू व कश्मीर	1967
झारखंड	2558
कर्नाटक	27591
केरल	16955
लक्षद्वीप	14
मध्य प्रदेश	14303
महाराष्ट्र	84627
मणिपुर	100
मेघालय	105
मिजोरम	18
नागालैंड	117
ओडिशा	2736
पुदुचेरी	452
पंजाब	15136
राजस्थान	21867
सिक्किम	47
तमिलनाडु	27897
तेलंगाना	19437

त्रिपुरा	161
उत्तर प्रदेश	39290
उत्तराखंड	3774
पश्चिम बंगाल	16243
कुल	463108

4. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन :

वर्ष 2023-24 के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 12981 थी। शीर्ष 20 विदेशी देशों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई है और साथ ही नीचे ग्राफिक रूप से दर्शाई गई है:

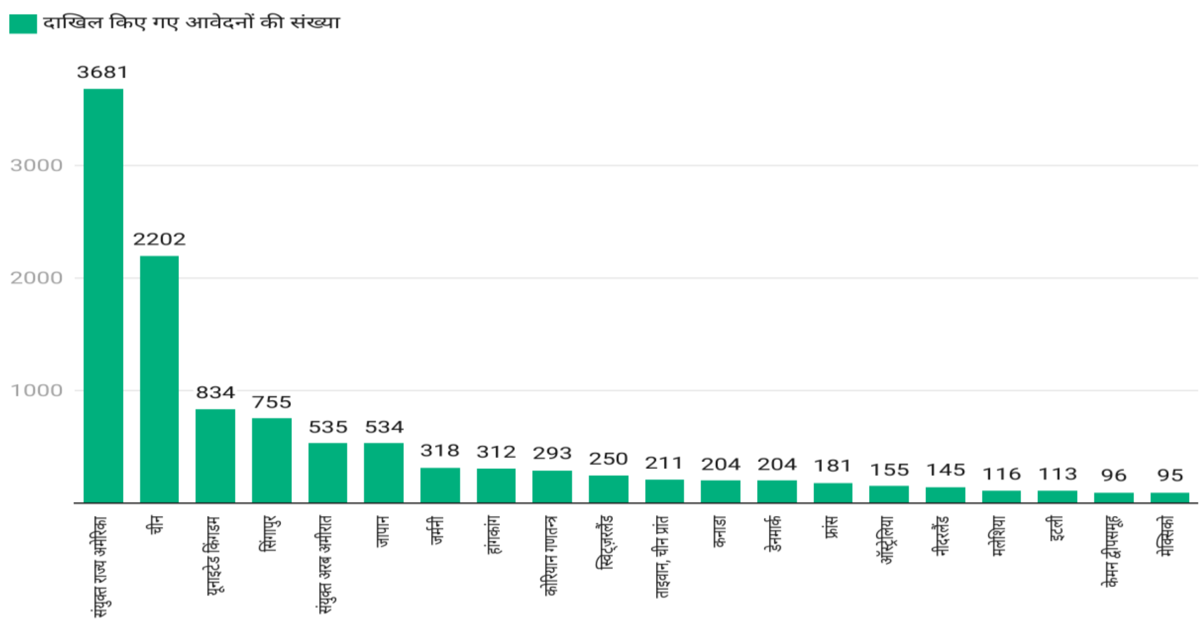

आवेदन दाखिल करने के लिए शीर्ष 20 विदेशी देश

देश का नाम	दाखिल आवेदनों की संख्या
संयुक्त राज्य अमेरिका	3681
चीन	2202
यूनाइटेड किंगडम	834
सिंगापुर	755
संयुक्त अरब अमीरात	535
जापान	534
जर्मनी	318
हांगकांग	312

कोरिया गणराज्य	293
स्विट्ज़रलैंड	250
ताइवान, चीन प्रांत	211
कनाडा	204
डेनमार्क	204
फ्रांस	181
ऑस्ट्रेलिया	155
नीदरलैंड	145
मलेशिया	116
इटली	113
केमन द्वीप	96
मेक्सिको	95
अन्य	1747
कुल	12981

दाखिल आवेदनों की वर्गवार प्रवृत्ति :

नीचे दी गई तालिका वर्ष 2023-24 के दौरान दाखिल व्यापार चिह्न आवेदनों की वर्ग-वार प्रवृत्ति का विवरण प्रदान करती है। पिछले वर्ष की तरह, इस वर्ष भी, प्राप्त आवेदनों की सबसे बड़ी संख्या वर्ग 5 (फार्मास्यूटिकल्स, पशु चिकित्सा और स्वच्छता पदार्थ, आदि) में वस्तुओं के संबंध में थी।

जिन वर्गों में आवेदन दाखिल किए गए थे उनका विवरण % भाग के साथ नीचे दिया गया है:

वर्ग	वस्तुओं/सेवाओं का विवरण	आवेदनों की संख्या	% भाग
1	उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, उद्यान-कृषि, वानिकी, खाद आदि में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उत्पाद।	8306	1.70
2	पेंट और वार्निश	2469	0.51
3	इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, आदि।	24108	4.94
4	औद्योगिक तेल और ग्रीस (खाद्य तेल के अलावा), आदि।	2550	0.52
5	औषधीय, फार्मास्यूटिकल्स, पशु चिकित्सा और स्वच्छता पदार्थ, आदि।	71358	14.61
6	बिना गढ़ी और आंशिक रूप से गढ़ी गई सामान्य धातु और उनकी मिश्रधातुएँ, आदि।	6337	1.30
7	मशीनें और मैकेनिक उपकरण, मोटर्स, आदि।	8654	1.77
8	हाथ उपकरण और उपकरण, आदि	2070	0.42
9	वैज्ञानिक, समुद्री, सर्वेक्षण और विद्युत उपकरण, आदि।	24350	4.99

10	सर्जिकल, मेडिकल, डेंटल और पशु चिकित्सा उपकरण, उपकरण, आदि।	5553	1.14
11	प्रकाश व्यवस्था, हीटिंग आदि के लिए स्थापना।	9998	2.05
12	वाहन और उनके पार्ट, उपकरण, भूमि, वायु और जल द्वारा गति	5318	1.09
13	आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद और प्रक्षेप्य आदि।	399	0.08
14	बहुमूल्य धातुएँ और उनकी मिश्रधातुएँ, आदि।	7628	1.57
15	संगीत वाद्ययंत्र (बात करने वाली मशीनों और वायरलेस उपकरण के अलावा)	393	0.09
16	कागज और कागज के लेख, स्टेशनरी, मुद्रित सामग्री, आदि।	8312	1.70
17	गुट्टापेर्चा , इंडिया रबर, आदि।	4240	0.87
18	चमड़ा और चमड़े की नकल, आदि।	5264	1.08
19	भवन निर्माण सामग्री इत्यादि।	7220	1.48
20	फर्नीचर, दर्पण, आदि	7695	1.58
21	छोटे घरेलू बर्तन आदि।	8295	1.70
22	रस्सियाँ, डोरियाँ, आदि।	1159	0.24
23	सूत और धागे	813	0.17
24	टिशू (खंडित वस्तुएँ), आदि।	5835	1.19
25	बूट, जूते और चप्पल सहित कपड़े	37128	7.60
26	लेस और कढ़ाई, रिबन और चोटी आदि।	1481	0.30
27	कालीन, कालीन, चटाई आदि।	1268	0.26
28	खेल और खेलने की चीजें, आदि।	4735	0.97
29	मांस, मछली, मुर्गीपालन, आदि।	13910	2.85
30	कॉफ़ी, चाय, कोको, आदि।	26535	5.43
31	कृषि, बागवानी और वानिकी उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं	7817	1.60
32	बीयर, एले और पोर्ट, खनिज और वातित जल और अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं	7538	1.54
33	वाइन, स्पिरिट और लिकर	2604	0.53
34	तम्बाकू, कच्चा या निर्मित, धूम्रपान करने वालों का सामान, माचिस	2591	0.53
35	विज्ञापन, व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय प्रशासन, कार्यालय कार्य	49512	10.14
36	बीमा, वित्तीय मामले, मौद्रिक मामले, रियल एस्टेट मामले	9769	2.00
37	भवन निर्माण मरम्मत स्थापना सेवाएँ	7811	1.60
38	दूरसंचार	4186	0.86
39	माल यात्रा के परिवहन, पैकेजिंग और भंडारण की व्यवस्था	5624	1.15
40	सामग्री का ट्रीटमेंट	2242	0.46
41	शिक्षा; प्रशिक्षण, मनोरंजन प्रदान करना; खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	24109	4.94

42	वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएँ और उनसे संबंधित अनुसंधान और डिज़ाइन, औद्योगिक विश्लेषण और अनुसंधान सेवाएँ; कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास	16829	3.45
43	खाद्य और पेय उपलब्ध कराने के लिए सेवाएँ; अस्थायी आवास	18957	3.88
44	चिकित्सा सेवाएं; पशु चिकित्सा सेवाएँ; मनुष्यों या जानवरों के लिए स्वच्छ और सौंदर्य देखभाल; कृषि, बागवानी और वन्य सेवाएँ	10114	2.07
45	कानूनी सेवाओं; संपत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सेवाएँ; व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएँ	5241	1.07

टिप्पण: *बहु-वर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है क्योंकि एक ही आवेदन में एक से अधिक वर्ग की वस्तुओं और सेवाओं का उल्लेख किया जा सकता है। वर्ग-वार आवेदन के संबंध में उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, बहु-वर्गीय आवेदनों में प्रत्येक वर्ग पर अलग से विचार किया जाता है।*

शाखा-वार दाखिल किए गए आवेदन :

वर्ष 2023-24 के दौरान, सबसे अधिक आवेदन रजिस्ट्री की दिल्ली शाखा (154874) में दाखिल किए गए, इसके बाद मुंबई (103514), चेन्नई (98389), अहमदाबाद (74678) और कोलकाता (31653) की शाखाओं में आवेदन दाखिल हुए।

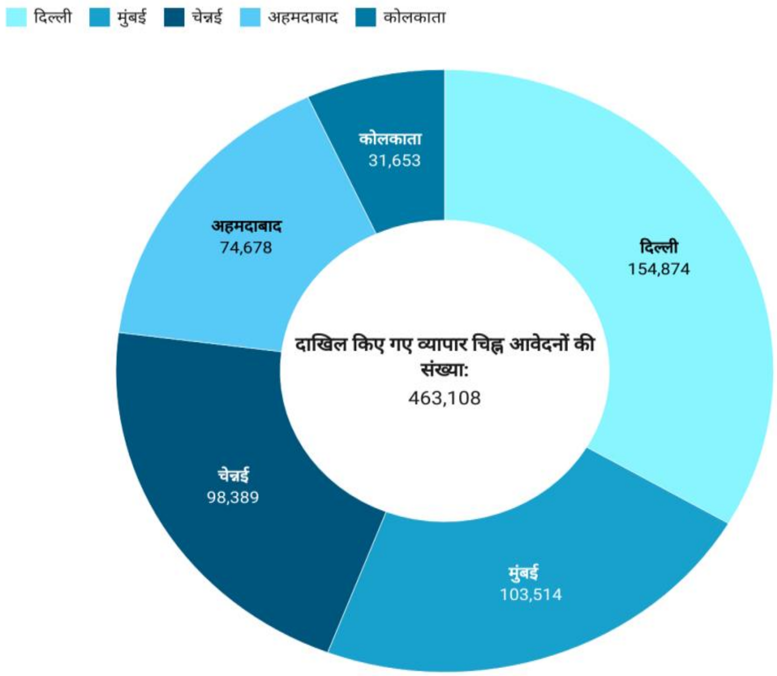

5. व्यापार चिह्न का पंजीकरण और अन्य गतिविधियाँ:

वर्ष 2023-24 के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या 279717 रही। 31 मार्च 2024 तक पंजीकृत व्यापार चिह्न की कुल संख्या 3080325 थी।

वर्ष के दौरान अन्य गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

82648 पंजीकृत व्यापार चिह्न का नवीनीकरण किया गया,

व्यापार चिह्न(अन्य व्यक्तियों को उनके समनुदेशन सहित) के संबंध में पंजीकरण के बाद परिवर्तन के लिए 39495 अनुरोध प्राप्त हुए और 37771 अनुरोधों का निपटान किया गया।

कानूनी कार्यवाही में उपयोग के लिए या विदेश में पंजीकरण प्राप्त करने के अनुरोध पर 11906 प्रमाणपत्र जारी किए गए,

कलात्मक कार्यों को कॉपीराइट के रूप में पंजीकृत करने के लिए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 45(1) के तहत 11763 प्रमाणपत्र जारी किए गए।

इस वर्ष रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न जर्नल में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए 569861 आवेदन विज्ञापित किए, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 237203 आवेदन विज्ञापित किए गए थे। पिछले पांच वर्षों में व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की प्रवृत्ति **परिशिष्ट II** में दिखाई गई है।

रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न अधिनियम और नियम के अधीन अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियाँ भी संचालित की जिनमें मुख्यत: विरोध और परिशोधन की कार्यवाहियाँ थी। वर्ष 2022-24 के दौरान 81660 विरोध की सूचना और 3255 आवेदन व्यापार चिह्न के पंजीकरण को रद्द या अलग करके व्यापार चिह्न के रजिस्टर में परिशोधन के लिए दाखिल किए गए और ऐसे 103196 मामलों का पूर्णतया निष्पादन कर दिया गया। दाखिल और निपटाए गए ऐसे मामलों का विवरण **परिशिष्ट III** में दिया गया है।

6. पंजीकृत व्यापार चिह्नों की संख्या का वर्गवार विवरण:

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2023-24 के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या का वर्गवार विवरण प्रदान करती है। यह देखा गया है कि वर्ग 5 के तहत सबसे अधिक 36091 व्यापार चिह्न पंजीकृत किए गए, जो कुल पंजीकरण का 12.50% है, इसके बाद वर्ग 35 आता है जो 10.66% है।

वर्ग	वस्तुओं/सेवाओं का विवरण	आवेदनों की संख्या	% भाग
1	उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, उद्यान-कृषि, वानिकी, खाद आदि में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उत्पाद।	4925	1.71
2	पेंट और वार्निश	1497	0.52
3	इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, आदि।	12230	4.23
4	औद्योगिक तेल और ग्रीस (खाद्य तेल के अलावा), आदि।	1513	0.52
5	औषधीय, फार्मास्यूटिकल्स, पशु चिकित्सा और स्वच्छता पदार्थ, आदि।	36091	12.50
6	बिना गढ़ी और आंशिक रूप से गढ़ी गई सामान्य धातु और उनकी मिश्रधातुएँ, आदि।	3815	1.32
7	मशीनें और मैकेनिक उपकरण, मोटर्स, आदि।	5349	1.85
8	हाथ उपकरण और उपकरण, आदि	1350	0.47

9	वैज्ञानिक, समुद्री, सर्वेक्षण और विद्युत उपकरण, आदि।	16393	5.68
10	सर्जिकल, मेडिकल, डेंटल और पशु चिकित्सा उपकरण, उपकरण, आदि।	3941	1.36
11	प्रकाश व्यवस्था, हीटिंग आदि के लिए स्थापना।	6649	2.30
12	वाहन और उनके हिस्से, उपकरण, भूमि, वायु और जल द्वारा गति	3420	1.18
13	आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद और प्रक्षेप्य आदि।	285	0.10
14	बहुमूल्य धातुएँ और उनकी मिश्रधातुएँ, आदि।	4415	1.53
15	संगीत वाद्ययंत्र (बात करने वाली मशीनों और वायरलेस उपकरण के अलावा)	293	0.10
16	कागज और कागज से संबंधित आर्टिकल , स्टेशनरी, मुद्रित सामग्री, आदि।	5423	1.88
17	गुट्टापेर्चा , इंडिया रबर, आदि।	2291	0.79
18	चमड़ा और चमड़े की नकल, आदि।	3317	1.15
19	भवन निर्माण सामग्री इत्यादि।	4193	1.45
20	फर्नीचर, दर्पण, आदि	4713	1.63
21	छोटे घरेलू बर्तन आदि।	5448	1.89
22	रस्सियाँ, डोरियाँ, आदि।	819	0.28
23	सूत और धागे	514	0.18
24	टिशू (खंडित वस्तुएँ), आदि।	4052	1.40
25	बूट, जूते और चप्पल सहित कपड़े	21902	7.58
26	लेस और कढ़ाई, रिबन और चोटी आदि।	961	0.33
27	कालीन, कालीन, चटाई आदि।	858	0.30
28	खेल और खेलने की चीजें, आदि।	3210	1.11
29	मांस, मछली, मुर्गीपालन, आदि।	7555	2.62
30	कॉफ़ी, चाय, कोको, आदि।	13962	4.83
31	कृषि, बागवानी और वानिकी उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं	5088	1.76
32	बीयर, एले और पोर्ट, खनिज और वातित जल और अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं	3687	1.28
33	वाइन, स्पिरिट और लिकर	1612	0.56
34	तम्बाकू, कच्चा या निर्मित, धूम्रपान करने वालों का सामान, माचिस	1461	0.51
35	विज्ञापन, व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय प्रशासन, कार्यालय कार्य	30772	10.66
36	बीमा, वित्तीय मामले, मौद्रिक मामले, रियल एस्टेट मामले	5868	2.03
37	भवन निर्माण मरम्मत स्थापना सेवाएँ	4784	1.66
38	दूरसंचार	2990	1.04
39	माल यात्रा के परिवहन, पैकेजिंग और भंडारण की व्यवस्था	3441	1.19
40	सामग्री का ट्रीट्मन्ट	1442	0.50
41	शिक्षा; प्रशिक्षण, मनोरंजन प्रदान करना; खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	15304	5.30

42	वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएँ और उनसे संबंधित अनुसंधान और डिज़ाइन, औद्योगिक विश्लेषण और अनुसंधान सेवाएँ; कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास	11276	3.90
43	खाद्य और पेय उपलब्ध कराने के लिए सेवाएँ; अस्थायी आवास	10061	3.48
44	चिकित्सा सेवाएं; पशु चिकित्सा सेवाएँ; मनुष्यों या जानवरों के लिए स्वच्छ और सौंदर्य देखभाल; कृषि, बागवानी और वन्य सेवाएँ	6295	2.18
45	कानूनी सेवाओं; संपत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सेवाएँ; व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएँ	3326	1.15

***टिप्पण:** बहुवर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है (अर्थात एक से अधिक वर्ग की वस्तु तथा सेवाओं के लिए एकल आवेदन)व तदनुसार,सभी वर्गों की वस्तुओं व सेवाओं के लिए एकल पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, वर्गानुसार आवेदनों के संबंध में, बहु-वर्गीय आवेदनों में प्रत्येक वर्ग पर अलग से विचार किया जाता है।*

7. व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा 2023 & 2024: व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 147-148 के अनुसार व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा 2023 & 2024 संचालित की गई।

7.1 व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा 2023 दिनांक 06/05/2023 को 9 स्थानों अर्थात अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नागपुर में आयोजित की गई थी। परीक्षा शुल्क के साथ कुल 1496 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। पेपर- I में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1017 और पेपर- II में 1002 थी। मौखिक परीक्षा के लिए 167 पात्र उम्मीदवारों की सूची 10/06/2023 को प्रकाशित की गई थी, और सभी चयनित उम्मीदवार मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे जो 23/06/2023 को अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में स्थित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में आयोजित की गई थी। मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले 167 उम्मीदवारों में से 103 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें 53 उम्मीदवार पुरुष और 50 उम्मीदवार महिलाएं हैं।

7.2 व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा 2024 दिनांक 06/01/2024 को 14 स्थानों अर्थात अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची और विशाखापत्तनम में आयोजित की गई थी। पेपर 1 के लिए कुल 360 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जबकि पेपर 2 के लिए 355 उम्मीदवार उपस्थित थे। उनमें से 142 उम्मीदवारों ने मौखिक चरण के लिए सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त की। मौखिक परीक्षाएं चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में स्थित पेटेंट कार्यालयों के साथ-साथ व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, अहमदाबाद और आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में 10/02/2024 को आयोजित की गईं। मौखिक परीक्षा में उपस्थित 142 उम्मीदवारों में से 110 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें 50 उम्मीदवार पुरुष और 60 उम्मीदवार महिलाएं हैं।

8. राजस्व

वर्ष 2023-24 के दौरान, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु. 467.3459 करोड़ (मैड्रिड प्रणाली के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए आईबी से शुल्क के रूप में प्राप्त रु. 41.882 करोड़ सहित) का राजस्व अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष रु. 444.6509 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ था।

परिशिष्ट I

पिछले 5 वर्षों में व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दाखिल	334805	431213	447805	466580	**476089**
परीक्षित	338551	463912	431520	395405	**721944**
पंजीकृत	294172	255976	261408	231977	**279717**

परिशिष्ट II

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रकाशित व्यापार चिह्नों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की संख्या
1	2019-20	378147
2	2020-21	339356
3	2021-22	310196
4	2022-23	237203
5	**2023-24**	**569861**

परिशिष्ट III

01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक विभिन्न कार्यालयों में दाखिल विरोध/परिशोधन आवेदनों और उनके निष्पादन का विवरण

व्यापार चिह्न कार्यालय	दाखिल विरोध/परिशोधन	निष्पादित मामले
अहमदाबाद	14609	9804
चेन्नई	12632	14143
दिल्ली	29865	46929
कोलकाता	6322	8069
मुंबई	16810	23213
आईआर डिविजन	1422	1038

पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न

क्रम सं.	वर्ष	पंजीकृत व्यापार चिह्नों की संख्या
1	2019-20	294172
2	2020-21	255976
3	2021-22	261408
4	2022-23	231977
5	**2023-24**	**279717**

……………………………………

चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली

परिचय

मैड्रिड प्रणाली कई देशों में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए एकल प्रक्रिया प्रदान करती है। यह दो संधियों द्वारा शासित होती है नामतः, 'द मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इन्टरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स' (संक्षेप में इसे मैड्रिड समझौते के नाम से जाना जाता है) और 'प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द मैड्रिड एग्रीमेंट' (संक्षेप में इसे मैड्रिड प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है)।

इन संधियों को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो (आईबी) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

1. मैड्रिड प्रोटोकॉल में भारत के शामिल होने की पृष्ठभूमि:

08 फरवरी, 2007 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मार्क्स' के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित मैड्रिड प्रोटोकॉल में भारत को शामिल होने को अपनी मंजूरी दे दी।

21 सितंबर, 2010 को, ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 में संशोधन किया गया था, जिसमें 'मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के माध्यम से ट्रेडमार्क की सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रावधान' अधिनियम में शामिल किए गए थे।

ट्रेड मार्क्स (संशोधन) नियम, 2013 को लागू करने के लिए 14 जनवरी 2013 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

मैड्रिड प्रोटोकॉल के प्रावधान भारत में 08 जुलाई 2013 से लागू हुए।

मैड्रिड सिस्टम (विशेष रूप से मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत) के तहत 'मार्क्स' के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार वर्णित की गई है:

मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया

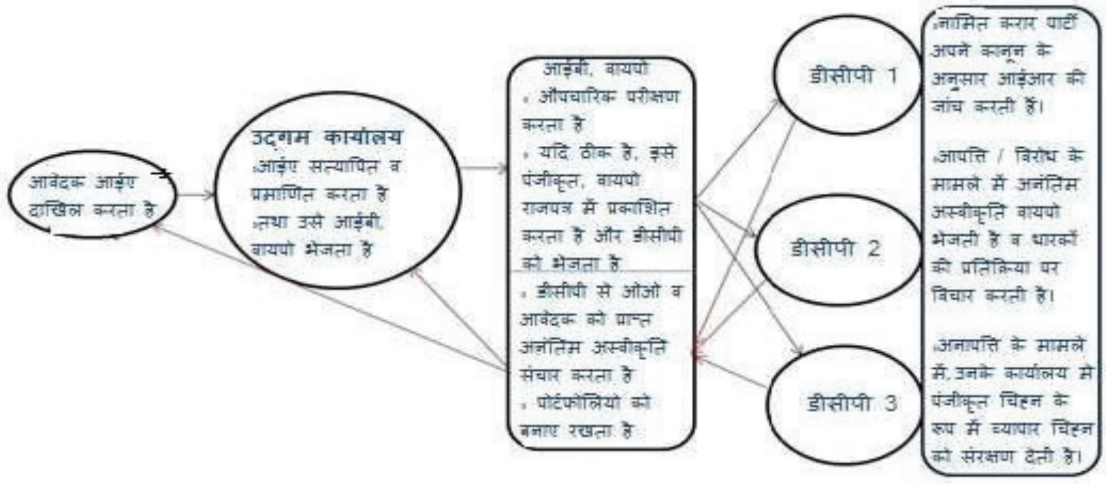

2. भारत में मैड्रिड प्रणाली का कार्यान्वयन:

अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग:

'अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग' मुंबई स्थित 'व्यापार चिह्न रजिस्ट्री' के प्रधान कार्यालय में स्थापित किया गया है। यह 'विंग' मुख्य रूप से भारतीय उद्यमियों से प्राप्त अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण किए जाने वाले आवेदनों के संबंध में मैड्रिड प्रणाली के तहत "उद्गम कार्यालय" (ऑफिस ऑफ ऑरिजिन) के रूप में और अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में मैड्रिड प्रणाली के तहत "नामित करार पार्टी कार्यालय" (ऑफिस ऑफ द डेज़ीग्नेटिंग कोंट्रेक्टिंग पार्टी) के रूप में विदेशी आवेदक के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में, जहां भारत को चिह्न के संरक्षण के लिए नामित किया गया है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।

उद्गम कार्यालय के रूप में, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

भारतीय उद्यमियों से फॉर्म एमएम 2 पर अंतरराष्ट्रीय आवेदन प्राप्त करना, ऐसे आवेदनों के संबंध में उनके साथ ऑनलाइन संवाद करना और टीएमआर की व्यापक ई-फाइलिंग सेवाओं के माध्यम से आवेदकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना।

ऐसे अंतरराष्ट्रीय आवेदनों को सत्यापित और प्रमाणित करना और उन्हें वायपो को प्रेषित करना।

अनियमितताओं के मामले में, यदि भारतीय कार्यालय द्वारा अग्रेषित अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में वायपो द्वारा सूचित किया जाता है, तो संबंधित आवेदकों से संपर्क कर ज्ञात हुए अनियमितताओं के विषय में वायपो को उत्तर देना।

यदि व्यापार चिह्न आवेदन या भारत में पंजीकरण जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल किया गया था, समाप्त हो जाता है,तो वायपो को अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के प्रभाव को समाप्त करने के विषय में सूचित करना।

साप्ताहिक आधार पर एफटीपी सर्वर के माध्यम से, भारत से किए जा रहे या होने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के साथ-साथ भारत को नामित किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में वायपो के साथ सभी पत्राचार करना।

3. मैड्रिड प्रणाली के अंतर्गत व्यापार चिह्न का अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण – भारतीय आवेदन :

वर्ष 2023-24 के अंत तक, भारतीय व्यापार चिह्न कार्यालय में मैड्रिड सिस्टम के तहत व्यापार चिह्न के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु 3372 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3115 आवेदन को सत्यापित, प्रमाणित और वायपो को प्रेषित किए गए और इन आवेदनों में से 2554 मार्क्स आवेदन का पंजीकरण वायपो के स्तर पर किया गया।

भारतीय उद्यमियों के भारतीय कार्यालय द्वारा वायपो को प्राप्त और प्रेषित किए गए अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की संख्या और पिछले 5 वर्षों में मैड्रिड सिस्टम के तहत वाईपो के द्वारा उनके पंजीकरण इस प्रकार हैं:

विगत पाँच वर्षों के दौरान भारतीय उद्यमियों द्वारा प्राप्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति:

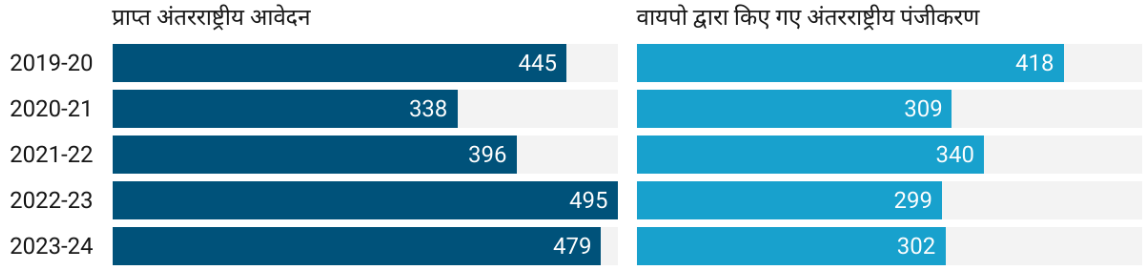

वर्ष	प्राप्त अंतरराष्ट्रीय आवेदन	वायपो द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण
2019-20	445	418
2020-21	338	309
2021-22	396	340
2022-23	495	299
2023-24	**479**	**302**

नामित करार पार्टी कार्यालय के रूप में, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

वायपो द्वारा भारतीय कार्यालय को अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण का विवरण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री डाटाबेस में स्थानांतरित करना, और राष्ट्रीय आवेदन के समान आईआरडीआई के रूप में प्रतिरूप रिकॉर्ड बनाना,

अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में वायपो अधिसूचनाओं के अनुसार टीएमआर रिकॉर्ड को अपडेट करना, जैसे धारक के नाम या पते में परिवर्तन करना, अस्वीकार करना, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के तहत वस्तुओं/सेवाओं को प्रतिबंधित करना, अस्वीकार करना आदि,

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का परीक्षण करना व यदि अधिनियम के अनुसार भारत में चिह्न को संरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता है तो वायपो को अनंतिम अस्वीकृति की सूचना भेजना,

हमारे राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण धारकों की ओर से प्रस्तुत अनंतिम अस्वीकृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया पर ध्यान देना और यदि आवश्यक हो, तो कारण बताओ सुनवाई का समय निर्धारित करना,

हमारे राष्ट्रीय व्यापार चिह्न जर्नल में स्वीकृत मामलों को प्रकाशित करना,

इस प्रकार प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय डेज़िग्नैशन के खिलाफ विरोध, यदि कोई हो तो उसे प्राप्त करना और वायपो को विरोध के आधार पर अनंतिम अस्वीकृति भेजना, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण धारक की ओर से काउंटर स्टेटमेंट प्राप्त करना और कानून के अनुसार विरोध कार्यवाही का संचालन करना,

ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में रजिस्ट्रार के आदेशों के खिलाफ दाखिल अपील/रिट याचिकाओं के मामले में कार्यालय का प्रतिनिधित्व करना,

अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में वायपो को अंतिम/फाइनल (साथ ही आगे के निर्णय, यदि कोई हो) के विषय में सूचित करना।

4. वर्ष 2023-24 के दौरान गतिविधियाँ- अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण:

वायपो ने भारत में व्यापार चिह्न की सुरक्षा के लिए 12838 अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के लिए भारतीय कार्यालय को सूचित किया था।

इन सभी अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का एक मिरर रिकॉर्ड आईआरडीआई के रूप में बनाया गया था और 12576 आईआरडीआई की जांच की गई थी।

3157 मामलों के संबंध में जांच के आधार पर अनंतिम अस्वीकार वायपो को सूचित किया गया था।

794 अनंतिम अस्वीकार के विषय में वायपो को सूचित किया गया।

1027 विरोधों का अंततः निस्तारण किया गया।

व्यापार चिह्न अधिनियम के तहत सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 7206 अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के मामले में संरक्षण वायपो को भेजा गया था; 7206 में से 4234 अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में, आवेदकों को इस कार्यालय से संपर्क करने की भी आवश्यकता नहीं हुई और ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के तहत मार्क्स को भारत में सुरक्षा प्रदान की गई।

3145 अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों को भारत में मार्क की सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया।

वायपो द्वारा अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों की संख्या और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पिछले 5 वर्षों के भीतर वायपो को भेजे गए ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के तहत मार्क्स की सुरक्षा का विवरण इस प्रकार है:

विगत 5 वर्षों के दौरान वायपो द्वारा अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय व्यापार चिह्न पंजीकरण की प्रवृत्ति :

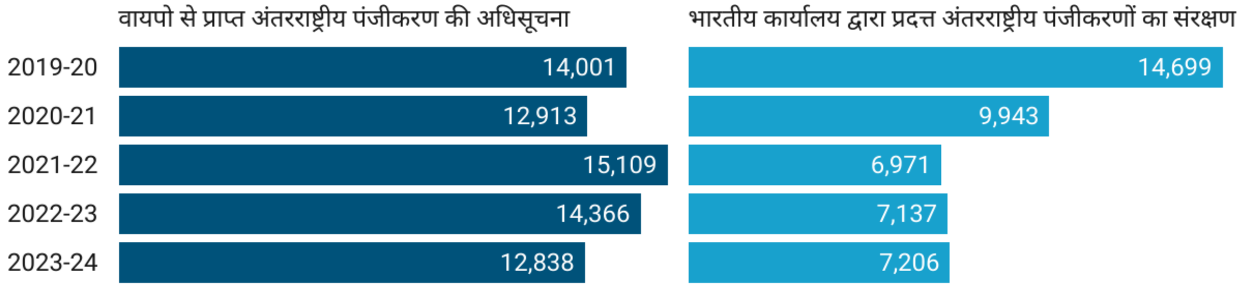

वर्ष	वायपो से प्राप्त अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की अधिसूचना	भारतीय कार्यालय द्वारा प्रदत्त अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का संरक्षण
2019-20	14001	14699
2020-21	12913	9943
2021-22	15109	6971
2022-23	14366	7137
2023-24	**12838**	**7206**

5. राजस्व:

भारतीय कार्यालय को वायपो से मैड्रिड प्रणाली के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में राजस्व प्राप्त होता है, जहाँ ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के नवीकरण के साथ-साथ भारत में चिह्न का संरक्षण मांगा गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, भारतीय कार्यालय ने चिह्नों के संरक्षण के लिए भारत को नामित करने वाले अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के लिए रु.41.882 करोड़ शुल्क के रूप में प्राप्त किए।

....

भौगोलिक उपदर्शन

परिचय

भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) विशेष रूप से उन उत्पादों पर केंद्रित होते हैं जो अपने भौगोलिक उद्गम के आधार पर अपने विशिष्ट गुण प्राप्त करते हैं। जीआई उन उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाले नामों या चिह्नों को संदर्भित करता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक उद्गम होता है और उनमें उस स्थान के लिए निहित गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएँ होती हैं।

औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 (2) और 10 के तहत, भौगोलिक उपदर्शन को बौद्धिक संपदा अधिकार के एक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। वे बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) समझौते के अनुच्छेद 22 से 24 के तहत भी शामिल हैं।

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (जीआईआर):

स्थापना और उद्देश्य:

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की स्थापना वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को प्रशासित करने के लिए की गई थी।

उद्देश्य: वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक उपदर्शन के लिए पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करना। यह विशिष्ट क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले उत्पादों से जुड़े अद्वितीय गुणों को संरक्षित करने में मदद करता है। वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 15 सितंबर, 2003 को लागू हुआ।

स्थान: रजिस्ट्री चेन्नई, भारत में स्थित है।

कार्य और गतिविधियाँ:

क. पंजीकरण: जीआईआर भौगोलिक उपदर्शन को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े उत्पादों को कानूनी सुरक्षा और मान्यता मिलती है।

ख. जागरूकता कार्यक्रम: जीआईआर पूरे भारत में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन और उनमें भाग लेता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जीआई के लाभों और महत्व के बारे में शिक्षित करना है।

2. भौगोलिक उपदर्शन आवेदन:

वर्ष के दौरान, 134 आवेदन दाखिल किए गए, 98 आवेदन परीक्षित किए गए और 160 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए।

31 मार्च, 2024 तक भौगोलिक उपदर्शन आवेदन की स्थिति

दाखिल भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	1206
पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	635

31 मार्च 2024 तक प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का स्थिति अनुसार वितरण

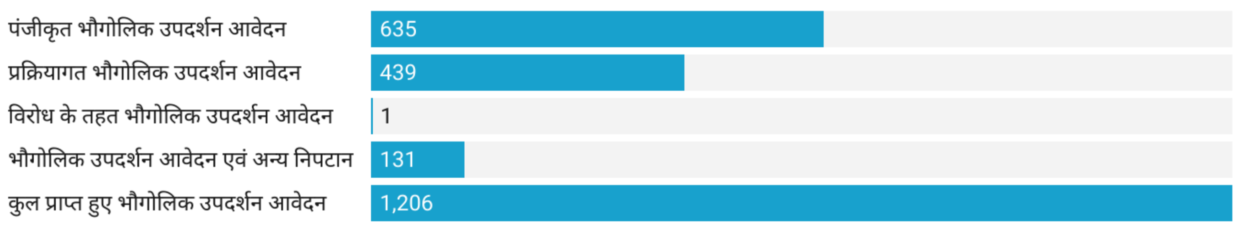

31 मार्च, 2024 तक प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन आवेदन का स्थिति के अनुसार ब्यौरा	
पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदन	635
प्रक्रियागत भौगोलिक उपदर्शन आवेदन	439
विरोध के तहत भौगोलिक उपदर्शन आवेदन	01
भौगोलिक उपदर्शन आवेदन एवं अन्य निपटान	131
कुल प्राप्त हुए भौगोलिक उपदर्शन आवेदन	1206

3. प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन:

भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान 2003 से उपलब्ध था किन्तु मई 2009 से रजिस्ट्री ने भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ किया तथा रजिस्ट्री ने 31 मार्च, 2024 तक **35437** (पैंतीस हजार चार सौ सैंतीस) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं।

31 मार्च 2024 तक भौगोलिक उपदर्शन आवेदन और प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की प्रवृत्ति

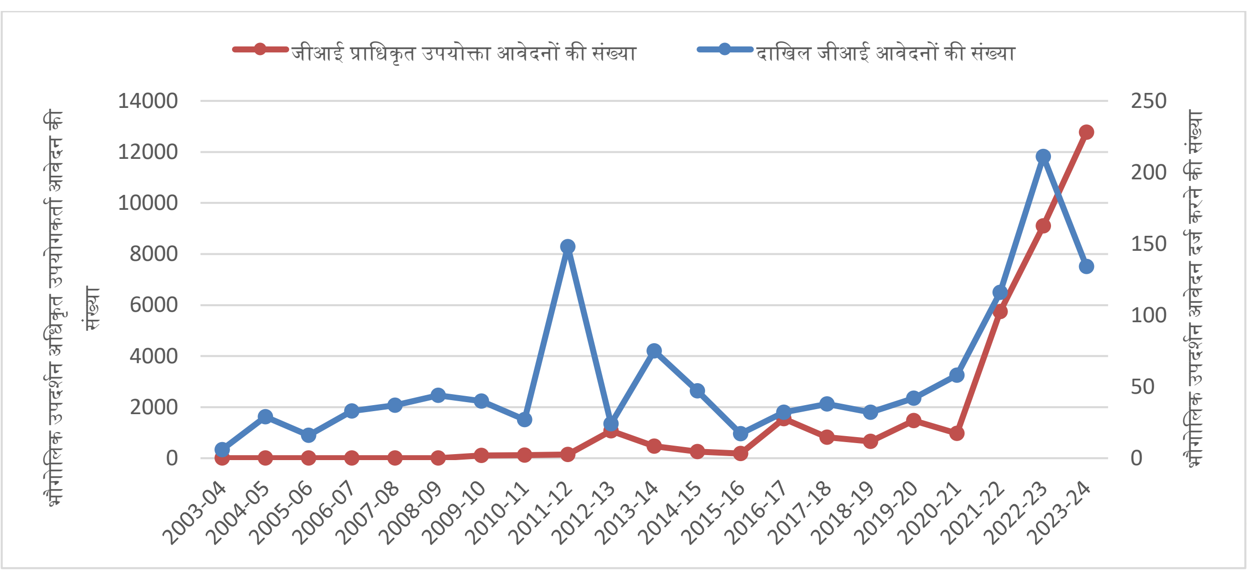

31 मार्च, 2024 तक दाखिल किए गए भौगोलिक उपदर्शन आवेदन और भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन का वर्ष वार विवरण

वर्ष	दाखिल भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या	भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या
2003-04	6	0
2004-05	29	0
2005-06	16	0
2006-07	33	0
2007-08	37	0
2008-09	44	0
2009-10	40	101
2010-11	27	124
2011-12	148	145
2012-13	24	1070
2013-14	75	471
2014-15	47	262
2015-16	17	176
2016-17	32	1548
2017-18	38	823
2018-19	32	662
2019-20	42	1476
2020-21	58	966
2021-22	116	5745
2022-23	211	9102
2023-24	134	12766
कुल	**1206**	**35437**

31 मार्च, 2024 तक दाखिल भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों* का वर्गीकरण

वस्तुओं के प्रकार	भौगोलिक उपदर्शन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या
हस्तकला (कपड़ा सहित)	545	337
कृषि	369	197
निर्मित	169	48
खाद्य सामग्री	105	50
प्राकृतिक	18	3
कुल	1206	635

टिप्पणी: *भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2(च) के अनुसार वर्गीकृत

31 मार्च, 2024 तक राज्यवार पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन

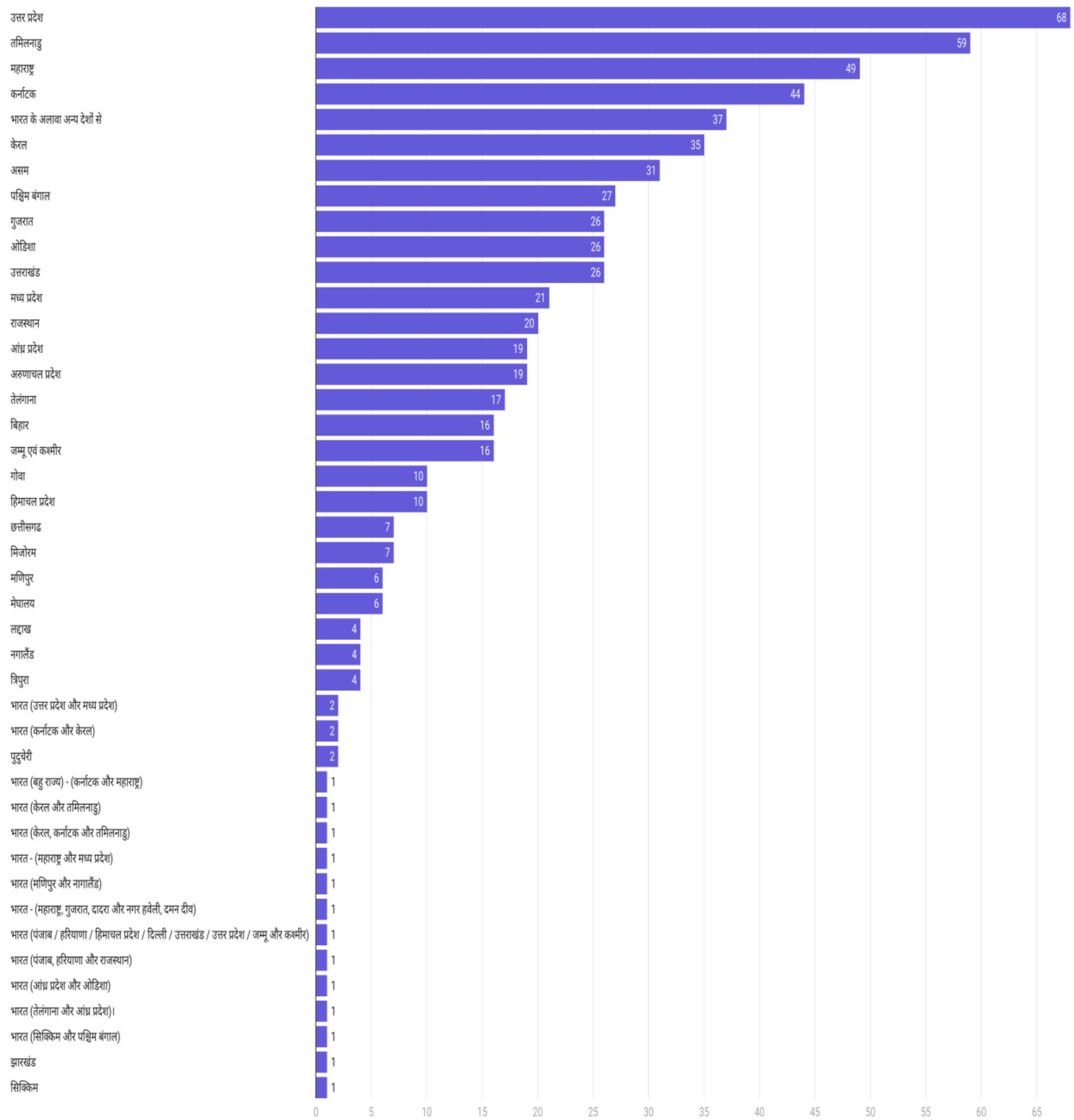

राज्य/इकाई	पंजीकृत जीआई की संख्या
आंध्र प्रदेश	19
अरुणाचल प्रदेश	19
असम	31
बिहार	16
छत्तीसगढ	7
गोवा	10
गुजरात	26
हिमाचल प्रदेश	10
भारत (बहु राज्य) - (कर्नाटक और महाराष्ट्र)	1
भारत (केरल और तमिलनाडु)	1

भारत (केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु)	1
भारत - (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश)	1
भारत (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश)	2
भारत (मणिपुर और नागालैंड)	1
भारत - (महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव)	1
भारत (पंजाब / हरियाणा / हिमाचल प्रदेश / दिल्ली / उत्तराखंड / उत्तर प्रदेश / जम्मू और कश्मीर)	1
भारत (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान)	1
भारत (आंध्र प्रदेश और ओडिशा)	1
भारत (कर्नाटक और केरल)	2
भारत (तेलंगाना और आंध्र प्रदेश)।	1
भारत (सिक्किम और पश्चिम बंगाल)	1
जम्मू एवं कश्मीर	16
झारखंड	1
कर्नाटक	44
केरल	35
लद्दाख	4
मध्य प्रदेश	21
महाराष्ट्र	49
मणिपुर	6
मेघालय	6
मिजोरम	7
नगालैंड	4
ओडिशा	26
पुदुचेरी	2
राजस्थान	20
सिक्किम	1
तमिलनाडु	59
तेलंगाना	17
त्रिपुरा	4
उत्तर प्रदेश	68
उत्तराखंड	26
पश्चिम बंगाल	27
भारत के अलावा अन्य देशों से	37
कुल	**635**

31 मार्च, 2024 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन की स्थिति

पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	29453
परीक्षित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	5735
पूर्व-परीक्षित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	0
विज्ञापित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	171
विरोध के अधीन भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	2
विलय किए गए भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	28
आहरित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	48
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की कुल संख्या	**35437**

31 मार्च, 2024 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वस्तुओं के अनुसार विवरण

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ	प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या
हस्तकला (वस्त्र सहित)	15422	12781
कृषि	19252	15937
विनिर्मित	201	185
खाद्य पदार्थ	543	532
प्राकृतिक	19	18
कुल	**35437**	**29453**

4. राजस्व:

वर्ष के दौरान भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, चेन्नई से भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों और अन्य कार्यवाहियों के संबंध में फीस के रूप में कुल 11,90,105/- रुपये (ग्यारह लाख नब्बे हजार एक सौ पांच रुपये मात्र) का राजस्व प्राप्त हुआ।

……………………………………

परिचय:

प्रतिलिप्यधिकार या कॉपीराइट एक अनन्य, कानूनी अधिकार है, जिसका उद्देश्य साहित्य, कला, संगीत, फ़िल्म और कंप्यूटर प्रोग्राम आदि के रूप में मानव बुद्धिमता के निर्माण की रक्षा करना है, जिससे मालिक को इसके उपयोग से लाभ मिल सके। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत प्रतिलिप्यधिकार का प्रशासन किया जाता है, जिसमें समय-समय पर संशोधन करके विधि को तीव्र विकास के अनुरूप बनाया गया है।

1. प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय:

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की स्थापना 1958 में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत की गई थी। प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय का मुख्य कार्य प्रतिलिप्यधिकार का पंजीकरण करना है।

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय द्वारा बनाए रखा गया प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के तहत पंजीकृत कार्यों के बारे में आम जनता को जानकारी प्रदान करता है।

इसके अलावा, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर का निरीक्षण, विवरण में परिवर्तन, उससे उद्धरण लेना, प्रतिलिप्यधिकार का प्रशासन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कॉपीराइट सोसायटी आदि भी प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय के क्षेत्राधिकार में हैं। सीजीपीडीटीएम को प्रतिलिप्यधिकार के पदेन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय ने पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदन के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। आवेदक सुनवाई के समय आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकता है। जैसा कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 13 के तहत प्रदान किया गया है, प्रतिलिप्यधिकार कार्यों के निम्नलिखित वर्गों में मौजूद है।

[i] मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कृतियाँ;

[ii] सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्में ; और

[iii] ध्वनि रिकॉर्डिंग।

प्रतिलिप्यधिकार किसी कार्य का निर्माण होते ही अस्तित्व में आ जाता है और प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करने के लिए किसी औपचारिकता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और उसमें दर्ज की गई प्रविष्टियाँ विधिक न्यायालय में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामित्व से संबंधित विवाद के संदर्भ में प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में काम करती हैं।

आवेदन पत्र, शुल्क संरचना, प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013 के संबंधित उद्धरण सहित पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में विवरण, प्रतिलिप्यधिकार की आधिकारिक वेबसाइट, अर्थात http://copyright.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2. प्रतिलिप्यधिकार का स्वामित्व:

प्रतिलिप्यधिकार कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार विशिष्ट हैं यद्यपि ये सीमित अवधि के लिए हैं। ऐसे कार्य का कार्य के स्वामी के प्राधिकार/अनुमति के बिना कोई भी उपयोग प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है (प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के तहत कुछ सीमाएँ और अपवाद प्रदान किए गए हैं।) कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि एक बार विशेष अधिकार रखने की अवधि समाप्त हो जाने पर, आम जनता को कार्य तक सहज पहुंच मिलनी चाहिए।

3. प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी:

भारत में पंजीकृत प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी निम्नलिखित हैं:

- CINEFIL प्रोड्यूसर्स परफॉर्मेंस लिमिटेड – सिनेमेटोग्राफ कार्यों के लिए।
- भारतीय रिप्रोग्राफ़िक अधिकार संगठन (आईआरआरओ) - फोटोग्राफी कार्यों के लिए।
- रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (आरएमपीएल) - ध्वनि रिकॉर्डिंग कार्यों के लिए।

4. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/संधि/समझौते:

विदेशों में भारतीय कार्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत प्रतिलिप्यधिकार और संबंधित अधिकारों पर निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का सदस्य बना हुआ है:

- बर्न कन्वेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटररी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स,
- यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेन्शन,
- ट्रेड रिलेटिड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) समझौता,
- मरक्केश ट्रीटी टू फेसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स बाय विज़ुयली इंपेयर्ड पर्सन्स एंड प्रिंट डिसेबिलिटीज़,
- वायपो कॉपीराइट ट्रीटी (डबल्यूसीटी),
- वायपो परफोरमन्सेस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी (डबल्यूपीपीटी)

5. अद्यतन गतिविधियां:

भारत सरकार ने दिनांक 30 मार्च, 2021 के जीएसआर 225(ङ) के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। संशोधन निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव लाया है:

- **प्रतिलिप्यधिकार जर्नल का प्रकाशन** : प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की वेबसाइट पर प्रतिलिप्यधिकार जर्नल के प्रकाशन के संबंध में एक नया प्रावधान लाया गया है, जिससे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- **सॉफ़्टवेयर कार्यों का सरल अनुपालन**: सॉफ़्टवेयर कार्यों के पंजीकरण के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को काफी हद तक कम कर दिया गया है, जिसमें आवेदक स्रोत कोड के पहले10 और अंतिम10 पृष्ठ, या 20 पृष्ठों से कम होने पर संपूर्ण स्रोत कोड दाखिल कर सकता है, जिसमें कोई ब्लॉक्ड या संशोधित भाग न हो।
- **वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट**: प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट तैयार करने और सार्वजनिक करने की आवश्यकता होगी।
- कार्यालय द्वारा जून 2023 में "आईपी मंथन: कॉपीराइट: नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा संवाद और चर्चा की गई।

6. प्रतिलिप्यधिकार की प्रवृत्ति:

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय ने उपयोगकर्ताओं की पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ाने के अपने प्रयास में "प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी के पंजीकरण/नवीनीकरण फॉर्म (VIII) और फॉर्म (IX)" और "परफॉर्मर्स सोसायटी के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए फॉर्म (XI) और फॉर्म (XII)" के लिए ई-फाइलिंग सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है।

प्रतिलिप्यधिकार की प्रवृत्ति

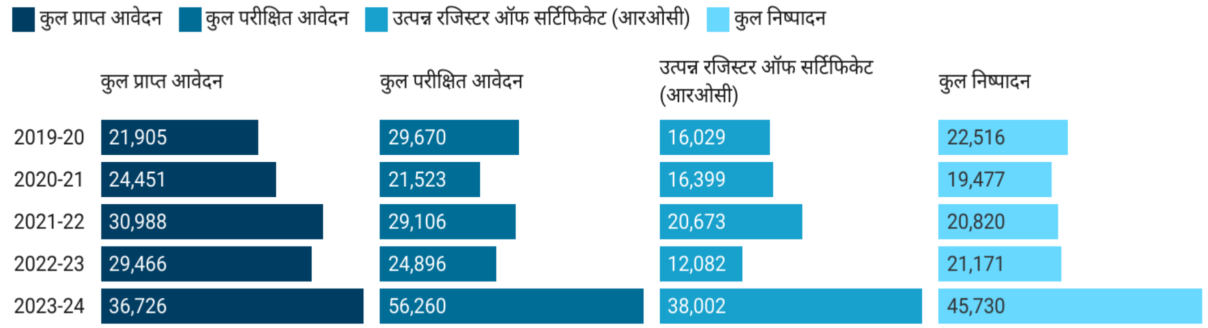

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 36726 आवेदन प्राप्त हुए और 56260 आवेदनों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियों को सुधार के लिए आवेदकों को सूचित किया गया। 2023-24 में 38002 रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट (आरओसी) सृजित हुए।

2019-20 से 2023-24 तक के सांख्यिकीय आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल परीक्षित आवेदन	उत्पन्न रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट (आरओसी)	कुल निष्पादन
2019-20	21905	29670	16029	22516
2020-21	24451	21523	16399	19477
2021-22	30988	29106	20673	20820
2022-23	29466	24896	12082	21171
2023-24	**36726**	**56260**	**38002**	**45730**

प्रतिलिप्यधिकार के कुल निष्पादन की प्रवृत्ति

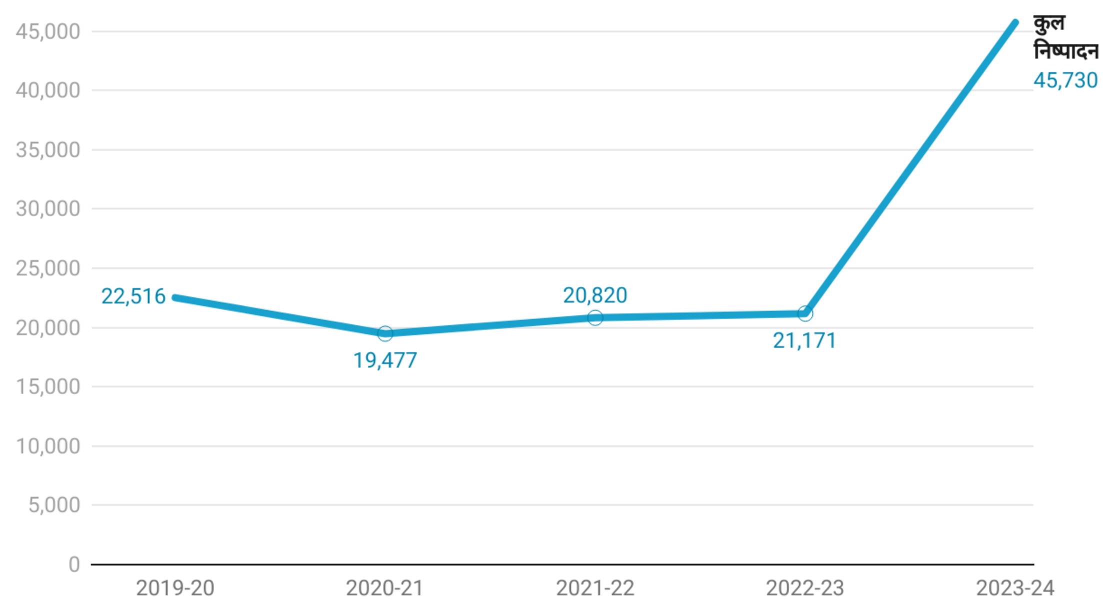

वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पन्न कॉपीराइट (आरओसी) का पंजीकरण (श्रेणियों के आधार पर)

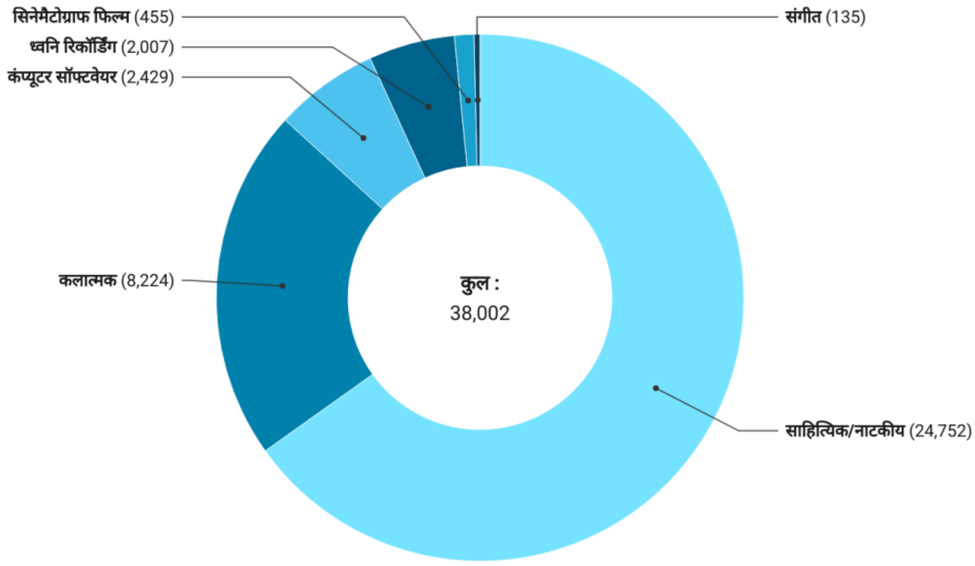

वर्ष 2023-24 के दौरान वर्गवार सृजित रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट (आरओसी)

क्र.सं.	वर्ग	आरओसी
1	कलात्मक	8224
2	सिनेमैटोग्राफ फिल्म	455
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2429
4	साहित्यिक/नाटकीय	24752
5	संगीत	135
6	ध्वनि रिकॉर्डिंग	2007
कुल		38002

7. प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की प्रमुख उपलब्धियाँ:

ऑनलाइन आवेदन दाखिल करना कुल आवेदनों के 96% के स्तर पर पहुंच गया है।

नई ई-फाइलिंग सुविधा शुरू की गई है।

प्रतिलिप्यधिकार विवरण में परिवर्तनों का पंजीकरण: आवेदक अब प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में परिवर्तनों को अपडेट करने के लिए फॉर्म XV को ई-फाइल कर सकते हैं।

कॉपीराइट और परफॉर्मर्स सोसाइटीज का पंजीकरण/नवीनीकरण: ई-फाइलिंग सुविधाएँ अब निम्नलिखित के लिए उपलब्ध हैं:

- कॉपीराइट सोसाइटीज का पंजीकरण/नवीनीकरण (फॉर्म VIII और IX)

- परफॉर्मर्स सोसाइटीज का पंजीकरण/नवीनीकरण (फॉर्म XI और XII)
- **गैर-कर रसीद पोर्टल**: प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय के ई-फाइलिंग प्लेटफ़ॉर्म पर एक नया गैर-कर रसीद पोर्टल आरंभ किया जा रहा है।
- **तीसरे पक्ष की आपत्तियाँ**: एक नया प्रावधान तीसरे पक्ष को प्रस्तावित प्रतिलिप्यधिकार कार्यों के खिलाफ आपत्तियाँ दर्ज करने की अनुमति देता है। यह सुविधा प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन करती है और कागज़ के उपयोग को कम करती है।
- **सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग**: प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय अब पंजीकरण आवेदनों के लिए भौतिक बैठकों की जगह सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प प्रदान करता है।

8. राजस्व:

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 और नियमों के तहत प्रतिलिप्यधिकार आवेदनों और अन्य कार्यवाहियों के संबंध में शुल्क के माध्यम से वर्ष के दौरान प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय से कुल राजस्व रु. 3,45,01,965 /- (तीन करोड़ पैंतालिस लाख एक हजार नौ सौ पैंसठ रुपये मात्र) अर्जित हुए।

……………………………………

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

परिचयः

यह अध्याय अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 88 के तहत अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर) द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (एसआईसीएलडी अधिनियम) अर्धचालक एकीकृत परिपथ (आईसी) डिजाइनों को संरक्षण प्रदान करता है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अर्धचालकों, धातुओं, डाईइलेक्ट्रिक (इंसुलेटर) व अन्य सामग्री की कई परतों को मिलाकर सब-स्ट्रेट पर बनाए (फेब्रीकेट किए) जाते हैं। एसआईसीएलडी अधिनियम और नियम एकीकृत परिपथ अभिन्यास के रूप में इन परतों के त्रिआयामी विन्यास को संदर्भित करते हैं।

एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के पंजीकरण के लिए मानदंड यह है कि वह होना चाहिए:-

- मूल
- विशिष्ट
- किसी भी अन्य अभिन्यास डिजाइन से अलग होने में सक्षम

भारत में अथवा किसी भी कन्वेंशन देश में कहीं भी व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं किया गया हो।

1. अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर):

एकीकृत परिपथों के विन्यास डिजाइन संबंधी आवेदन बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री में दाखिल किए जाते हैं। इस रजिस्ट्री का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) अधिनियम तथा एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) नियम, 2001 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार रजिस्ट्री एकीकृत परिपथ के विन्यास डिजाइन का परीक्षण करती है व अर्धचालक एकीकृत परिपथ के मूल विन्यास डिजाइन को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करती है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का प्रशासन पूर्व में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के नियंत्रण में था, लेकिन 17 मार्च, 2016 की अधिसूचना द्वारा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के प्रशासन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग जिसका नाम अब उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) है, उसमें स्थानांतरित कर दिया गया तथा कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के नियंत्रण में लाया गया। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री अब बौद्धिक संपदा भवन, द्वारका नई दिल्ली से कार्य कर रही है।

अब तक अभिन्यास डिजाइन के लिए सात (07) पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं:

1. अभिन्यास-डिजाइन संख्या 1(I)/2013 जिसका शीर्षक **"8 पोर्ट माइक्रो-कंट्रोलर (BE.80501)"** है, मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के नाम पर।
2. अभिन्यास-डिजाइन संख्या 2(I)/2016 जिसका शीर्षक **"50-60 GHz सब हार्मोनिक IQ मिक्सर"** है, मेसर्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नाम पर।

3. अभिन्यास-डिजाइन संख्या 1/9/2020 जिसका शीर्षक "**अल्ट्रा-हाई गेन एंड लो नॉइज मोनोलिथिक एक्स-बैंड एमएमआईसी एम्पलीफायर ऑन 0.15 Um InGaAs प्रोसेस**", भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) के नाम पर।
4. अभिन्यास-डिजाइन संख्या 1/10/2020 जिसका शीर्षक "**हाई गेन एंड अल्ट्रा-लो नॉइज सी बैंड एम्पलीफायर**", भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) के नाम पर।
5. अभिन्यास-डिज़ाइन संख्या 1/11/2020 जिसका शीर्षक "**एस बी एंड 8-बिट डिजिटल फेज़ शिफ्टर**" है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) के नाम पर।
6. अभिन्यास-डिज़ाइन संख्या 1/12/2021 जिसका शीर्षक "**ऑन ई/डी मोड गैस फीमेट स्ट्रक्चर के साथ कस्टमाइज़्ड गेट का उपयोग करते हुए कम करंट ड्राइवर लॉजिक**" है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) के नाम पर।
7. अभिन्यास-डिज़ाइन संख्या 1/13/2021 जिसका शीर्षक "**बेहतर आईआईपी3, कम इंसर्शन फेज़ शिफ्ट, अच्छी तरह से मिलान किया गया एस-बैंड 7-बिट गैस एमएमआईसी डिजिटल एटेन्यूएटर**" है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) के नाम पर।

2. उपलब्धियां:

प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के दौरान, दो (02) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट अभिन्यास-डिज़ाइन आवेदन पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए, और उनकी प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। साथ ही, वर्ष 2023-24 के दौरान सात (07) आवेदनों का परीक्षण किया गया। इसके अलावा, पंजीकरण के लिए पाँच (05) आवेदन विज्ञापन के बाद पंजीकृत किए गए जबकि दो (02) आवेदन स्वीकार नहीं किए गए/परित्यक्त किए गए। 31 मार्च, 2024 तक पच्चीस (25) एसआईसीएलडी आवेदन पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए हैं।

3. एससीआईएलडी रजिस्ट्री की जनशक्ति संरचना

एससीआईएलडी रजिस्ट्री में निम्नलिखित पद अनुमोदित हुए हैं:

क्र. सं.	पदनाम	पद (पदों) की संख्या	ग्रेड पे के साथ पूर्व संशोधित वेतनमान
1.	पंजीकार	एक	पीबी4 + जीपी रु.8700
2.	तकनीकी अधिकारी	एक	पीबी2 + जीपी रु.5400
3.	निजी सचिव	एक	पीबी2 + जीपी रु.4600

....

अध्याय XI

राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) तथा पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)

परिचय

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संबंधी गतिविधियाँ पिछले कई वर्षों से देश में निरंतर बढ़ रही हैं। आईपीआर के सृजन, उपयोग व सार्थक समुपयोजन में कई जटिल समस्याएं शामिल हैं। देश में आईपीआर संबंधित ज्ञान में सुधार लाने और आईपीआर में हितधारकों के कौशल को उन्नत करने हेतु राष्ट्रीय केंद्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रबंधन, शोध और शिक्षण हेतु उच्च कोटि के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में नागपुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) की स्थापना की गई है। आरजीएनआईआईपीएम –परीक्षक,एकस्व एवं अभिकल्प हेतु प्रशिक्षण, बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओ) के अधिकारियों हेतु न्यायिक प्रशिक्षण, परीक्षक-व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन व अन्य आईपीओ अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा यह विभिन्न उपयोक्ता समुदायों हेतु बौद्धिक संपदा आईपी प्रशिक्षण/शिक्षण व आईपीआर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

1. उद्देश्य

राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना देश में बौद्धिक संपदा (आईपी) व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है। वर्तमान में, राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारियों व विभिन्न प्रकार के हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं बौद्धिक संपदा अधिकार विषय में जागरूकता पैदा करना है। समग्र उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- बौद्धिक संपदा कार्यालयों की आंतरिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना व उन्हें पूर्ण करना तथा बौद्धिक संपदा कार्यालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के उद्देश्यों को लागू करने हेतु विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों आदि में बौद्धिक संपदा जागरूकता पैदा करने व प्रशिक्षित बौद्धिक संपदा जनशक्ति के सृजन हेतु सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

- बौद्धिक संपदा व्यावसायिकों, बौद्धिक संपदा प्रबंधकों, अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों, सरकारी संस्थान एवं बौद्धिक संपदा उपयोगकर्ताओं जैसे अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।

- बौद्धिक संपदा अधिकार पर अल्पकालिक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

- बौद्धिक संपदा उपयोगकर्ताओं जिनमें विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान और विभिन्न संगठन शामिल हैं उनके बौद्धिक संपदा प्रणाली की सामान्य जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना।

- बौद्धिक संपदा अधिकार के सृजन, वाणिज्यिकरण और प्रबंधन में शामिल हितधारकों- उपयोक्ता समुदायों, सरकारी कर्मियों आदि को आधारभूत शिक्षा देना।

- देश में सभी प्रकार के बौद्धिक संपदा हितधारकों के लिए व प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रशिक्षण और शिक्षण की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम:

आरजीएनआईआईपीएम बौद्धिक संपदा अधिकारों अर्थात पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन, कॉपीराइट एवं एसआईसीएलडी आदि के वास्तविक और संभावित उपयोगकर्ताओं की पेटेंट व अन्य आईपी प्रणाली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इनसे व्यावसायिक, स्टार्ट-अप, विधि व्यवसाय, भावी पेटेंट आईपीआर अभिकर्ता(एजेंट), अनुसंधान एवं विकास संगठन, उद्योग, लघु व मध्यम उद्यमी, विद्याविद, केन्द्रीय /राज्य सरकारी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैयक्तिक आविष्कारक गण लाभान्वित होते हैं।

आरजीएनआईआईपीएम निम्नलिखित के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है :

- नवनियुक्त आईपीओ के अधिकारी,
- आईपीओ के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम,
- आईपीओ के अधिकारियों के लिए न्यायिक प्रशिक्षण,
- आईपी पर अल्पकालिक सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- संस्थानों, संगठनों, आईपीआर से संबन्धित संगठनों के लिए बौद्धिक संपदा विषय पर कार्यशालाएँ/ संगोष्ठियाँ/ जागरूकता कार्यक्रम,
- वाइपो व अन्य संगठनों के साथ संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

3. 2023-24 के दौरान उपलब्धियां

	सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम						विभागीय प्रशिक्षण			आम जन /संस्थान के लिए सेमिनार/ कार्यशाला/ जागरूकता	अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम	प्रतिभागियों की संख्या	कुल कार्यक्रम
	प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि												
वर्ष	1 दिन	2 दिन	3 दिन	5 दिन	6 दिन	2 सप्ताह	6 सप्ताह	1-21 दिन	कार्यकालीन प्रशिक्षण				
2019-20	14	14	10	3	6	2	1	1	--	41	3	5655	95
2020-21 (कोविड -19 महामारी के कारण केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए)	17	1	1	3	--	-	1	3	1	128	1	21077	156

2021-22 (कोविड -19 महामारी के कारण केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए)	12	19	8	9	--	1	1	3	--	358	2	79136	413
2022-23	4	19	13	5	--	--	--	8	--	772	1	174217	822
2023-24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	350	- -	65987	353
कुल	**47**	**53**	**32**	**20**	**6**	**3**	**3**	**15**	**4**	**1649**	**7**	**346072**	**1839**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आरजीएनआईआईपीएम द्वारा निपम-2.0 के अंतर्गत हितधारकों के लाभ के लिए 342 ऑनलाइन और 8 (आठ) ऑफ़लाइन जागरूकता कार्यशालाएँ भी आयोजित की गई। ऑनलाइन/ऑफ़लाइन जागरूकता कार्यशालाओं के अलावा, आरजीएनआईआईपीएम द्वारा ने तीन (3) विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है:

- नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प के अधीन कार्यरत तकनीकी सहायक के लिए 1 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ट्रेडमार्क एसोसिएट्स प्रबंधक/विश्लेषक/ समन्वयक के लिए 1 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ट्रेडमार्क एसोसिएट्स प्रबंधक/विश्लेषक/ समन्वयक के लिए 1 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

4. प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संकाय सदस्य:

प्रशिक्षण के संकाय सदस्य के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय के बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित विषय के विशेषज्ञ थे तथा देश के जाने-माने विभिन्न प्रसिद्ध संगठनों जिसमें बौद्धिक संपदा न्यायवादी (अटॉर्नी), बौद्धिक संपदा विशेषज्ञ आदि भी शामिल थे।

2023-24 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का विवरण:

क. विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:

विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन के अधीन कार्यरत तकनीकी सहायक के लिए 1 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	1-5 मई, 2023	78
ट्रडमार्क एसोसिएट्स प्रबंधक/विश्लेषक/ समन्वयक के लिए 1 सप्ताह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	15-19 मई,2023	88

ट्रेडमार्क एसोसिएट्स प्रबंधक/विश्लेषक/ समन्वयक के लिए 1 सप्ताह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	21-25 अगस्त, 2023	367

क्रम. सं	तारीख	विवरण का प्रशिक्षण और संकाय प्रदान किया
1	1-5 मई, 2023	नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन के अधीन कार्यरत तकनीकी सहायक के लिए 1 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (नागपुर – 01; दिल्ली – 49; चेन्नई – 12; कोलकाता – 04, मुंबई – 12) **शिक्षा संकाय –** वक्ता – श्री समीर स्वरूप, श्री राम लिंगा प्रसाद, श्री मनोज माधवन, श्री संतोष गुप्ता, डॉ. लतिका दवारा, श्री एम. डोरा सांबा, श्री अंजनेयुल्लू रेड्डी, श्री राकेश कुशवाहा, डॉ. सुमन वर्मा, श्री सुदीप्त डे, श्री अरुण कुमार प्रधान, श्री श्रीकांत के.एस., श्री पीयूष लेंडे, डॉ. एस.के. बारिक
2	15-19 मई, 2023	ट्रडमार्क एसोसिएट्स प्रबंधक/विश्लेषक/ समन्वयक के लिए 1 सप्ताह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (नागपुर-03; दिल्ली-39; मुंबई-12; चेन्नई-08, कोलकाता-08; अहमदाबाद-18) **संकाय-** वक्ता- श्री वी.सी.विवेकनंदन, डॉ. पवन कुमार पाण्ड्ये, डॉ, भास्कर उराडे, सुश्री.समेरा सेबेस्टिन, डॉ एस.के.मारवाह, डॉ.दीपक मेहरा, सुश्री अबिरामणी, श्री राहुल कदम, सुश्री क्लिट्टी शाजू, श्री जतिन त्रिवेदी, सुश्री रुचिका कुमार, श्री हरिकृष्ण होल्ला, श्री अनिल कुमार शर्मा, सुश्री रीमा श्रीनिवास आयंगर
3	21- 25 अगस्त, 2023	ट्रेडमार्क एसोसिएट्स प्रबंधक/विश्लेषक/ समन्वयक के लिए 1 सप्ताह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (नागपुर –117; दिल्ली – 95; मुंबई – 78; चेन्नई – 53, कोलकाता – 24) **संकाय** - वक्ता- श्री वी.सी.विवेकनंदन, श्री मनीष बंसल, श्री सत्येंद्र पांडे, डॉ. एस.के.मारवाह, श्री निपुण सांगरा, सुश्री स्मेरा सेबेस्टियन, सुश्री अबिरमणि, सुश्री दीपिकाला मथापति, सुश्री हिमा पी., सुश्री मुग्धा पोल, श्री अज़मत मिर्जा, श्री अरुण कुमार, एडवोकेट दर्शी मांकड़, सुश्री मधु रेवाड़ी, एडवोकेट जतिन त्रिवेदी, सुश्री रुचिका कुमार, सुश्री क्लिटी शाजू, श्री केतन भट्ट, श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री पवन कुमार पाण्ड्ये, श्री एन. बाबू, सुश्री रीमा श्रीनिवास अय्यनगर

ख. प्रशिक्षण कार्यक्रम(ओं) की तस्वीरें उपर्युक्त कालक्रमानुसार :

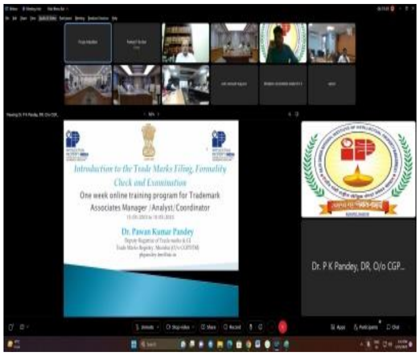		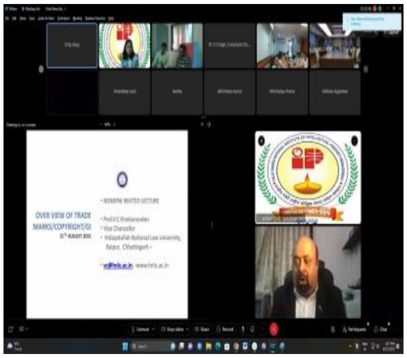

ग. सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:

वर्ष 2023-2024 के दौरान कोई भी सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित/संचालित नहीं किया गया। आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर ने आम जनता के लिए बौद्धिक सम्पदा के विभिन्न पहलुओं जिनमें ये विषय शामिल हैं- आईपीआर का परिचय, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट कार्यवाही, पेटेंट खोज सूचना और पेटेंट विनिर्देश का परिचय, अनंतिम एवं पूर्ण विनिर्देश, आईपी लाइसेंसिंग की प्राथमिक जानकारी, समनुदेशन, मुक़दमेबाज़ी, फॉर्म व फीस, ई-फाइलिंग, पीसीटी प्रक्रिया,डिजाइन, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन, एसआईसीएलडीआर और कॉपीराइट प्रक्रिया आदि विषयों पर 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय एवं 5 दिवसीय एवं 2 सप्ताह आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

घ. आरजीएनआईआईपीएम द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) एवं आईपीआर पर कार्यशालाएं:

वर्ष 2023-24 के दौरान, आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर ने कुल 342 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें निपम 2.0 के तहत आरजीएनआईआईपीएम परिसर में आईपीआर जागरूकता/कार्यशालाएं और 8 (आठ) ऑफलाइन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम से कुल 65,454 प्रतिभागियों ने पेटेंट, डिजाइन और आईपीआर के अन्य पहलुओं के महत्व को समझा। उक्त निपम कार्यक्रम 31 मार्च, 2024 तक आयोजित किए गए जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें छात्र-छात्राओं और उनके संकाय सदस्यों भी प्रतिभागियों के रूप में सम्मिलित हुए, इसका विवरण निम्न प्रकार है:

अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक निपम प्रशिक्षण कार्यक्रम

निपम वक्ता	प्रशिक्षण कार्यक्रम की सं.	प्रतिभागी
डॉ. मधु बाबू बेज्जम	17	3066
डॉ. भरत सूर्यवंशी	193	39986
डॉ. पंकज बोरकर	13	1505
श्री हिमांशु चंद्राकर	28	4652
श्री कुमार राजू	19	4382
श्री एम.बुची बाबू	4	618
श्री अतुल खड़े	9	894
श्री निर्मल्या सिन्हा	6	687
श्रीमती पूजा माऊलिकर	49	9249
श्री पीयूष लेंडे	1	80
श्री सदिगामा महेश	3	335
कुल	**342**	**65454**

आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर द्वारा निपम 2.0 के अंतर्गत आयोजित किए गए ऑफलाइन जागरूकता कार्यक्रम / कार्यशालाओं की तस्वीरें

ङ. 2023-2024 के दौरान आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में संचालित विभिन्न कार्यक्रम

1) बाबासाहेब अम्बेडकर जयंती

2) आईपी-दिवस उत्सव

3) मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (LiFE)

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या पी-27025/38/2023-चमड़ा/नमक (ई-181456) दिनांक 16/05/2023 के अनुसार, आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों द्वारा लाइफ मिशन के तहत देश भर के घरों से ई-कचरे की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने की शपथ ली गई।

4) **21 जून 2023 को अंतरराष्ट्रीय योग दिन:**

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 21 जून 2023 को योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा आयोजित किए गए ऑनलाइन सत्र में आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों ने भाग लिया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर व्यावहारिक सत्र का भी आयोजन किया गया।

5) **हिंदी कार्यशाला**

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, नागपुर के कार्यालय में तीन (3) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

6) **स्वतंत्रता दिवस 2023**

7) **रक्तदान शिविर:** 16 अगस्त 2023 को आरजीएनआईआईपीएम में लता मंगेशकर अस्पताल ब्लड बैंक और कंपोनेंट्स लैब, नागपुर के सहयोग से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आरजीएनआईआईपीएम के सभी अधिकारियों और ट्रेडमार्क के संविदा के अधिकारियों ने भाग लिया।

8) **हिंदी पखवाड़ा 2023 –** राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, नागपुर कार्यालय में दिनांक 14.09.2023 से 29.09.2023 तक राजभाषा हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

9) संविधान दिवस- 2023

10) स्वच्छता कार्य योजना 2023

डीपीआईआईटी के पत्र संख्या पी-11021(13)/52/2023-कार्यालय ज्ञापन और सीजीपीडीटीएम के पत्र संख्या सीजीपीडीटीएम-20019/1/2023-सीजीऑफिस/183 दिनांक 29/09/2023 के निर्देशों के अनुसार, आरजीएनआईआईपीएम ने स्वच्छता कार्य योजना (एस.ए.पी) के तहत अक्टूबर 2023 के महीने के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

- **अक्टूबर 2023: प्रारंभिक समारोह का एस.ए.पी :** एस.ए.पी-2023 के तहत महीने भर चलने वाले कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन आरजीएनआईआईपीएम के कार्यालय प्रमुख श्री निर्माल्य सिंहा ने किया, जिसके बाद आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों ने "स्वच्छता शपथ" ली।
- 3 अक्टूबर 2023: कार्यालय परिसर और उसके आसपास सफाई अभियान चलाया गया।
- 4 और 5 अक्टूबर, 2023: सभी महत्वपूर्ण कार्यालय फाइलों, रिकॉर्ड, फर्नीचर आदि के उचित रखरखाव के लिए कीट नियंत्रण अभियान चलाया गया।
- 7 अक्टूबर: "स्वच्छता ही सेवा" विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता
- 9 अक्टूबर: आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों और संविदा पर नियुक्त क्यूसीआई कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन।

- 10-13 अक्टूबर: बगीचे की सफाई, कीटनाशकों का छिड़काव, परिसर की सफाई, पानी की टंकियों, एसी डक्ट, छतों की सफाई।
- 16-19 अक्टूबर: कार्यालय क्षेत्र को पुनः व्यवस्थित करना, उचित रख-रखाव और भंडारण, स्थान का उपयोग। अप्रयुक्त कागज/उपकरणों को हटाना- सीजीपीडीटीएम के अंतर्गत अन्य कार्यालयों से अधिकारियों के स्थानांतरण और आरजीएनआईआईपीएम में लगभग 120 संविदा कर्मियों की नियुक्ति के कारण, स्टोर और अन्य कमरों की साफ-सफाई के साथ-साथ उचित बैठने की व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर कर इसे पुनर्व्यवस्थित किया गया।
- **वृक्षारोपण अभियान -** 17 अक्टूबर 2023 को वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।
- 20 अक्टूबर: **"कार्यालय और घर में दैनिक उपयोग के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर अंकुश लगाने" पर जागरूकता संगोष्ठी -** इस कार्यालय ने कार्यालय और घर दोनों में दैनिक उपयोग के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर अंकुश लगाने पर एक संगोष्ठी आयोजित किया । नागपुर के एक पूर्व महापौर और एनएमसी के एक अधिकारी द्वारा इस मुद्दे पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया गया, जिसमें स्थानीय शासन की अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक समाधान दोनों शामिल हुए ।
- **25-27 अक्टूबर: स्थानीय प्राधिकरण के सहयोग से कचरे को प्रभावी तरीके से हटाना, कचरे को अलग-अलग करना, उचित रीसाइकिलिंग सुनिश्चित करना -** इस कार्यालय ने स्थानीय प्राधिकरण नागपुर महानगर पालिका के सहयोग से कचरे को प्रभावी तरीके से हटाने पर 25 अक्टूबर 2023 को एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें कचरे को अलग-अलग करने और उचित रीसाइकिलिंग सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस पहल का उद्देश्य कचरा प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना जो पर्यावरणीय स्थिरता और समुदाय की भलाई के लिए महत्वपूर्ण हो।
- **30 अक्टूबर: धूल हटाना, एसी, यूपीएस और कंप्यूटर बाह्य उपकरणों की सफाई**

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30-10-2023 से 05-11-2023 तक की अवधि के दौरान मनाया गया, विवरण निम्नानुसार है:

30 अक्टूबर 2023 को यानी पहले दिन आधिकारिक उद्घाटन किया गया और उसके बाद सभी अधिकारियों और संविदाकर्मियों द्वारा शपथ ली गई, तथा उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर सीवीसी वेबसाइट पर ई-शपथ लेने के लिए प्रेरित किया गया।

दूसरे दिन यानी 31/10/2023 को, सीजीपीडीटीएम कर्मचारियों के लिए निवारक सतर्कता उपायों पर विशेष रूप से "भ्रष्टाचार को न कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हों" विषय पर एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें डॉ. अशोक बागुल, डीवाईएसपी, भंडारा ने कार्यक्रम के तय विषय पर व्याख्यान दिया।

तीसरे दिन यानी 01/11/2023 को सतर्कता जागरूकता और पीआईडीपीआई संकल्पों के संबंध में कार्यालय परिसर के बाहर जागरूकता अभियान वॉकथॉन का आयोजन किया गया।

चौथे दिन यानी 02/11/2023 को आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका विषय था: “भ्रष्टाचार को ना कहें”

पाँचवें दिन यानी 03/11/2023 को “विभागीय जांच में अनुशासनात्मक कार्यवाही” पर एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय नागपुर पीठ ने व्याख्यान दिया और सतर्कता सप्ताह के समापन समारोह के अतिथि रहे।

च. पेटेंट सूचना पद्धति

1980 में भारत सरकार ने नागपुर में, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) कार्यालय की स्थापना विश्व स्तर पर पेटेंट विनिर्देशों और पेटेंट से संबंधित साहित्य का विशद् संकलन बनाए रखने ताकि अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, उद्योगों, व्यवसायी उद्यमों, आविष्कारकों और भारत के अन्य उपयोक्ताओं की प्रौद्योगिकीय सूचना की आवश्यकता पूर्ण की जा सके व पेटेंट में निहित प्रौद्योगिकी सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। पेटेंट सूचना पद्धति उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यालय में उपलब्ध पेटेंट दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान करके पेटेंट आपूर्ति सेवा प्रदान करती है।

5. वार्षिक क्षमता निर्माण योजना

(i) **भविष्य निर्माण: वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) 2023-24 का गठन**

वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) 2023-24 का गठन और कार्यान्वयन कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) को मज़बूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। यह कार्यनीतिक पहल कार्यालय की क्षमताओं को इसके व्यापक दृष्टिकोण के साथ तालमेल स्थापित करने की दिशा में पहला संरचनात्मक कदम था। संभावनाओं की पहचान करके और व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक दोनों क्षेत्रों में क्षमता विकास को व्यवस्थित रूप से संबोधित करके, एसीबीपी ने अधिक कुशल, दक्ष और भविष्य के लिए तत्पर कार्यबल की नींव रखी है।

(ii) **व्यक्तिगत क्षमता विकास: योग्यता अंतर के बीच की सेतु**

व्यक्तिगत स्तर पर, एसीबीपी ने विभिन्न पदों के लिए आवश्यक योग्यताओं की मांग और आपूर्ति का सावधानीपूर्वक मानचित्रण किया। मांग के विश्लेषण में इसने अधिकारियों के लिए अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताओं (अभिवृत्ति, कौशल एवं ज्ञान) की पहचान की। आपूर्ति के क्षेत्र में इसने अधिकारियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस करने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण मॉड्यूल जैसे योग्यता-निर्माण उत्पादों की अनुशंसा की।

एसीबीपी का लक्ष्य एक अत्यधिक सक्षम कार्यबल का सृजन करना है जिसके लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पद सही योग्यताएँ प्राप्त करे, अपनी भूमिकाओं की स्पष्ट समझ रखे तथा भूमिका अपेक्षाओं के बारे में उसे अच्छी जानकारी हो। सीखने के संरचनात्मक अवसरों तक पहुँच के साथ, अधिकारियों को अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण की सफलता में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।

(iii) **संगठनात्मक विकास: दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाना**

व्यक्तिगत विकास से परे, एसीबीपी संगठनात्मक परिवर्तन के लिए रणनीतिक सिफारिशें प्रदान करता है। ये अंतर्दृष्टि प्रक्रिया दक्षता, परिचालन प्रभावशीलता और समग्र सेवा वितरण में सुधार पर केंद्रित हैं। एसीबीपी की सिफारिशों को लागू करके, बौद्धिक संपदा (आईपी) कार्यालय अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, अतिरेक को कम करने और संस्थागत चपलता को बढ़ाने के लिए तैयार है।

एसीबीपी का एक प्रमुख आकर्षण इसका संरचित रोडमैप है, जो लघु, मध्यम और दीर्घकालिक क्रियाकलापों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ये उपाय मौजूदा ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ निरंतर सुधार के लिए एक स्थायी तंत्र बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस कार्यालय का उद्देश्य शून्य बिलंबता प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि कार्यालय हितधारकों को उच्च-गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करते हुए शीर्ष दक्षता पर काम करे।

(iv) **मिशन कर्मयोगी**

राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी), जिसे मिशन कर्मयोगी के रूप में भी जाना जाता है, सरकार में योग्यता-आधारित क्षमता निर्माण और कार्मिक प्रबंधन प्रक्रिया बेहतर करने की दिशा में एक कदम है। यह कार्यक्रम भविष्य के लिए तैयार सरकारी कार्यबल के लिए योजना की कल्पना और रूपरेखा भी तैयार करता है जो चुस्त, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित है। इनमें से प्रत्येक विशेषता अधिकारियों को अप्रत्याशित चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करने के लिए तैयार रहते हुए दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

मिशन कर्मयोगी विशिष्ट मूल सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है जो इसके दायरे में सभी क्षमता-निर्माण हस्तक्षेपों पर लागू होते हैं।

(v) **योग्यता-आधारित क्षमता निर्माण**

मिशन कर्मयोगी के तहत इस कार्यालय ने चुस्त, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित कार्यबल के निर्माण की दृष्टि को मजबूत करने के लिए योग्यता-आधारित क्षमता-निर्माण ढांचे को लागू किया है। केपेसिटी बिल्डिंग यूनिट (सीबीयू) के सहयोग से 7 तकनीकी और 13 प्रशासनिक क्षेत्रों के 20 पदों के लिए योग्यता मानचित्रण पूरा कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप कार्य आवंटन आदेश (डब्ल्यूएओ), योग्यता प्रोफाइल और कर्मयोगी मंच को रेखांकित करने वाली आठ पुस्तिकाएं जारी की गई हैं। यह 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' प्रणाली में स्थानांतरित होने की दिशा में एक कदम है।

(vi) **आईजीओटी पर ऑनबोर्डिंग और सीखने की प्रगति**

इस कार्यालय की केपेसिटी बिल्डिंग यूनिट (सीबीयू) ने अपने अधिकारियों के लिए एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईगॉट) प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में सभी तकनीकी पदों पर अधिकारियों की ऑनबोर्डिंग और ओरिएंटेशन के साथ की गई थी। कर्मयोगी भारत ने प्लेटफॉर्म पर सुचारू ऑनबोर्डिंग और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान की। इसके बाद सीबीयू ने विशिष्ट भूमिकाओं और दक्षताओं के लिए आंकी गई दक्षताओं से जुड़े पाठ्यक्रमों का एक सेट तैयार किया।

जैसे-जैसे यह यात्रा आगे बढ़ी, सीबीयू ने प्रगति की निगरानी, अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने और निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित करने का कार्यभार संभाला। लर्निंग डेटा की प्रगति की निगरानी में शुरुआती चुनौतियों को दूर करने के लिए, सीबीयू और सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स (सीईजीआईएस) टीम ने मिलकर लर्निंग मैनेजमेंट डैशबोर्ड बनाया। लर्निंग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का एक हिस्सा यह डैशबोर्ड लर्निंग प्रगति को ट्रैक करने, समय पर संकेत देने और लर्निंग ट्रेंड और पैटर्न को समझने के लिए एक टूल प्रदान करता है।

इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा योग्यता-संरेखित शिक्षण कार्य में उल्लेखनीय शुरुआत की गई है जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान संचयी संस्थागत शिक्षण घंटे 41,750 घंटे से अधिक हैं। सीबीयू ने डीओपीटी द्वारा अनिवार्य कोर पाठ्यक्रमों के अलावा 7 तकनीकी पदों (परीक्षक तथा नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प; परीक्षक, सीनियर परीक्षक तथा रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन) से मेल खाने वाले व्यवहारिक और कार्यात्मक दक्षताओं के अनुरूप 27 पाठ्यक्रमों का एक सेट तैयार किया था। वर्ष 2023-24 में सभी 990 आईपी अधिकारियों को आईगॉट प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया। इनमें से 968 अधिकारियों (~ 98%) ने वर्ष 2023-24 में कम से कम एक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 86% (849) अधिकारियों ने 15 से अधिक पाठ्यक्रम पूरे किए, जबकि 67% ने 25 से अधिक पाठ्यक्रम पूरे किए।

तालिका 1: वर्ष 2023-24 में सभी तकनीकी अधिकारियों के लिए कुल ऑनबोर्डिंग और सीखने के घंटों की स्थिति

वर्ष	ऑनबोर्ड आईपी अधिशासियों की संख्या	कम से कम एक पाठ्यक्रम में पंजीकरण कराने वाले अधिशासियों की संख्या	कुल पाठ्यक्रम पंजीकरण	कुल पूर्ण पाठ्यक्रम	सीखने के कुल घंटे	प्रति व्यक्ति सीखने के औसत घंटे
	ए	बी	सी	डी	ई	ई/बी
2023-24	990	968	25965	23650	41750:31:37	43:07:51

(vii) **कार्य आवंटन आदेश:**

बौद्धिक संपदा कार्यालय के भीतर क्षमता निर्माण प्रयासों को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, 7 तकनीकी और 13 प्रशासनिक पदों के लिए एक संरचित कार्य आवंटन आदेश (डब्ल्यूएओ) तैयार किया गया। इस कार्य का उद्देश्य प्रत्येक पदों के लिए की जाने वाली भूमिकाओं और गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करना था। इस अभ्यास के बाद एक कार्य आवंटन पुस्तिका बनाई गई है जिसमें कार्य आवंटन आदेश, योग्यता प्रोफ़ाइल और कर्मयोगी मंच (व्यक्तिगत क्षमता निर्माण योजना) शामिल हैं, जिसमें डब्ल्यूएओ में उल्लिखित भूमिकाओं को आवश्यक दक्षता के लिए अंकित किया गया है। पहचान की गई दक्षता के आधार पर, प्रत्येक पद के लिए आईगॉट प्लेटफ़ॉर्म से प्रासंगिक पाठ्यक्रम तैयार किए गए थे। इस पुस्तिका का उद्देश्य अधिकारी को बौद्धिक संपदा कार्यालय में किए जाने वाले काम के बारे में मार्गदर्शन और बेहतर स्पष्टता देना है, जिसका साझा उद्देश्य अधिकारी द्वारा दक्षता को अनुकूलित करना और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना है।

इस गहन प्रक्रिया में, सीबीयू सदस्यों ने उन पदों की पहचान की जिनके कार्य आवंटन आदेश को चरणबद्ध तरीके से तैयार किया जाना था। प्रत्येक पद के लिए एक व्यापक प्रक्रिया अपनाई गई जिसकी शुरुआत संदर्भ-निर्माण और अभिविन्यास सत्र से हुई, जहाँ पदधारकों को योग्यता मानचित्रण अभ्यास से परिचित कराया गया। कई समूह चर्चाएँ और साक्षात्कार आयोजित किए गए, जिससे प्रमुख गतिविधियों के आँकड़े संग्रह करने में मदद मिली, सांकेतिक भूमिकाएँ और ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण (केएसए) परिभाषित किए गए। भूमिकाओं और गतिविधियों की समीक्षा करने पर, डोमेन, कार्यात्मक और व्यवहारिक योग्यताओं का अंकन किया गया। कई पुनरावृत्तियों, द्वितीयक शोध, पदधारकों से समीक्षा और वरिष्ठ अधिकारियों से व्यापक प्रतिक्रिया के माध्यम से एक संरचित सत्यापन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पुस्तिका का अंतिम संस्करण तैयार हुआ।

यह अभ्यास बौद्धिक संपदा कार्यालय में योग्यता आधारित कार्यबल नियोजन को संस्थागत बनाने की आशा रखता है। आगामी समय में यह पूरे संगठन में लक्षित शिक्षण, करियर की प्रगति और परिचालन उत्कृष्टता के लिए एक आधार के रूप में काम करेगा।

(viii) **चिंतन शिविर:**

सीबीयू ने वार्षिक क्षमता निर्माण योजना कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में चल रहे काम को उन्मुख और प्रसारित करने के लिए एसीबीपी कार्यशाला कार्यक्रम, चिंतन शिविर जैसे कुछ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए। एसीबीपी कार्यशाला कार्यक्रम 25 अगस्त, 2023 को सभी कार्यालयों में 100 से अधिक भागीदारी के साथ आभासी कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। सीबीयू ने 28-29 मार्च, 2024 को आईआईटी मद्रास में दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। चिंतन शिविर का उद्देश्य वित्त वर्ष 2023-24 में क्षमता निर्माण कार्यों की व्यवस्थित समीक्षा करना और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करना था। इस कार्यक्रम में 80 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने शिविर को ऑफ़लाइन और ऑनलाइन संबोधित किया। आईआईटी, मद्रास के निदेशक, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) के प्रोफेसरों और अन्य हितधारकों ने शिविर को संबोधित किया। सीजीपीडीटीएम द्वारा 7 तकनीकी पदों और 13 प्रशासनिक पदों (एक पुस्तिका में) को शामिल करने वाली 8 पुस्तिकाओं का एक सेट आधिकारिक तौर पर जारी किया गया।

....

अध्याय -XII

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

परिचय

यह अध्याय प्रतिवेदन वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में हुई प्रगति से संबंधित है। वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने अन्य आईपी कार्यालयों के साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में कई पहल किए। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण आईपी से संबंधित मुद्दों पर वायपो और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आयोजित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान अन्य देशों के आईपी कार्यालयों के साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में नई कार्य योजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए। विदेशी बौद्धिक संपदा कार्यालयों के सहयोग से कार्य योजनाओं के अंतर्गत कई पारस्परिक रूप से लाभकारी गतिविधियों का संचालन किया गया।

I. द्विपक्षीय सहयोग:

1. डेनिश पेटेंट व व्यापार चिह्न कार्यालय (डीकेपीटीओ):

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, दोनों आईपी कार्यालयों ने कार्य योजना के तहत उल्लिखित गतिविधियों में भाग लिया और उन्हें लागू किया। इनमें छात्रों के लिए आईपी जागरूकता अभियान और दोनों कार्यालयों में उपलब्ध ग्राहक-केंद्रित आईपी उपकरणों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, डेनिश पक्ष ने आईपीओ, भारत के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई कार्यशालाएँ आयोजित कीं।

2. यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा संगठन (ईयूआईपीओ):

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा संगठन (ईयूआईपीओ) के बीच समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए, जुलाई 2023 में वायपो महासभा (जीए) 2023 के मौके पर यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा संगठन (ईयूआईपीओ) और सीजीपीडीटीएम कार्यालय के बीच एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। कार्य योजना के तहत, आईपीआर के संबंध में जनता को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों पर एक ऑनलाइन सूचनात्मक सत्र आयोजित किया गया।

3. संयुक्त राज्य पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालय (यूएसपीटीओ):

2023-24 के दौरान, दोनों कार्यालय कई सहयोगी गतिविधियों में शामिल हुए जिनमें दोनों देशों में मौजूद विरोध प्रणाली, पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया और प्रवर्तन से संबंधित विषय शामिल थे। इसके अलावा, दोनों कार्यालयों के बीच ट्रेडमार्क के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य-व्यवहारों का आदान-प्रदान भी आयोजित किया गया।

4. ताइवान:

द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, टीआईपीओ और सीजीपीडीटीएम कार्यालय दोनों ने व्यापार रहस्य संरक्षण और प्रवर्तन से संबंधित एक ऑनलाइन सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसके तहत टीआईपीओ ने ताइवान में अपनाई जाने वाली व्यापार रहस्य प्रवर्तन व्यवस्था और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान की।

5. कनाडाई बौद्धिक संपदा कार्यालय (सीआईपीओ):

वायपो आम सभा 2023 के मौके पर जुलाई 2023 में सीजीपीडीटीएम कार्यालय और सीआईपीओ के बीच द्विवार्षिक कार्य योजना का नवीनीकरण किया गया। सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, दोनों कार्यालयों ने बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित चल रहे अपने-अपने आउटरीच कार्यक्रमों में बहुमूल्य जानकारी साझा की।

6. स्वीडिश बौद्धिक संपदा कार्यालय (पीआरवी):

स्वीडन साम्राज्य के स्वीडिश बौद्धिक संपदा कार्यालय और सीजीपीडीटीएम कार्यालय के बीच कार्य योजना को जुलाई 2023 में वायपो आम सभा, 2023 के मौके पर नवीनीकृत किया गया था। कार्य योजना के तहत, दोनों कार्यालयों ने अपने-अपने पेटेंट परीक्षा प्रक्रियाओं तथा जारी बौद्धिक संपदा जागरूकता प्रयासों से संबंधित चर्चाओं में भाग लिया।

7. फ्रांसीसी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (आईएनपीआई):

पिछली कार्य योजना की समाप्ति के परिणामस्वरूप, 1 दिसंबर 2023 को आईएनपीआई, फ्रांस और सीजीपीडीटीएम कार्यालय के बीच 2023-25 की अवधि के लिए एक नई कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए।

8. जापान पेटेंट कार्यालय (जेपीओ):

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और जेपीओ के बीच सहयोग ज्ञापन के तहत, कार्यालय के बीच सहयोग पर 2023-25 के लिए एक कार्य योजना पर सीजीपीडीटीएम कार्यालय और जेपीओ के बीच जुलाई 2023 में वायपो आम सभा, 2023 के मौके पर हस्ताक्षर किए गए।

9. यूनाइटेड किंगडम का बौद्धिक संपदा कार्यालय (यूकेआईपीओ):

सीजीपीडीटीएम कार्यालय और यूकेआईपीओ के बीच कार्य योजना पर जुलाई 2023 में वायपो आम सभा, 2023 के मौके पर हस्ताक्षर किए गए। कार्य योजना के तहत, कार्यालयों ने अपनी पेटेंट फाइलिंग प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी साझा की।

10. वायपो:

वायपो के महानिदेशक श्री डेरेन टैंग ने 11-13 अक्टूबर, 2023 तक भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, डीजी वायपो ने विभिन्न मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों पर चर्चा की। निम्नलिखित दस्तावेजों पर सीजीपीडीटीएम कार्यालय और वायपो द्वारा हस्ताक्षर किए गए:

i. वायपो-भारत कार्य योजना 2023-25।

ii. वायपो और सीजीपीडीटीएम कार्यालय के बीच "वायपो लेक्स-जजमेंट" के संबंध में आशय पत्र।

iii. वायपो, सीजीपीडीटीएम कार्यालय और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के बीच कानून में (एनएलयूडी) संयुक्त मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आशय पत्र।

II. वायपो के सदस्य देशों की सभाएं – बैठकों की 64वीं श्रृंखला:

1. 2023-24 के दौरान, वायपो महासभा और वायपो के सदस्य देशों की सभाओं में भारत से निम्नलिखित प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया:

i. श्री इंद्र मणि पांडे, राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, स्थायी मिशन, जिनेवा

ii. सुश्री प्रियंका चौहान, राजदूत, उप स्थायी प्रतिनिधि, स्थायी मिशन, जिनेवा

iii. प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित, महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम), कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मुंबई

iv. श्री राजेश शर्मा, काउंसलर, स्थायी मिशन, जिनेवा

v. श्री अनूप कुन्नाथुपरम्बिल जॉय, संयुक्त नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मुंबई

vi. डॉ. दिनेश पी. पाटिल, संयुक्त नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मुंबई

vii. श्री सुखदीप सिंह, उप नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली

viii. सुश्री क्लिट्टी शाजू, उप रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली

ix. सुश्री गरिमा पॉल, प्रथम सचिव, स्थायी मिशन, जिनेवा

x. सुश्री तृप्ति पांडेय, परीक्षक, एकस्व एवं अभिकल्प, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली

2. भारत की ओर से उद्घाटन वक्तव्य श्री इंद्र मणि पांडे, राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि स्थायी मिशन, जिनेवा द्वारा दिया गया। वक्तव्य में यह कहा गया कि बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली के वैश्विक विकास में वायपो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो नवाचार तथा सतत और समावेशी विकास को सक्षम बनाता है। भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार और नवाचार और विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में काम करने के लिए वायपो की प्रतिबद्धता के साथ-साथ युवा और महिला उद्यमियों और छोटे एवं मध्यम उद्यमों पर इसके विशेष ध्यान देने का स्वागत किया। यह कहा गया कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार परिदृश्य और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ने पिछले दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है। भारत कई वायपो व्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और पेटेंट के अनुदान में लगभग पांच गुना वृद्धि के साथ पेटेंट की घरेलू फाइलिंग में वृद्धि हुई है। यह भी कहा गया कि भारत, जो अब 100 से अधिक यूनिकॉर्न का घर है, लगभग एक लाख स्टार्टअप के साथ वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। एसडीजी के कार्यान्वयन और विकासात्मक साझेदारी के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों को उनके एसडीजी को साकार करने में सहायता करने में प्रगति हुई। भारत ने सदस्य राज्यों की क्षमता निर्माण की दिशा में अपने वैश्विक प्रयासों में वायपो के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वायपो के नए बाहरी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

3. एससीटी रिपोर्ट (ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक उपदर्शन के कानून पर स्थायी समिति की रिपोर्ट) पर, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत का मानना है कि देश के नामों की सुरक्षा संबंधित उत्पादों और सेवाओं की अखंडता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल ने देश के नामों के संरक्षण के प्रावधानों के संबंध में संयुक्त सिफारिश के लिए जमैका के प्रतिनिधिमंडल द्वारा संशोधित प्रस्ताव के संबंध में देश के नामों के मुद्दे पर सदस्य देशों के साथ बातचीत करने की उम्मीद की। प्रतिनिधिमंडल ने भौगोलिक उपदर्शन पर सूचना सत्र के लिए विषयों के बारे में कोलंबिया और मैक्सिको के प्रतिनिधिमंडल के प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होने की अपनी उत्सुकता भी व्यक्त की, विशेष रूप से भौगोलिक उपदर्शन के आधार पर चिह्नों की सुरक्षा के लिए आवेदनों को अस्वीकार करने के आधार पर। यह कहा गया कि भौगोलिक उपदर्शन पर भारतीय कानून ट्रिप्स के अनुरूप हैं और भौगोलिक उपदर्शन के आधार पर चिह्नों की सुरक्षा के लिए आवेदनों को अस्वीकार करने के आधार मुख्य रूप से भारत के भौगोलिक उपदर्शन, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, 1999 और इसके संबंधित नियमों द्वारा शासित होते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने औद्योगिक डिजाइनों के तहत भौगोलिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टाइप फॉन्ट और आइकन की सुरक्षा से संबंधित विचार-विमर्श की सराहना की। इसके अलावा, यह कहा गया कि जीयूआई डिजाइनों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करने से रचनाकारों को प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन इस तरह की सुरक्षा के दायरे और सीमाओं को निर्धारित करना भी आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल ने यह आशा व्यक्त की कि एक महत्वपूर्ण मामला होने के कारण इस मुद्दे पर चर्चा करते समय सामंजस्य स्थापित करना उद्देश्य नहीं होगा।

4. एससीसीआर रिपोर्ट (कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट (एससीसीआर)) पर, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने कलाकार पुनर्विक्रय अधिकारों पर टूलकिट तैयार करने के लिए समिति की सराहना की। यह कहा गया कि टूलकिट कलाकारों के पुनर्विक्रय अधिकारों के बारे में जागरूकता, समझ और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय प्रयास है और यह नीति निर्माताओं, कानूनी पेशेवरों, कलाकारों और अन्य हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करेगा, जो कलाकार के लिए अधिक न्यायसंगत और सहायक वातावरण के विकास में योगदान देगा। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि कानून को रचनाकारों और नवप्रवर्तकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, साथ ही ज्ञान तक पहुँच को बढ़ावा देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने अपवादों और सीमाओं पर मसौदा कार्य कार्यक्रम के लिए अफ्रीकी समूह के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रतिनिधिमंडल ने सदस्य राज्यों के साथ प्रस्ताव पर काम करने की उम्मीद की, जिसमें समावेशिता को बढ़ावा देने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की क्षमता है कि कॉपीराइट व्यवस्था सामूहिक रूप से सभी हितधारकों को लाभान्वित करे। प्रतिनिधिमंडल ने लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के समूह यानी GRULAC द्वारा प्रस्तुत डिजिटल पर्यावरण से संबंधित कॉपीराइट के विश्लेषण के प्रस्ताव पर चर्चा की भी की। अंत में, प्रतिनिधिमंडल ने दोहराया कि वे विकासशील और कम से कम विकासशील देशों की विकास संबंधी चिंताओं को भी संबोधित करने जे साथ-साथ, प्रसारण संगठनों की सुरक्षा करने वाली एक सु-संतुलित संधि को शीघ्रता से संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

5. सिडीआईपी रिपोर्ट (विकास और बौद्धिक संपदा पर समिति की रिपोर्ट और विकास एजेंडा सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा) पर, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत विकास एजेंडा के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में समिति के महत्वपूर्ण कार्य में रचनात्मक रूप से भाग लेने का इच्छुक है। उन्होंने नवाचार और उद्यमिता में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने, विकासशील देशों में महिलाओं को बौद्धिक संपदा प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने पर परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट तैयार करने में समिति की भूमिका की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने रिपोर्ट में उजागर की गई चुनौतियों को बौद्धिक संपदा प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी में सहायता करने और बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में पहचाना और सराहना की।

प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने ऐसे मामलों में त्वरित पेटेंट जांच का प्रावधान उपलब्ध कराया है जहां पेटेंट आवेदन प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा दायर किया जाता है और उन आवेदकों में से एक महिला है। प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य और कनाडा द्वारा प्रस्तुत बेहतर भविष्य के लिए युवाओं को नवाचार करने के लिए सशक्त बनाने पर परियोजना प्रस्ताव की सराहना की। इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बौद्धिक संपदा जागरूकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2021 में भारत द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, निपम ने पहले ही दो मिलियन छात्रों के मन में रचनात्मकता का बीजारोपन किया है। प्रतिनिधिमंडल का मानना था कि वायपो का विकास एजेंडा मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए बौद्धिक संपदा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

III. वायपो आमसभा के अवसर पर द्विपक्षीय बैठकें

वायपो सभा के अवसर पर महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) और विविध आईपी कार्यालयों के अध्यक्षों के बीच कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गई जिसमें आईपी पारिस्थितिकी तंत्र और भविष्य में सहयोग को सुदृढ करने के प्राथमिक एजेंडे शामिल थे। इस पारस्परिक चर्चा के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं -

(i) **यूनाइटेड किंगडम बौद्धिक संपदा कार्यालय (यूकेआईपीओ)**: दोनों कार्यालयों ने अपने कार्यालय के अद्यतिकरण पर चर्चा की जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र में अनुसरण किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों, सांख्यिकी और बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्थाएं शामिल थीं। कार्यालयों ने दो साल की एक और अवधि, यानी 2023-25, के लिए कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए और आपसी हित की गतिविधियों पर काम करना जारी रखने की उम्मीद जताई।

(ii) **कंपनियां और बौद्धिक संपदा आयोग (सीआईपीसी), दक्षिण अफ्रीका:** कार्यालयों ने बौद्धिक संपदा (आईपी) के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित जारी प्रयासों के बारे में चर्चा की और इस क्षेत्र में भविष्य के सहयोग में अपनी आपसी रुचि व्यक्त की।

(iii) **बौद्धिक संपदा के लिए संघीय सेवा, रूस (रोसपेटेंट)**: दोनों कार्यालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यान्वित किए गए प्रयासों, सांख्यिकी और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) व्यवस्था को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति का आदान-प्रदान किया और 2023-25 के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए।

(iv) **ब्रिक्स सीजीएम:** ब्रिक्स आईपी कार्यालयों ने ब्रिक्स आईपी कार्यालयों के बीच आईपी के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाए जाने के उपाय पर चर्चा की। उन्होंने सहयोग कार्यों के तहत की जा सकने वाली विभिन्न गतिविधियों पर भी चर्चा की।

(v) **यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय (ईयूआईपीओ):** दोनों कार्यालयों ने अपने अधिकार क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और 2023-25 के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय ने कुछ विषयों पर कार्यशालाओं में अपनी रुचि व्यक्त की, जिसमें उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और एसएमई को आईपी के लाभों का विस्तार करना शामिल है। कार्यालयों ने भौतिक या आभासी प्रारूप में सर्वोत्तम प्रथाओं के नियमित आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की।

यूकेआईपीओ और सीजीपीडीटीएम अधिकारी नीतिबद्ध कार्य योजना पर हस्ताक्षर करते हुए जिससे अगले दो वर्ष के लिए पारस्परिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा

2023-25 कार्य योजना समझौता द्वारा रोसपेटेंट और सीजीपीडीटीएम की संयुक्त नवाचार की प्रतिबद्धता

आईपी सहयोग एवं परस्पर समन्वय के लिए नीतिगत वार्ता में शामिल ब्रिक्स अधिकारी

छोटे व्यवसायों का सशक्तिकरण: संवर्धित आईपी सहयोग के लिए 2023-25 कार्य योजना पर इयूआईपीओ और सीजीपीडीटीएम द्वारा हस्ताक्षर

पेटेंट सहयोग के नए मार्ग की खोज में इएपीओ औरसीजीपीडीटीएम के बीच परस्पर आईएसए/ आईपीईए पहचान पर चर्चा

यूएसपीटीओ और सीजीपीडीटीएम द्विपक्षीय आईपी सहयोग मजबूत करने के लिए कार्यनीति पर चर्चा करते हुए

(vi) **यूरेशियन पेटेंट संगठन (ईएपीओ):** ईएपीओ और सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने अपने कार्यालय नवीनतम गतिविधियों अपडेट का आदान-प्रदान किया और आईपी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संभावित भावी प्रयासों पर चर्चा की। ईएपीओ ने पेटेंट सहयोग संधि के तहत एक दूसरे को सक्षम आईएसए/आईपीईए के रूप में मान्यता देने की संभावनाओं का पता लगाने की अपनी मंशा व्यक्त की।

(vii) **अफ्रीकी बौद्धिक संपदा संगठन (ओएपीआई):** कार्यालयों ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में हाल के विकास और प्रयासों के बारे में चर्चा की। ओएपीआई को दोनों कार्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन और कार्य योजना की वर्तमान स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी दी गई। ओएपीआई को जल्द ही समझौता ज्ञापन और कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है और भारतीय पेटेंट कार्यालय से बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने का बेसब्री से इंतजार है।

(viii) **यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (यूएसपीटीओ):** दोनों कार्यालयों ने आईपी के क्षेत्र में अपने हाल के विकास और प्रयासों पर चर्चा की और जारी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की उम्मीद की।

ओएपीआई और सीजीपीडीटीएमअधिकारी की समझौता ज्ञापन स्थिति की समीक्षा, सहयोगी कार्य योजना और अफ्रीकी समकक्ष अधिकारी के साथ क्षमता निर्माण के अवसर पर चर्चा

एसएआईपी बौद्धिक संपदा में प्रशिक्षण और परीक्षक विनिमय कार्यक्रम पर विचार करने के लिए सीजीपीडीटीएम का प्रोत्साहन

स्वीडन भारत के साथ नवीन कार्य योजना को अंतिम रूप देते हुए और निपम मिशन में रुचि व्यक्त करते हुए

सीआईपीओ और सीजीपीडीटीएम अधिकारी द्वारा 2023-25 कार्य योजना और कार्यालय अद्यतिकरण पर वार्ता

कीपो और सीजीपीडीटीएम अधिकारी समन्वय के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करते हुए

जेपीओ और सीजीपीडीटीएम सफल समन्वय पर हर्ष प्रकट करते हुए और जापानी कॉर्पोरेट के साथ संयुक्त बैठक में आभार प्रदर्शन

(ix) **कनाडाई बौद्धिक संपदा कार्यालय (सीआईपीओ):** कार्यालय अपडेट पर चर्चा करते हुए, सीआईपीओ ने अपने आँकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें फाइलिंग में वृद्धि रुक गई थी। दूसरी ओर, भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों के कारण आईपी फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की। इसके अलावा, कार्यालयों ने दो साल की एक और अवधि के लिए अपनी कार्य योजना का नवीनीकरण किया।

(x) **कोरियाई बौद्धिक संपदा कार्यालय (केआईपीओ):** दोनों कार्यालयों ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में अपनी हालिया प्रगति पर प्रकाश डाला। केआईपीओ पिछले कुछ वर्षों में भारत में आईपी फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखकर चकित था और उसने आईपी फाइलिंग में हाल की वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों को समझने में महत्वपूर्ण रुचि व्यक्त की। दोनों कार्यालय सहयोग के अवसरों की खोज करने के लिए उत्साहित थे।

(xi) **जापान पेटेंट कार्यालय (जेपीओ):** द्विपक्षीय बैठक के दौरान महानियंत्रक कार्यालय और जेपीओ के बीच कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों कार्यालयों ने जापानी कॉरपोरेट के साथ सफलतापूर्वक बैठक आयोजित करने के लिए एक-दूसरे की सराहना की। जेपीओ ने जापान में एक दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और सीजीपीडीटीएम से कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को नामित करने का अनुरोध किया। जेपीओ ने पायलट पीपीएच के नवीनीकरण की भी उम्मीद जताई, जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी।

(xii) **सऊदी बौद्धिक संपदा प्राधिकरण (एसएआईपी):** एसएआईपी ने महानियंत्रक कार्यालय से अपने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में परीक्षक विनिमय कार्यक्रम आयोजित करने की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध किया। एसएआईपी ने सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने और एसएआईपी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ वर्षों के लिए अपने कार्यालय में आईपीओ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को वित्तपोषित करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसका सारा खर्च एसएआईपी द्वारा वहन किया जाएगा।

डिआईपी भूटान भारत के आईपी विकास से प्रभावित, निपम में रुचि दिखाई और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए अनुरोध किया

एनसीपीआई ने भारत के साथ पेटेंट और व्यापार चिह्न परीक्षक विनिमय के माध्यम से क्षमता निर्माण में रुचि दिखाई तथा समझौता ज्ञापन एवं कार्य योजना स्थिति पर चर्चा की

किरगीज रिपब्लिक भारत की आईपी प्रणाली की गहन पड़ताल करते हुए, परीक्षक विनिमय का प्रस्ताव दिया और नवाचार परियोजनाओं तहत एसआईपीपी योजना में रुचि दिखाई

आइएनपीआई ब्राजील और भारत के अधिकारी आईपी विकास पर नवीन जानकारी साझा करते हुए और वायपो प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए जहां भारत ब्राजील के एससीपी प्रस्ताव का समर्थन करता है

आइएनपीआई पुर्तगाल और भारत के अधिकारी द्वारा भारत के त्वरित परीक्षण और शुल्क घटाने तथा पुर्तगाल के कागज का प्रयोग कम करने और ऑनलाइन आवेदन के बड़े लक्ष्य हासिल करने पर चर्चा

(xiii) **स्वीडिश बौद्धिक संपदा कार्यालय :(पीआरवी)** दोनों पक्षों के अधिकारियों ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में हाल के प्रयासों और विकास से संबंधित चर्चाओं में भाग लिया। स्वीडन ने निपम मिशन में महत्वपूर्ण रुचि व्यक्त की। बैठक दोनों आईपी कार्यालयों के बीच कार्य योजना के नवीनीकरण के साथ संपन्न हुई।

(xiv) **बौद्धिक संपदा विभाग (डीआईपी), भूटान:** द्विपक्षीय बैठक के दौरान, दोनों कार्यालयों ने अपने कार्यालय अपडेट पर चर्चा की। डीआईपी, भूटान भारत में आईपी आवेदनों में जबरदस्त वृद्धि के बारे में जानकर आश्चर्यचकित था और उसने निपम में रुचि व्यक्त की। डीआईपी ने महानियंत्रक कार्यालय से अपने अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का भी अनुरोध किया।

(xv) **राष्ट्रीय पेटेंट एवं सूचना केंद्र (एनसीपीआई), ताजिकिस्तान:** एनसीपीआई को बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन और कार्य योजना की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। एनसीपीआई के प्रतिनिधिमंडल ने क्षमता निर्माण पहल के एक भाग के रूप में पेटेंट और ट्रेडमार्क के परीक्षक विनिमय कार्यक्रम रखने की इच्छा व्यक्त की।

(xvi) **किर्गिज गणराज्य:** किर्गिज गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की आईपी व्यवस्था के बारे में अधिक जानने में अपनी रुचि व्यक्त की और एक परीक्षक विनिमय कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नवाचार परियोजनाओं में आईपीओ के साथ सहयोग करने की भी इच्छा व्यक्त की और भारत में अपनाई गई एसआईपीपी योजना में काफी रुचि व्यक्त की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अपनाई गई विभिन्न पहलों, आंकड़ों और आईपीआर व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया।

(xvii) **राष्ट्रीय औद्योगिक संपदा संस्थान (आईएनपीआई), ब्राजील:** दोनों कार्यालयों ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र में हाल ही में किए जा रहे विकास और प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पेटेंट कानून पर स्थायी समिति (एससीपी) में अपवादों और सीमाओं पर ब्राजील के प्रस्ताव के लिए समर्थन व्यक्त किया। इसके अलावा, अधिकारियों ने उन प्रस्तावों पर चर्चा की जो वर्तमान में वायपो में चर्चा के अधीन थे।

(xviii) **पुर्तगाली औद्योगिक संपत्ति संस्थान (आईएनपीआई):** दोनों कार्यालयों ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास पर चर्चा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आईएनपीआई को भारत में जांच में तेजी लाने और शुल्क में कमी जैसी कार्यालय के प्रयासों की जानकारी दी। आईएनपीआई, पुर्तगाल ने कागज के उपयोग को कम करने के लिए अपने आईपी कार्यालय द्वारा की गई प्रमुख प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पुर्तगाल के आईपी कार्यालय ने कागज के उपयोग में प्रभावी रूप से 50% तक की कमी की है और आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग में 99.9% का परिवर्तन किया गया है।

आईपीओएस और सीजीपीडीटीएम अधिकारी स्टार्टअप केंद्रित गतिविधियों और आईएसए/ आईपीईए परस्पर पहचान में रुचि दिखाई

यूआईबीएम और सीजीपीडीटीएम अधिकारियों ने हाल के आईपी विकास की समीक्षा की और साझे हितों पर समन्वय बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावना जताई

डीएनआईपी उरुग्वे और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के आईपी परिदृश्य और उरुग्वे के हित में एसएमई व्यवस्था की बेहतरी और पेटेंट सहयोग संधि में शामिल होने पर चर्चा की

अधिकारियों ने आईपीओ पीएचएल के हितों पर भारत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने और कार्य योजना पर चर्चा की

भारत और ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने बायोटेक, टीके और फार्मा पेटेंट दिशानिर्देश पर आपसी समन्वय पर चर्चा की तथा ज्ञान-साझा कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया

(xix) **सिंगापुर का बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओएस):** दोनों कार्यालयों ने कार्य योजना को अंतिम रूप देने तथा समझौता ज्ञापन के सक्रिय रहने के दौरान सहयोग को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। आईपीओएस ने आपसी हितों के साथ-साथ स्टार्टअप्स को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियों पर चर्चा करने में रुचि व्यक्त की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आईएसए/आईपीईए समझौते की पारस्परिक मान्यता में रुचि व्यक्त की, जिसमें उपकरणों के प्रवेश में वायपो द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया।

(xx) **इतालवी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (यूआईबीएम), इटली:** दोनों कार्यालयों ने अपने अधिकार क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में हाल के विकास और प्रयासों पर प्रकाश डाला। दोनों कार्यालयों ने जल्द ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने तथा साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने की आशा व्यक्त की।

(xxi) **राष्ट्रीय औद्योगिक संपदा निदेशालय (डीएनआईपी), उरुग्वे:** द्विपक्षीय बैठक के दौरान, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के बौद्धिक संपदा परिदृश्य का अवलोकन प्रस्तुत किया। उरुग्वे प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के लिए आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और बढ़ाने की उत्सुकता व्यक्त की तथा कहा कि वे निकट भविष्य में पेटेंट सहयोग संधि में शामिल होने का इरादा रखते हैं।

(xxii) **आईएनएपीआई, चिली:** भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। चिली के प्रतिनिधिमंडल ने अपने कार्यालय की संरचना और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी और निकट भविष्य में पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) में शामिल होने की अपनी मंशा व्यक्त की।

(xxiii) **आईपीओपीएचएल (फिलीपींस का बौद्धिक संपदा कार्यालय):** द्विपक्षीय बैठक के दौरान, कार्यालयों ने सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। आईपीओपीएचएल ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन और कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने में रुचि दिखाई।

(xxiv) **इस्लामी ईरान गणराज्य:** भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामी ईरान गणराज्य (जिसमें न्याय मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे - ईरान में आईपीआर के लिए नोडल मंत्रालय) के साथ आपसी हितों की सहयोग गतिविधियों पर चर्चा की। ईरान को बायोटेक, टीके और फार्मा पेटेंट आवेदनों की पेटेंट योग्यता पर मौजूद दिशा-निर्देशों के बारे में बताया गया और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण की पेशकश की गई। उन्हें समान विचारधारा वाले देशों की क्षमता निर्माण के लिए भारत में एक समर्पित प्रशिक्षण संस्थान होने के बारे में भी बताया गया।

IV. पीसीटी कार्य समूह :

पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) कार्य समूह का सोलहवां सत्र 19 से 21 फरवरी, 2024 तक हाइब्रिड मोड में जिनेवा में आयोजित किया गया था। पीसीटी में औपचारिकताओं की जांच पर चर्चा के तहत, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लगभग 99% अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग पीसीटी के माध्यम से दाखिल की जाती हैं और विभिन्न राष्ट्रीय औपचारिकताओं के कारण औपचारिकताओं की जांच करने के लिए प्राप्त करने वाला कार्यालय बेहतर स्थिति में है। आवश्यकताओं की जांच में प्राप्त करने वाले कार्यालय (आरओ) और अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो (आईबी) दोनों की भागीदारी भ्रम पैदा कर सकती है। इसके अलावा, आवेदक को भौतिक आवश्यकताओं से संबंधित सुधार प्रस्तुत करने के लिए आरओ के निमंत्रण का जवाब देना आवश्यक नहीं लग सकता है, क्योंकि आवेदक को आईबी से संचार के बाद उन्हें सही करने का अवसर मिलेगा। यह आगे कहा गया कि नियम 26.2 के तहत निर्दिष्ट समय सीमा का कोई महत्व नहीं होगा। आईबी एक उचित और संतोषजनक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश और मानदंड प्रदान कर सकता है। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने आगे कहा कि उन्हें केंद्रीकृत शुल्क हस्तांतरण सेवा के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

V. व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक उपदर्शन पर स्थायी समिति:

डिजाइन कानून संधि (डीएलटी) को निष्कर्ष तक पहुंचाने और अपनाने के लिए राजनयिक सम्मेलन के लिए मूल प्रस्ताव की तैयारी के लिए 2 से 6 अक्टूबर, 2023 तक जिनेवा में ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत उपदर्शन (एससीटी) के कानून पर स्थायी समिति का तीसरा विशेष सत्र हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने 2024 तक डिजाइन कानून संधि (डीएलटी) निष्कर्ष तक पहुंचाने और अपनाने के लिए राजनयिक सम्मेलन आयोजित करने के वायपो महासभा के फैसले का स्वागत किया। औद्योगिक डिजाइन कानून अभ्यास-ड्राफ्ट लेख के विषय पर चर्चा के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह समझा जाता है कि डीएलटी लेख और नियम एक अनुबंधित देश में डिजाइन आवेदन दाखिल करने के प्रक्रियात्मक पहलुओं तक सीमित होंगे, जबकि औद्योगिक डिजाइन के पंजीकरण के लिए आवेदनों की जांच के पर्याप्त पहलू अनुबंधित देशों के घरेलू कानूनों के प्रावधानों द्वारा शासित होते रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने अनुच्छेद 3बी के संबंध में ब्रैकेट हटाने का भी समर्थन किया और माना कि शुल्क कटौती का प्रस्ताव विकासशील देशों से अधिक दाखिल करने को प्रोत्साहित करेगा।

भारत के प्रतिनिधिमंडल ने एससीटी के 34वें और 35वें सत्र में बताई गई स्थिति को दोहराया कि संधि के तकनीकी कार्यान्वयन के साथ अनुबंध करने वाले राज्यों में क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि संधि के दायित्वों में राष्ट्रीय कानून में संशोधन शामिल होगा, जिसके लिए अधिक आवेदनों को संभालने के लिए नई क्षमता के निर्माण और आवेदनों की बढ़ती संख्या को प्रबंधित करने के लिए कानूनी कौशल के विकास की आवश्यकता होगी। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने संधि के मुख्य मसौदे में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण पर एक अनुच्छेद को शामिल करने का पुरजोर समर्थन किया ताकि अनुबंध करने वाले पक्षों को अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद मिल सके। प्रतिनिधिमंडल ने मसौदा लेखों में अनुच्छेद 22 के रूप में संकल्प को शामिल करने का समर्थन किया।

भारत के प्रतिनिधिमंडल ने एससीटी के 34वें सत्र में अफ्रीकी समूह की ओर से नाइजीरिया के प्रतिनिधिमंडल द्वारा किए गए प्रस्ताव के लिए अपना समर्थन भी दोहराया, जिसमें अनुच्छेद 3 के अनुच्छेद 1 के मद 9 के तहत औद्योगिक डिजाइन में उपयोग या शामिल किए गए पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, पारंपरिक ज्ञान या जैविक या आनुवंशिक संसाधनों की उत्पत्ति या स्रोत का खुलासा शामिल करने का प्रस्ताव था। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने मसौदा अनुच्छेद के विकल्प ए का समर्थन किया।

भारत के प्रतिनिधिमंडल ने अनुच्छेद 5 के अनुच्छेद 1 के तहत दाखिल करने की तारीख आवश्यकताओं की सूची में लागू कानून के तहत निर्धारित अतिरिक्त संकेत या तत्व जोड़ने के लिए एससीटी के 28वें सत्र में किए गए प्रस्ताव को दोहराया। प्रतिनिधिमंडल का मानना था कि प्रस्ताव सदस्य देशों को औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करते समय घोषणा में ऐसी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किए बिना अपनी देश-विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित करने में सक्षम करेगा। इससे उन्हें यह तय करने में सहायता मिलेगी कि कानून में कोई बदलाव होने पर डिजाइन आवेदन दाखिल करने की क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए।

भारत के प्रतिनिधिमंडल ने अनुच्छेद 14 के अनुच्छेद 2 में “करेगा” शब्द को “कर सकता है” से बदलने के लिए एससीटी के 29वें सत्र में दिए गए बयान को दोहराया। प्रतिनिधिमंडल ने कागज पर दाखिल किए जाने वाले औद्योगिक डिजाइनों के प्रतिनिधित्व की प्रतियों की संख्या की आवश्यकता के संबंध में नियम 3.4 पर एससीटी के 28वें सत्र में किए गए प्रस्ताव को वापस लेने की भी इच्छा व्यक्त की। इसके अलावा, नियम 7, अनुच्छेद 7, उप अनुच्छेद 2 में कम से कम एक महीने की समय सीमा को 15 दिनों से बदलने का प्रस्ताव भी दोहराया गया।

VI. ब्रिक्स-आईपीआर सहयोग:

ब्रिक्स बौद्धिक संपदा कार्यालय प्रमुखों (एचआईपीओ) की बैठक

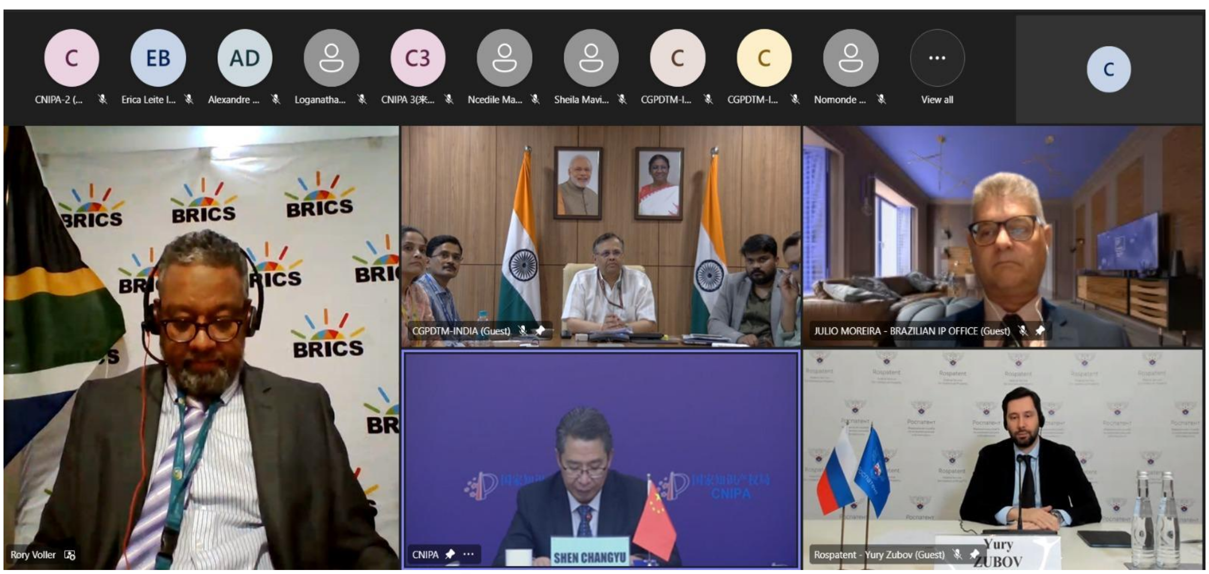

15वीं ब्रिक्स बौद्धिक संपदा कार्यालय प्रमुखों की बैठक (एचआईपीओ) की बैठक 17 अक्टूबर, 2023 को कंपनी और बौद्धिक संपदा आयोग (सीआईपीसी)-दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई। सीआईपीसी के

आयुक्त एडवोकेट रोरी वोलर ने बैठक की अध्यक्षता की और ब्राजील के राष्ट्रीय औद्योगिक संपदा संस्थान [आईएनपीआई] के अध्यक्ष श्री जूलियो मोरेरा, रूसी संघ के बौद्धिक संपदा के लिए संघीय सेवा के प्रमुख श्री यूरी जुबोव (रोसपेटेंट), भारतीय पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय के महानियंत्रक प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित और चीन के राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रशासन (सीएनआईपीए) के आयुक्त डॉ. शेन चांगयू ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में भाग लिया। बैठक में बहुपक्षीय सहयोग के लिए चल रही प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया और 2013 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहली बैठक के बाद से शुरू किए गए विभिन्न कार्य धाराओं की प्रगति और भविष्य के कदमों की समीक्षा की गई। प्रतिनिधिमंडलों ने अपने कार्य धाराओं और चल रही परियोजनाओं की प्रगति को अद्यतन किया। भारत ने एक नई परियोजना के लिए प्रस्ताव पेश किया - "ब्रिक्स आईपी क्षितिज: एक दशक के आईपी बहुपक्षीय सहयोग की क्षमता को उजागर करना" शीर्षक से 10-वर्षीय संग्रह प्रकाशित करना, जिसमें ब्रिक्स के भीतर आईपी सहयोग के परिणामों और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस परियोजना को सभी सदस्यों से सर्वसम्मति से समर्थन मिला, जिन्होंने ब्रिक्स आईपी सहयोग की सामूहिक उपलब्धियों को दस्तावेज करने और बढ़ावा देने में इसके महत्व को पहचाना।

आईपी ब्रिक्स का विस्तार:

जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के परिणामों के बाद, पाँच नए देश अर्थात् मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी, 2024 को पूर्ण ब्रिक्स सदस्य बन गए। यह महत्वपूर्ण विस्तार मिस्र के पेटेंट कार्यालय, इथियोपियाई बौद्धिक संपदा प्राधिकरण, ईरान के बौद्धिक संपदा केंद्र, बौद्धिक संपदा के लिए सऊदी प्राधिकरण और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय को आईपी ब्रिक्स सहयोग तंत्र के दायरे में लाता है।

ब्रिक्स परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2023

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, 2023 तक दक्षिण अफ्रीकी कंपनियों और बौद्धिक संपदा आयोग (सीआईपीसी) द्वारा ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इस पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य व्याख्यान, प्रस्तुतियों और केस स्टडी के माध्यम से पेटेंट कानूनों, विनियमों और परीक्षा प्रणाली पर गहन प्रशिक्षण प्रदान करके ब्रिक्स आईपी कार्यालयों के पेटेंट परीक्षकों की विशेषज्ञता को बढ़ाना था। भारतीय पेटेंट कार्यालय से पेटेंट और डिज़ाइन के बीस परीक्षकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, भारतीय पेटेंट कार्यालय के पांच प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विभिन्न विषयों पर सत्र प्रस्तुत किए।

....

प्रशिक्षण कार्यक्रम और आउटरीच गतिविधि

परिचय

बौद्धिक संपदा (आईपी) नवाचार और रचनात्मकता को पोषित और प्रोत्साहित करती है, जिससे समाज के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। आईपी एक बहुआयामी उपकरण है जो उदाहरण के लिए,

(i) अन्वेषकों, लेखकों और कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान करता है;

(ii) अनुसंधान और विकास के चक्र में स्थिरता लाता है;

(iii) व्यवसायों को उनकी सद्भावना के अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है; और

(iv) उन कारीगरों के गरीबी उन्मूलन में योगदान देता है जो जमीनी स्तर के भौगोलिक उपदर्शन के अधिकृत उपयोगकर्ता हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सीजीपीडीटीएम कार्यालय कई वर्षों से आम जनता के लिए जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम संचालित करने की पहल कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आईपी संबंधित प्रमुख मुद्दों की व्यापक समझ पैदा करना, आईपीआर सुरक्षा और प्रवर्तन के बारे में ज्ञान प्रदान करना और जागरूकता बढ़ाना और साथ ही आईपीआर का लाभ उठाने के लिए व्यवसायों को सशक्त बनाना है। आईपी कार्यालयों के अधिकारी इन जागरूकता कार्यक्रमों में विशेषज्ञ के रूप में नियमित भाग लेते रहे हैं।

- **आईपीओ अधिकारियों का प्रशिक्षण:**

  महानियंत्रक कार्यालय, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) ने नये परीक्षकों, एकस्व और अभिकल्प के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, साथ ही नियंत्रक, एकस्व और अभिकल्प के लिए पुनश्चर्या और कानूनी प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य आईपी अधिकारियों के कौशल और विशेषज्ञता को बढ़ाना है साथ ही आईपी कार्यालयों की क्षमता को श्रेष्ठ करना है, जिससे मानव संसाधन आधार सशक्त हो। ये कार्यक्रम राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम), नागपुर द्वारा आयोजित किए गए ।

- **सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम:**

  राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम) 5 अगस्त, 2022 से पहले देश भर में दस लाख विद्यार्थियों को IP जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से 08 दिसंबर, 2021 को लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए समर्पित सीजीपीडीटीएम कार्यालय के अधिकारियों की टीमों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन देशव्यापी नवाचार और आईपी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और दस लाख विद्यार्थियों को आईपी जागरूकता प्रदान करने का उद्देश्य समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया गया। सीजीपीडीटीएम कार्यालय के निरंतर प्रयासों ने प्रतिभागियों से गर्मजोशी भरी और उत्साहजनक प्रतिक्रिया उत्पन्न की और एनआईपीएएम 2.0 के लिए प्रेरित किया।

लक्ष्य समूह

इस मिशन ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को दो स्तरों पर लक्षित किया था ,जो इस प्रकार हैं:

लेवल ए – स्कूल (कक्षा 9 वीं से 12वीं)

लेवल बी - विश्वविद्यालय/कॉलेज

वेबसाइट https://ipindiaservices.gov.in/events-ipr/home/home.aspx पर एक समर्पित लिंक ने इच्छुक स्कूलों/कॉलेजों के साथ-साथ निजी तौर पर विद्यार्थियों के लिए भी इस जागरूकता कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करना आसान बना दिया है।

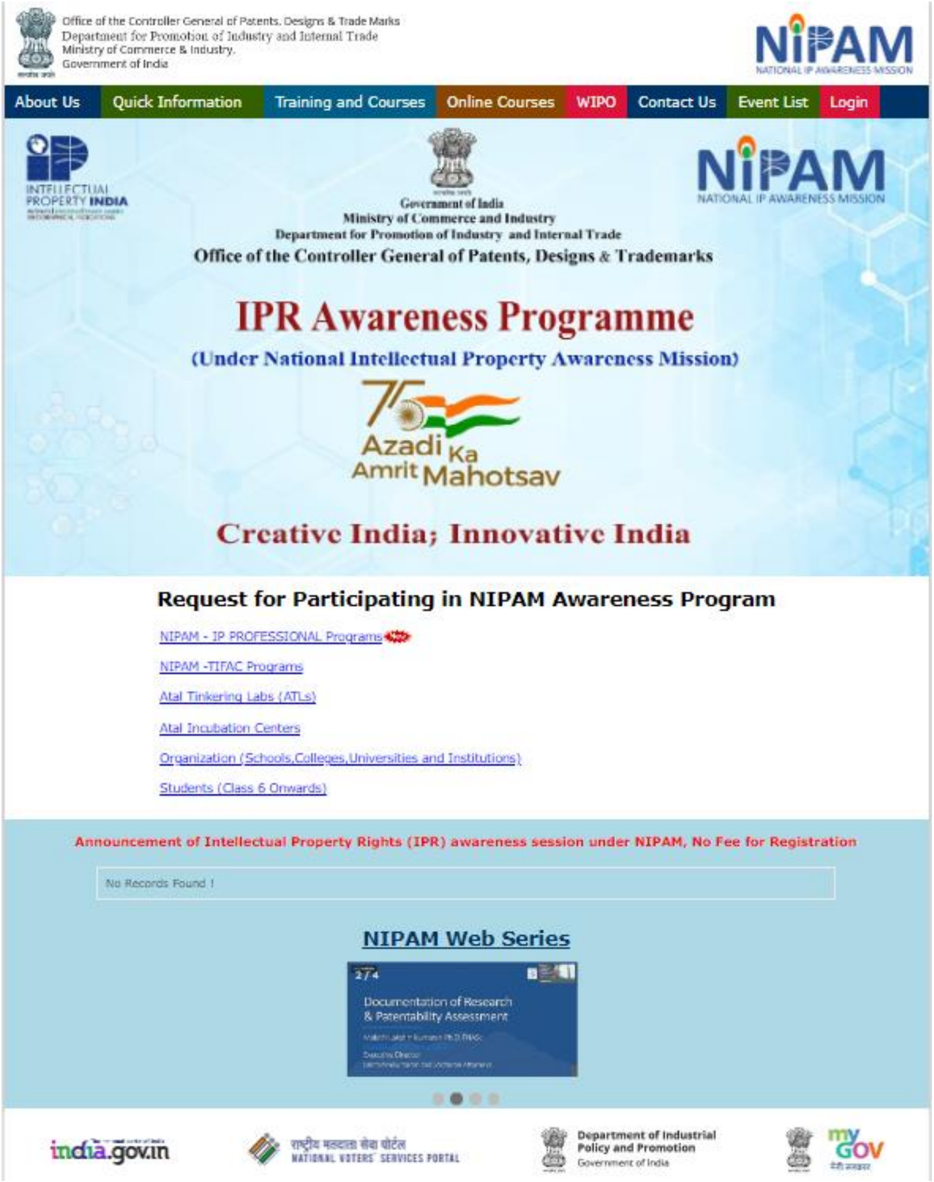

आईपी के सभी पहलुओं को कवर करने वाली 28 पृष्ठों की 'सूचना पुस्तिका' https://ipindiaservices.gov.in/events-ipr/home/Information-Booklet.aspx पर तत्काल संदर्भ के लिए भी उपलब्ध है।

आउटरीच का तरीका:

भारत के विशाल भौगोलिक विस्तार को देखते हुए, लक्षित दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड मोड यानि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया गया।

अवधि:

निपम (एनआईपीएएम), सीजीपीडीटीएम कार्यालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य एक करोड़ छात्रों तक जागरूकता फैलाने का लक्ष्य हासिल करना है। शीर्ष शैक्षिक परिषदों और बोर्डों की भागीदारी से इस लक्ष्य को कम अवधि में हासिल किया जा सकता है।

टीम सदस्य:
सीजीपीडीटीएम कार्यालय के अधिकारियों की समर्पित टीम ने इस परियोजना के कार्यक्रम समन्वयक के रूप में स्वेच्छा से काम किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

स्थान	वरिष्ठ टीमलीडर	निपम अधिकारियों की संख्या	टीम लीडर
दिल्ली	3	135	18
चेन्नई	1	28	4
कोलकाता	1	68	5
मुंबई	1	27	7
आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर	2	5	1
कुल	**8**	**263**	**35**

मिशन में भागीदार: निपम (एनआईपीएएम) 2.0 को अपने नए अवतार में विभिन्न भागीदारों का भी समर्थन मिला ,जैसे -

- **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) :** 'बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम (कपिला)' की फ्लैगशिप के तहत एआईसीटीई ने मुख्य रूप से ऑनलाइन या ऑफलाइन तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में आईपी जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने की सुविधा प्रदान की।
- **अटल इनोवेशन मिशन (एम) :** अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- **पीएफसी-टीआईएफएसी** और महानियंत्रक कार्यालय एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न बड़े पैमाने पर आईपी जागरूकता को जमीनी स्तर पर लाकर देश में आईपी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक साथ आए हैं। 300 से अधिक स्वयंसेवकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में निपम कार्यक्रम संचालित करने के लिए स्वेच्छा से काम किया है।
- 01 मार्च, 2023 को एक सार्वजनिक सूचना में, सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने सभी आईपी फैसिलिटेटर्स, आईपी मित्र, आईपी प्रैक्टिशनर्स और कॉर्पोरेट आईपी अधिकारियों से एनआईपीएएम गतिविधियों को मजबूत करने के लिए स्वेच्छा से अपना समय देने की अपील की (https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/News/879_1_Public_Notice_IP_Professional_edited.pdf देखें)। कई आईपी पेशेवरों ने एनआईपीएएम कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वयं को स्वेच्छा से आगे किया।

  इसके अलावा, निपम 2.0 के दौरान, महानियंत्रक कार्यालय ने निपम मिशन को फैलाने के लिए विभिन्न भागीदारों के साथ सहयोग किया। निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव-**
  डीपीआईआईटी/सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ मिलकर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव (आर.बी.एस.एम) का आयोजन किया। इसके तहत निम्न प्रकार से निपम कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- **गुजकॉस्ट:**
  सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने डीएसटी के तहत गुजरात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (गुजकॉस्ट) के साथ भागीदारी की और आईपीआर की मूल बातों पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में गुजरात के 33 जिलों से लगभग एक लाख छात्रों, शिक्षकों और विज्ञान संचारकों ने भाग लिया। माननीय सीजीपीडीटीएम प्रोफेसर उन्नत पी पंडित ने स्वयं हिंदी और गुजराती में प्रस्तुति दी- इस प्रकार कार्यक्रम द्वारा जमीनी स्तर तक पहुँचने का कार्य किया गया।

25/07/2023-26/07/2023

निपम-टॉयकैथॉन, जम्मू और कश्मीर

1. सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने टॉयकैथॉन के साथ भागीदारी की, जो एस.सी.ई.आर.टी, जम्मू और कश्मीर द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस कार्यक्रम में माननीय सीजीपीडीटीएम ने अपनी प्रस्तुति दी। जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लगभग एक लाख बीस हज़ार छात्रों ने इस कार्यक्रम भाग लिया। महानियंत्रक महोदय ने उन्हें आईपी और आईपीआर की बुनियादी बातों से परिचित कराया।

निपम-टॉयकैथॉन, जम्मू और कश्मीर , 27 जुलाई, 2023

- निपम -आरबीएसएम पहल के अन्तर्गत, किरण, टीआईएफएसी और सीएसआईआर के वैज्ञानिकों सहित अन्य संस्थानों की महिला वैज्ञानिकों को सीजीपीडीटीएम वेबसाइट पर निपम-जागरूकता मॉड्यूल के माध्यम से एक मंच दिया गया। हितधारक अपने कार्यक्रमों को पंजीकृत करने में सक्षम थे और अपने जागरूकता कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद, महानियंत्रक कार्यालय, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) को प्रतिभागियों की सूची जमा कर सकते थे।
- **समापन समारोह:**

  राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव की जबरदस्त सफलता के बाद, 7 अगस्त, 2023 को वाणिज्य भवन में डीपीआईआईटी और महानियंत्रक कार्यालय, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) द्वारा एक समापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया, जिसमें डीपीआईआईटी के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अन्य विशिष्ट अतिथियों में डीपीआईआईटी की संयुक्त सचिव सुश्री हिमानी पांडे, सीएसआईआर में टीकेडीएल इकाई की प्रमुख डॉ. विश्वजननी सेट्टीगिरी और डीएसआईआर के संयुक्त सचिव श्री सुंदर सिंह पाल भी सम्मिलित थे।

  प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और महोत्सव की सफलता में उनके योगदान के लिए सभी हितधारकों का आभार व्यक्त किया। समारोह के दौरान, संरक्षण फाउंडेशन द्वारा परिकल्पित आईपी वेव वेबसाइट का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त, गणमान्य अतिथियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत करने वाली एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों तरह से भागीदारी की अनुमति थी।

- निपम-टॉयकैथॉन सहयोग का एक मुख्य आकर्षण टॉयकैथॉन प्रतिभागियों को उनके खिलौनों के डिजाइन को पंजीकृत करने और डिजाइन पंजीकरण प्राप्त करने में सहायता करना था। अपनाई गई प्रक्रिया का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है:

(क) 19 अक्टूबर, 2023 को टॉयकैथॉन, 2023 का समापन समारोह टॉयकैथॉन टीम, कश्मीर डिवीजन द्वारा श्रीनगर में आयोजित किया गया था। सीजीपीडीटीएम कार्यालय से निम्नलिखित अधिकारियों को समारोह में भाग लेने के लिए नामित किया गया था:

(i) डॉ डी उषा राव, उप नियंत्रक, एकस्व और अभिकल्प

(ii) श्री अंजनेयुलु रेड्डी, सहायक नियंत्रक, एकस्व और अभिकल्प

(iii) श्री शिशिर प्रधान, परीक्षक, एकस्व और अभिकल्प

(ख) समापन समारोह के दौरान, टीम टॉयकैथॉन एससीईआरटी जे.एंड.के ने इच्छा व्यक्त की कि यह टीम कश्मीर संभाग के टॉयकैथॉन प्रतिभागियों के खिलौनों के डिजाइन की स्क्रीनिंग करेगी और इस बात का प्रारंभिक मूल्यांकन प्रदान करेगी कि खिलौने डिजाइन पंजीकरण योग्य हैं या नहीं। डिजाइन विंग के अधिकारियों ने टॉयकैथॉन टीम को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी। इसके अनुसार, इन अधिकारियों को लिंक भी साझा किए गए, जिसमें उन्होंने टॉयकैथॉन, कश्मीर संभाग के विजेताओं को चुना।

(ग) जम्मू संभाग के लिए भी यही अभ्यास दोहराया गया और

1. श्री मोती लाल, सहायक नियंत्रक, कोलकाता
2. श्री राकेश कच्छप, परीक्षक, कोलकाता

को इस बात का प्रारंभिक मूल्यांकन प्रदान करने के लिए नामित किया गया कि खिलौने डिजाइन पंजीकरण योग्य हैं या नहीं। टॉयकैथॉन टीम द्वारा भेजी गई लिंक वाली सूची अधिकारियों के साथ साझा की गई और उनका प्रारंभिक मूल्यांकन उनसे मांगा गया और उनके द्वारा ऐसे खिलौनों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार की गई। उन्हें 6 नवंबर 2023 को दौरा करने और शॉर्टलिस्ट किए गए खिलौनों का भौतिक रूप से सत्यापन करने के बाद अपनी राय देने के लिए भी नामित किया।

(घ) 12/12/2023 को, संयुक्त निदेशक, एससीईआरटी से एक अर्धशासकीय पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें सीजीपीडीटीएम कार्यालय से अनुरोध किया गया है कि वे इसके लिए डिज़ाइन रजिस्ट्री और आईपी मित्र नियुक्त कर सहायता प्रदान करें, ताकि **टॉयकैथॉन प्रतिभागियों के लिए 18 से 19 दिसंबर 2023 तक एससीईआरटी जम्मू में और 21 से 22 दिसंबर 2023 तक एससीईआरटी श्रीनगर में डिज़ाइन कार्यशाला** आयोजित की जा सके। जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हेतु उचित वित्तीय सहायता भी सूचीबद्ध की गई थी।

(ङ) इसे देखते हुए, टोयोटाथॉन के शॉर्टलिस्ट किए गए खिलौना डिजाइन प्रतिभागियों के लिए एक डिजाइन कार्यशाला आयोजित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया गया है।

इसके अलावा, डिजाइन विंग के अधिकारियों द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए संभावित खिलौनों के डिजाइन पंजीकरण के लिए फाइलिंग में सहायता प्रदान करने के लिए सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा आईपी मित्र, डॉ दीपक मेहरा, आईपी अटॉर्नी को नामित किया गया था।

(च) डिजाइन विंग के अधिकारियों द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए खिलौना डिजाइनों की गहन परीक्षण के बाद, 122 डिजाइन पंजीकृत किए गए हैं। जिस छात्र ने खिलौना विकसित/डिजाइन किया है, वह स्वयं आवेदक है। इस प्रकार, इस वर्ष के निपम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए डिजाइन को पंजीकृत करने के लिए निर्माता/डिजाइनर का हाथ थामा है, इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

निपम के अंतर्गत आईपीआर पर जागरूकता प्रदान किए गए प्रतिभागियों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

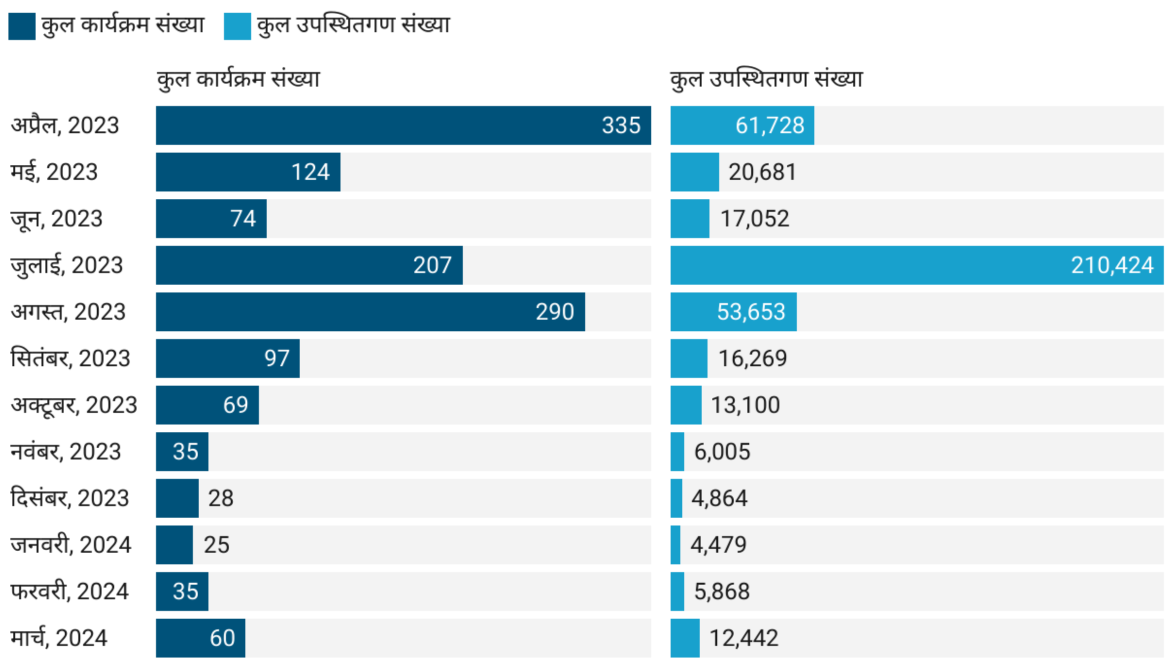

माह	कुल आयोजित कार्यक्रम	कुल प्रतिभागी
अप्रैल, 2023	335	61728
मई, 2023	124	20681
जून, 2023	74	17052
जुलाई, 2023	207	210424
अगस्त, 2023	290	53653
सितंबर, 2023	97	16269
अक्टूबर, 2023	69	13100
नवंबर, 2023	35	6005
दिसंबर, 2023	28	4864
जनवरी, 2024	25	4479
फरवरी, 2024	35	5868
मार्च, 2024	60	12442
कुल	**1379**	**426565**

विभिन्न पेटेंट कार्यालयों द्वारा विभिन्न स्थानों से संचालित कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

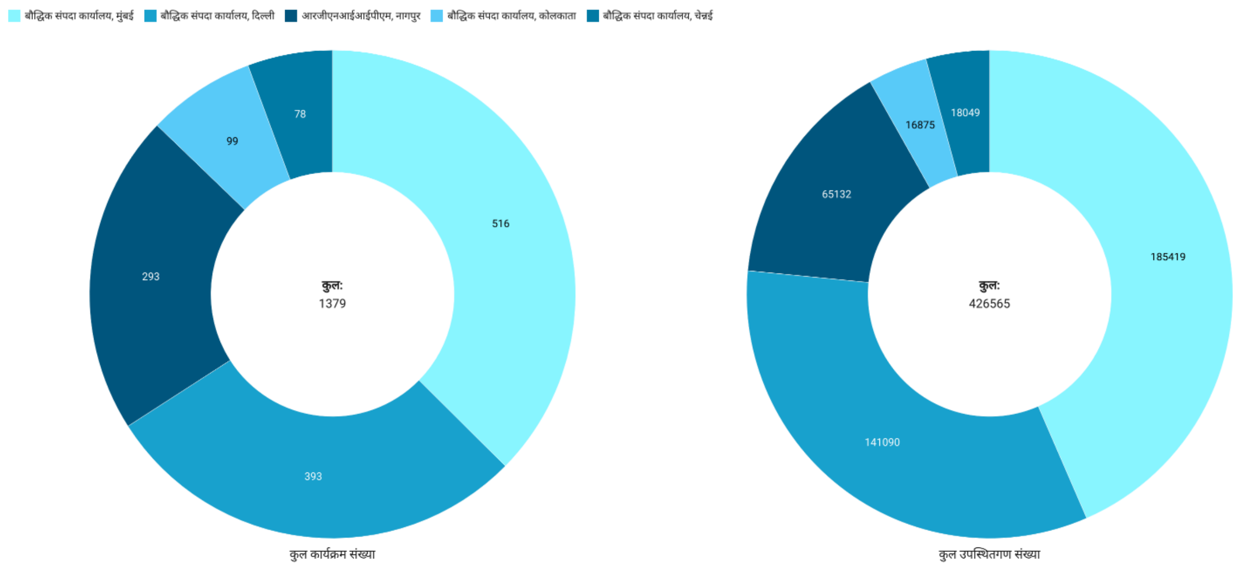

द्वारा आयोजित	कुल कार्यक्रम	कुल प्रतिभागी
बौद्धिक संपदा कार्यालय ,चेन्नई	78	18049
बौद्धिक संपदा कार्यालय ,दिल्ली	393	141090
बौद्धिक संपदा कार्यालय ,कोलकाता	99	16875
बौद्धिक संपदा कार्यालय ,मुंबई	516	185419
आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर	293	65132

उपस्थित लोगों में महिला-पुरुष के आधार पर वितरण इस प्रकार है:

प्रतिभागी की श्रेणी	पुरुष	महिला
संकाय	18612	19630
विद्यार्थी	195933	192390

आईपी प्रोफेशनल, कपिला, टीआईएफएसी, आरबीएसएम, टॉयकैथॉन और गुजकॉस्ट द्वारा संचालित आईपी जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

सहभागी	आईपी प्रोफेशनल	कपिला	टीआईएफएसी	आरबीएसएम	टॉयकैथॉन	गुजकॉस्ट
कुल कार्यक्रम	242	9	164	52	24	33
कुल सहभागी	30794	3499	25289	14191	80276	97900
संगठन का प्रकार एवं कुल कार्यक्रम						
कॉलेज	78	2	60	-	-	-
संस्था	39	1	26	-	-	-
एनए	80	6	51	-	-	-
विद्यालय	18	0	5	-	-	-
विश्वविद्यालय	27	0	22	-	-	-
प्रतिभागी की श्रेणी						
संकाय	3910	362	3441	-	-	-
विद्यार्थी	26884	3137	21848	-	-	-
पुरुष	16670	1591	13517	-	-	-
महिला	14124	1908	11772	-	-	-

उपस्थित लोगों के साथ आयोजित कुल कार्यक्रमों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

राज्य*	कुल कार्यक्रम	प्रतिभागी - महिला	प्रतिभागी - पुरुष	कुल प्रतिभागी
आंध्र प्रदेश	58	7783	7241	15024
असम	17	784	694	1478
बिहार	12	1898	1064	2962
चंडीगढ़ (केंद्रशासित प्रदेश)	5	460	132	592
छत्तीसगढ	17	1651	1255	2906
दिल्ली-एनसीआर(केंद्रशासित प्रदेश)	42	2339	2149	4488
गोवा	2	265	170	435
गुजरात	65	49570	51255	100825
हरियाणा	42	4295	3234	7529
हिमाचल प्रदेश	7	440	433	873
जम्मू और कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश)	38	43245	39757	83002
झारखंड	4	281	794	1075
कर्नाटक	43	5073	4046	9119
केरल	28	3212	2053	5265
लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश)	1	58	32	90
मध्य प्रदेश	35	2023	2434	4457
महाराष्ट्र	279	26508	27011	53519

मणिपुर	3	490	599	1089
मेघालय	4	171	134	305
नगालैंड	5	247	273	520
उड़ीसा	5	244	300	544
पुडुचेरी (केंद्रशासित प्रदेश)	4	1027	528	1555
पंजाब	28	2485	1822	4307
राजस्थान	25	3070	3208	6278
सिक्किम	1	29	14	43
तमिलनाडु	157	14963	14265	29228
तेलंगाना	49	7083	6370	13453
त्रिपुरा	1	96	104	200
उत्तर प्रदेश	336	28198	38150	66348
उत्तराखंड	15	810	903	1713
पश्चिम बंगाल	46	3222	4121	7343

*5 कार्यक्रमों के लिए राज्य को एनए के रूप में उल्लेखित किया गया था

सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने उन सभी संभावित स्थानों तक पहुंचने का प्रयास किया है जहां हवाई/रेल/सड़क मार्ग द्वारा पहुंचना आसान और कठिन हो सकता है। रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान शामिल किए गए कुछ कम ज्ञात जिले इस प्रकार हैं:

संगठन राज्य	शामिल किया गया जिला/कुल जिले	शामिल किए गए जिले
आंध्र प्रदेश	12/26	अनंतपुर, चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कडपा, कृष्णा, कुरनूल, प्रकाशम, तिरुपति, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी
असम	7/35	डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, कामरूप महानगर, शिवसागर, तिनसुकिया
बिहार	8/38	औरंगाबाद, पूर्व चंपारण, गया, नवादा, पटना, सारण, सुपौल, पश्चिम चंपारण
चंडीगढ़ (केंद्रशासित प्रदेश)	1/1	चंडीगढ़
छत्तीसगढ	9/33	बेमतारा, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चम्पा, जशपुर, कोंडागांव, कोरिया, रायपुर, राजनंदगांव
दिल्ली-एनसीआर (केंद्रशासित प्रदेश)	9/11	सेंट्रल दिल्ली, पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली
गोवा	1/2	उत्तर गोवा

गुजरात	26/33	अहमदाबाद, आणंद, अरावली, भरूच, भावनगर,डांग, डाहोद, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा, कच्छ, मेहसाणा, महिसागर, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, तापी, वडोदरा, वलसाड
हरियाणा	15/22	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर
हिमाचल प्रदेश	2/12	शिमला, सोलन
जम्मू और कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश)	20/20	अनंतनाग, बारामुल्ला, बांदीपुरा,बडगाम, डोडा, गंदेरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुंछ, पुलवामा, राजौरी, रियासी, रामबन, साम्बा, श्रीनगर, शोपियां, उधमपुर
झारखंड	2/24	धनबाद, गिरिडीह
कर्नाटक	14/31	बैंगलोर ग्रामीण, बैंगलोर शहरी, बेलगाम, बीदर, दक्षिण कन्नड, दावणगेरे, धारवाड़, गुलबर्गा, हासन, कोडगु, कोलार, शिमोगा, उडुपी, विजयपुरा
केरल	11/14	अलपुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कोल्लम, कोट्टायम, मलप्पुरम, पलक्कड़, पथानामथिट्टा, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर
लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश)	1/2	लेह
मध्य प्रदेश	11/52	भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, मंदसौर, सागर, सतना, सीहोर, उज्जैन
महाराष्ट्र	31/36	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक, पालघर, परभणी, पुणे, रायगढ़, सांगली, सतारा, सोलापुर, ठाणे, वर्धा, यवतमाल
मणिपुर	3/16	चुराचांदपुर, इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम
मेघालय	2/12	पूर्व खासी पहाड़ियाँ, री भोई
नगालैंड	3/16	दीमापुर, किफिरे, ज़ुन्हेबोटो
ओडिशा	5/30	कटक, खोरधा, मयूरभंज, रायगड़ा, सुंदरगढ़
पुडुचेरी (केंद्रशासित प्रदेश)	1/4	पांडिचेरी

पंजाब	12/23	अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोगा, मोहाली, रूपनगर
राजस्थान	10/50	अजमेर, बाड़मेर, धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू. कोटा, सीकर, श्री गंगानगर, उदयपुर
सिक्किम	1/6	पूर्व सिक्किम
तमिलनाडु	27/38	चेंगलपट्टू, चेन्नई, कोयंबटूर, डिंडीगुल, इरोड, कल्लाकुरिची, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, कृष्णागिरी, मदुरै, नमक्कल, नीलगिरी, पेरम्बलुर, पुदुक्कोट्टई, रामनाथपुरम, सलेम, शिवगंगा, तंजावुर, थूथुकुडी, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुपत्तूर, तिरुपुर, तिरुवल्लूर, वेल्लोर, विलुप्पुरम, विरुधुनगर
तेलंगाना	12/33	आदिलाबाद, भद्राद्रिकोठागुडेम, हनमकोंडा, हैदराबाद, कामारेड्डी, कोमाराम भीम, महबूबनगर, मेडचल, निर्मल, रंगा रेड्डी, विकाराबाद, वारंगल
त्रिपुरा	1/8	सेपाहिजाला
उत्तर प्रदेश	38/75	आगरा, अलीगढ़, अमेठी, औरैया, अयोध्या, बागपत, बलिया, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, एटा, फीरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हापुड़, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, खीरी, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, शामली, उन्नाव, वाराणसी
उत्तराखंड	7/13	चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, ऊधम सिंह नगर
पश्चिम बंगाल	12/23	दार्जिलिंग, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, मुर्शिदाबाद ,नदिया, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्बाबर्धमान, पुरुलिया, दक्षिण 24 परगना

3. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 :

महानियंत्रक कार्यालय, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) ने 13 से 14 अक्टूबर, 2023 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "आई पी -संचालित ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना" विषय पर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश जी ने किया, जिसमें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) के महानिदेशक श्री डेरेन तांग, डी पी आई आई टी के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और महानियंत्रक सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन में कई सत्र आयोजित किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है:

सत्र -दिन 01	आमंत्रित वक्ताओं का नाम
राष्ट्रीयआई पी सम्मेलन का उद्घाटन	-श्री सोम प्रकाश, माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (राज्यमंत्री सी एंड आई) - श्री डैरन तांग, माननीय महानिदेशक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डीजी, वायपो) - श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, डीपीआईआईटी
आई पी प्रेरित ज्ञानअर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने पर आईपी मंथन पर	**अध्यक्ष:** श्री डेरेन तांग, माननीय महानिदेशक, वायपो **पैनलिस्ट:** - श्री संजीव सान्याल, प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक सलाहकार परिषद के माननीय सदस्य - श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, एच.सी.आई.एम के सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय - प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित, महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न
समानांतर सत्र	**1. सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट और डिजाइन में आईपी अवसर:** **अध्यक्ष:** प्रो. अंकुर गुप्ता आईआईटी दिल्ली **पैनलिस्ट:** डॉ पुण्यव्रत घटक, वैज्ञानिक एफ एम ई टी वाई, प्रो. नीता पांडे, डीटीयू दिल्ली श्री ए. पी. श्रीवास्तव, उप नियंत्रक एकस्व और अभिकल्प, कार्यालय प्रमुख, एस. आई. सी.एल.डी.आर **2. सामुदायिक आईपी अधिकार के रूप में भौगोलिक उपदर्शन की शक्ति:** **अध्यक्ष:** प्रो. लिसा लुकोसा **पैनलिस्ट:** प्रो. योगेश पाई श्रीमती अन्नामा सैमुअल **3. कॉपीराइट एक रचनात्मक आईपी संपत्ति: अवसर और चुनौतियां:** **अध्यक्ष:** श्री जी राघवेंद्र राव **पैनलिस्ट:** प्रो. रमन मित्तल, दिल्ली विश्वविद्यालय श्रीमती सवीना बेदी सच्चर, कॉपीराइट अटॉर्नी श्री अरुल जॉर्ज, एनएलयू दिल्ली
राष्ट्रीय आई पी पुरस्कार और वायपो पुरस्कार	-श्री पीयूष गोयल, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री -श्री डेरेन तांग, माननीय महानिदेशक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डीजी, डब्ल्यूआईपीओ) -श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, डीपीआईआईटी -श्रीमती हिमानी पांडे, संयुक्त सचिव (आईपीआर), डीपीआईआईटी
सत्र: डिजिटल युग में आईपी के मूल्य को उजागर करना: ज्ञान अर्थव्यवस्था में आईपी संचालित अनुसंधान का अर्थकरन	**अध्यक्ष:** श्री अभय करंदीकर, डीएसटी, सचिव **पैनलिस्ट:** -श्री अनिल सहाराबुद्धे, अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (एनईटीएफ) और अध्यक्ष ईसी नेशनल

	मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी) -श्री जॉन सोबेका, दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी बौद्धिक संपदा (आईपी) परामर्शदाता -श्री बेन लेवेलिन जोन्स: निदेशक, व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति, यू. के. पी.टी. ओ -श्री वातानाबे हिरोकी, निदेशक, जापान बाह्य व्यापार संगठन (जे.ई.टी.आर.ओ) -श्री प्रबुद्ध गांगुली, सीईओ, विजन आईपीआर -श्री विजय चौथाईवाले, प्रख्यात जैव प्रौद्योगिकीविद्, एम.एच.एल.सी के सदस्य, अटल इनोवेशन मिशन
सत्र: सम्मेलन के विषय आईपी रणनीति को प्रज्वलित करना: बाधाओं को तोड़ना, अवसरों को खोलना, सम्मेलन की आवाज़। खुली चर्चा और संवाद	-माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और आई.पी.ए.बी के पूर्व अध्यक्ष -श्री राघवेंद्र राव, वरिष्ठ सलाहकार, सी.आई.पी.ए.एम, डी.पी.आई.आई.टी -श्री आर. साहा, टी.आई.एफ.ए.सी के पूर्व महानिदेशक और सी.आई.आई के आईपी सलाहकार
सत्र दिन 02	**आमंत्रित वक्ता**
आईपी नीतियां और प्रवर्तन/मुकदमेबाजी: - राष्ट्रीय आई.पी.आर नीति - आई.पी.आर उल्लंघन का मुकाबला - आई.पी.आर में कानूनी विचार और विवाद समाधान तंत्र - भविष्य की प्रौद्योगिकियों से संबंधित आईपीआर में प्रवर्तन चुनौतियां	**अध्यक्ष:** माननीय न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह, अध्यक्ष, आई.पी बेंच, दिल्ली उच्च न्यायालय **पैनलिस्ट:** - श्री नरेंद्र सबरवाल, पूर्व डी.डी.जी, डब्ल्यू.आई.पी.ओ और फिक्की के आई.पी सलाहकार - श्री राजीव श्रीनिवासन, आई.पी.आर थिंक टैंक के पूर्व सदस्य - श्री अमोघ राय, संस्थापक निदेशक, संरचना फाउंडेशन
अवसर और चुनौतियाँ - आईपी प्रशासन में सुधार हेतु बाधाओं को तोड़ना, अवसरों को खोलना... सम्मेलन की आवाज़ खुली चर्चा और संवाद समापन व्याख्यान	**अध्यक्ष:** प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित, महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न **पैनलिस्ट:** -डॉ. काजल, आईएएस, निदेशक, डी.पी.आई.आई.टी -सुश्री संध्या वासुदेवन, ड्यूश बैंक समूह की पूर्व सी.ओ.ओ और एम.डी -प्रोफेसर निशीथ देसाई, बी.एस.आर फेलो, एम.के भावनगर विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय के पूर्व डीन, -डॉ. मोहित गंभीर, पूर्व नवाचार निदेशक, शिक्षा मंत्रालय का नवाचार प्रकोष्ठ, भारत सरकार -डॉ. बकुलेश खमार, कार्यकारी निदेशक अनुसंधान, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा
सम्मेलन 2023
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY
CONFERENCE 2023

SHRI PIYUSH GOYAL
PROF. (DR.) UNNAT P. PANDIT

SHRI PIYUSH GOYAL
श्री पीयूष गोयल
PROF. (DR.) UNNAT P. PANDIT
प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित

SHRI PIYUSH GOYAL
श्री पीयूष गोयल
PROF. (DR.) UNNAT P. PANDIT
प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा
सम्मेलन 2023
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY
CONFERENCE 2023

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा
सम्मेलन 2023
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY

RESERVED

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा
सम्मेलन 2023
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY
CONFERENCE 2023

SHRI SOM PARKASH
श्री सोम प्रकाश
SHRI DAREN TANG
श्री डैरेन टैंग
SHRI SANJEEV SANYAL
श्री संजीव सान्याल

MS. SANDHYA VASUDEVAN
सुश्री संध्या वासुदेवन

PROF. (DR.) UNNAT P. PANDIT
प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित
PROF. NISHEETH DESAI

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा
सम्मेलन 2023
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY

4. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2023 :

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) पुरस्कार प्रतिवर्ष असाधारण व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और उद्यमों को आईपी निर्माण और व्यावसायीकरण में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित और पुरस्कृत करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार देश में आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने वाले योगदान को मान्यता देते हैं। राष्ट्रीय आईपी पुरस्कारों का उद्देश्य नवाचार और प्रभावी आईपी प्रबंधन को बढ़ावा देना है, जो विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में नवाचारों की सफलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
पुरस्कार की श्रेणियां इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	वायपो पुरस्कार वर्ग	विजेता
1	आविष्कारक के लिए वायपो पदक	डॉ. जी पुथिलीबाई
2	वायपो आई पी एंटरप्राइज ट्रॉफी (ए) मैन्युफैक्चरिंग	मेरिल लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
3	वायपो आई पी एंटरप्राइज ट्रॉफी (ए) सर्विस	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड
4	वायपो उपयोगकर्ताओं ट्रॉफी	श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार वर्ग	विजेता
1	शीर्ष भारतीय व्यक्ति: पेटेंट	श्री. अखिल सिंघल
2	शीर्ष भारतीय व्यक्ति-महिला: पेटेंट	डॉ जी पुथिलीबाई
3	शीर्ष भारतीय व्यक्ति- बच्चा: पेटेंट	अविज्ञान किशोर दास
4	शीर्ष भारतीय व्यक्ति: व्यापार चिह्न	श्री. जेठारामनेमाराम गेहलोत
5	शीर्ष भारतीय व्यक्ति: डिजाइन	श्री. अन्ना ईश्वर कुमार
6	शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्था: पेटेंट	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई
7	शीर्ष सार्वजनिक /निजी कंपनी: उत्पादन	श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8	शीर्ष सार्वजनिक निजी कंपनी: सेवा	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड
9	शीर्ष भारतीय एमएसएमई: पेटेंट	मेरिल लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
10	बौद्धिक संपदा के लिए शीर्ष भारतीय स्टार्टअप	ट्राइस्पेस प्रौद्योगिकियों प्राइवेट लिमिटेड
11	शीर्ष भारतीय कंपनी: डिजाइन	यू एन ओ मिंडा लिमिटेड
12	भारत और विदेश में ब्रांड बनाने वाली शीर्ष भारतीय कंपनी / संगठन	कोरोमंडल इंटरनेशनलसीमित
13	आईपी पुरस्कार में विशेष प्रशस्ति पत्र: प्रौद्योगिकी नवाचार एवं स्टार्ट-अप केंद्र (टीआईएससी)	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, विशाखापत्तनम

14	आईपी पुरस्कार में विशेष प्रशस्ति पत्र: पेटेंट जानकारी केंद्र (पी आई सी)	तमिलनाडु राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
15	विशेष प्रशस्ति पत्र- अटल टिंकरिंग लैब्स (ए टी एल)	एमिटी अंतरराष्ट्रीय विद्यालय,मयूर विहार
16	आईपी पुरस्कार में विशेष प्रशस्ति पत्र: संस्थान की नवाचार परिषद (आईआईसी)।	प्रशंसा प्रमाण पत्र: साइन - आईआईटी बॉम्बे
17	ग्रामीण केंद्रीय आविष्कार	प्रशंसा पत्र डॉ. पी. जयकुमार
18	भारत और विदेश में ब्रांड बनाने वाली शीर्ष भारतीय कंपनी / संगठन	श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ToilBots." Her contributions extend to environmental sustainability through "Predi
bon Emissions in Vehicles Using Machine Learning with Sensor Systems." Additionally,
tive contribu with "Cratus - The Bag of the Futu and "A c Fire Extinguis

s extend to environmental sustainability through "Predicting
sing Machine Learning w nsor Systems." Additionally, she's
- The Bag of the F and "A ustic Fire E shing

5. आईपी मंथन :

कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) ने आईपी मंथन श्रृंखला नामक चर्चाओं की एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसका उद्देश्य विभिन्न बौद्धिक संपदा के क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ जुड़ना है। भारत के बौद्धिक संपदा परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, आईपी पेशेवरों, उद्योग जगत के प्रख्यात हस्तियाँ और न्यायिक हस्तियों को सीजीपीडीटीएम अधिकारियों और इच्छुक हितधारकों के बीच अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आमंत्रित किया ।

क्रम. सं.	आईपी मंथन विषय	तारीख	माध्यम	प्रतिभागी	वक्ता
1	आईपी जागरूकता, आईपी सृजन और आईपी व्यावसायीकरण के लिए विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में टीटीओ की भूमिका	मई 01, 2023	ऑनलाइन	270	1. डॉ. टीना डहलेरुप पॉल्सन, प्रमुख सलाहकार, डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय 2. श्री यशवंत देव पंवार, वैज्ञानिक-एफ और प्रमुख, पेटेंट सुविधा केंद्र, टीआईएफएसी 3. प्रो. (डॉ.) प्रबुद्ध गांगुली, सीईओ-विजन आईपीआर
2	कॉपीराइट और क्रिएटिव उद्योग के लिए भविष्य का रोडमैप	मई 04, 2023	ऑफलाइन	8 (आरटीसी)	1. प्रो. (डॉ.) प्रबुद्ध गांगुली, विज़न-आईपीआर के सीईओ 2. श्री सुरहित भट्टाचार्य, सीआईओ, द इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड (आईपीआरएस) 3. श्री संजय टंडन, सीईओ, इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन (आईएसआरए) 4. श्री अतुल चूड़ामणि, प्रबंध निदेशक, टर्नकी म्यूजिक एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड 5. श्री शिवम सोनी, सहायक निदेशक और वैज्ञानिक-बी, भारतीय मानक ब्यूरो, एमओसीए, भारत सरकार 6. श्री सौम्या चौधरी, सीईओ, रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (आरएमपीएल) 7. श्री पार्थ चक्रवर्ती सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आरएमपीएल
3	कॉपीराइट: ड्राइविंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी	जून 04, 2023	ऑनलाइन	150	1. प्रो. (डॉ.) रमन मित्तल, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय 2. सवीना बेदी सच्चर, संस्थापक और प्रबंधन भागीदार- लॉहाइव एसोसिएट्स 3. डॉ. योगेश पाई, एसोसिएट प्रोफेसर, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली। 4. प्रबुद्ध गांगुली, सी.ई.ओ विजन आईपीआर 5. डॉ. पृथपाल कौर सिद्धू, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, सीजीपीडीटीएम कार्यालय 6. अमोघ राय, कार्यकारी निदेशक, संरचना फाउंडेशन

4	प्रक्रिया अनुकूलन और जैव उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं का विस्तार	जुलाई 19, 2023	ऑनलाइन	131	श्रीमती अन्नम्मा ओडानेथ, ग्रुप लीडर - बायोटेक्नोलॉजी, यूपीएल लिमिटेड।
5	स्थिर चित्रों से जनरेटिव एआई छवि प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नति	जुलाई 24, 2023	ऑनलाइन	128	डॉ. इरफान एन ए सिद्धावतम, प्रोफेसर और निदेशक सोमैया स्कूल ऑफ डिजाइन एवं सहायक प्रोफेसर के जे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई
6	आईपीआर और आरएंडडी: उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देना	जुलाई 31, 2023	ऑनलाइन	295	प्रेम चार्ल्स I, निदेशक - अंतर्राष्ट्रीय संचालन एलिनोव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, भारत। पंजीकृत पेटेंट एजेंट, भारत और पी.क्यू पेटेंट अटॉर्नी, यूके
7	पहनने योग्य उपकरण – ब्रेक थ्रो और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी	अगस्त 11, 2023	ऑनलाइन	110	डॉ. संयोग रावत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भारत
8	जीआई: भारत में सामुदायिक आईपी अधिकारों के लिए एक सक्षम टूल	सितंबर 15, 2023	ऑनलाइन	125	1. प्रो. (डॉ.) प्रबुद्ध गांगुली सीईओ - विजन आईपीआर, सलाहकार और सहायक संकाय – आईआईटी, जोधपुर 2. प्रो. (डॉ.) लिसा पी. लुकोस प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज (यू.एस.एल.एल.एस), जी.जी.एस.आई.पी.यू 3. डॉ. योगेश पाई एसोसिएट प्रोफेसर (लॉ) और सह-निदेशक, सेंटर फॉर इनोवेशन, आईपी एंड कॉम्पिटिशन, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली
9	आईपी मंथन कार्यक्रम में आईपी आधारित ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा	अक्टूबर 13, 2023	हाइब्रिड	2000 से अधिक	1. श्री डेरेन टैंग, माननीय महानिदेशक, डब्ल्यू.आई.पी.ओ एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न 2. श्री संजीव सान्याल, प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक सलाहकार परिषद के माननीय सदस्य 3. श्री वी. लक्ष्मीकुमारन, एच.सी.आई.एम के सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 4. प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित, महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, भारत सरकार
10	शिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए भौगोलिक उपदर्शन पर नए यूरोपीय संघ विनियमन पर चर्चा	दिसंबर 19, 2023	ऑनलाइन	140	1.प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित, महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, भारत सरकार 2. डेनिस डंबोइस, वरिष्ठ विशेषज्ञ, यूरोपीय आयोग आईपी इकाई, डीजी ग्रो 3. प्रो. (डॉ.) प्रबुद्ध गांगुली, सीईओ, विज़न-आईपीआर 4. इवेलिना स्लिविंस्का, कानूनी अधिकारी, यूरोपीय संघ आईपीओ 5. वैलेरी मैरी डी'एविग्नेउ, कानूनी और नीति अधिकारी, डीजी ग्रो 6. कैटरीना कोम्पारी, प्रोजेक्ट लीड-जीआई रिफॉर्म टीम, यूरोपीय संघ आईपीओ

11	भारत में ट्रेडमार्क कानून का पुनरावलोकन और संभावनाएं	दिसंबर 30, 2023	ऑनलाइन	355	1. न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिल्ली उच्च न्यायालय और पूर्व अध्यक्ष आईपीएबी 2. अधिवक्ता अद्वैत एम सेठाना, वरिष्ठ कॉनसिल, मुंबई उच्च न्यायालय 3. अधिवक्ता एम एस भरत, आईएनटीए बोर्ड सदस्य, केआरआईए के संस्थापक और प्रबंध भागीदार 4. डॉ. पवन कुमार पांडे, उप रजिस्ट्रार, टीएमआर मुंबई
12	पेटेंट संशोधन नियम 2024 में पेश किए गए प्रमुख परिवर्तनों का अवलोकन	मार्च 19, 2024	ऑनलाइन	680	1. प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार, डीपीआईआईटी, एम.ओ.सी.आई, भारत सरकार

6 भारत और विदेश में अंतरराष्ट्रीय मंच और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों की भागीदारी:

सीजीपीडीटीएम कार्यालय के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल मोड में बैठकों में भाग लिया।

विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला/कार्यक्रम में भाग लिया	देश, जिसका दौरा किया गया	अधिकारियों की संख्या ने भाग लिया
1	अंतरराष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण के लिए विशेष संघ (आईपीसी यूनियन) आईपीसी संशोधन कार्य समूह का 49वां सत्र ,24 से 28 अप्रैल, 2023 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया।	जेनेवा	01
2	विकास और बौद्धिक संपदा समिति (सीडीआईपी) का 30वां सत्र 24 से 28 अप्रैल, 2023 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया।	दूरस्थ भागीदारी	01
3	चिह्नों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के लिए नाइस यूनियन के विशेषज्ञ समिति का 33वां सत्र 1 से 5 मई, 2023 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया।	दूरस्थ भागीदारी	05
4	ईएफटीए और ईयू एफटीए के साथ द्विपक्षीय बैठक 14 और 15 मई, 2023 को ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया।	ब्रसेल्स	01
5	यूएसपीटीओ और अमेरिकी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार समन्वय केंद्र (आईपीआर सेंटर) द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार जांच पद्धति कार्यशाला (आईपीआरआईएम) 15 से 19 मई, 2023 तक काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया	काठमांडू, नेपाल	01
6	आई एन टी ए की वार्षिक बैठक 17 मई, 2023 को सिंगापुर में आयोजित किया गया	सिंगापुर	02
7	पीसीटी न्यूनतम दस्तावेजीकरण टास्क फोर्स की छठी बैठक 22 से 26 मई, 2023 तक आयोजित किया गया	दूरस्थ भागीदारी	04

8	कॉपीराइट और संबंधित अधिकार: महामारी की चुनौतियों के कारण उपन्न हुए नया विकास और प्रतिक्रिया 26 से 27 जून, 2023 तक आयोजित किया गया	टोक्यो	01
9	वायपो महासभा का 56वां सत्र, 2023 बैठकों की 64वीं श्रृंखला: वायपो के सदस्य देशों की सभाएं 6 से 14 जुलाई, 2023 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया	जेनेवा	06
10	मैड्रिड यूनियन असेंबली का 57वां सत्र 6 से 14 जुलाई, 2023 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया	जेनेवा	01
11	पीसीटी यूनियन असेंबली का 55वां सत्र 6 से 14 जुलाई, 2023 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया	जेनेवा	01
12	भारत-यूके एफटीए वार्ता 10 से 13 जुलाई, 2023 तक लंदन में आयोजित किया गया	लंदन	02
13	बौद्धिक संपदा और आनुवंशिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और लोककथा (आईजीसी) पर अंतर-सरकारी समिति का विशेष सत्र 4 से 8 सितंबर, 2023 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया।	जेनेवा	01
14	बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज को समाप्त करने के लिए राजनयिक सम्मेलन की प्रेपटोरी समिति 11 से 13 सितंबर, 2023 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया	जेनेवा	01
15	ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक उपदर्शन के कानून पर स्थायी समिति का तीसरा विशेष सत्र 2 से 6 अक्टूबर, 2023 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में पुराने को समाप्त कर नए डीएलटी को अपनाने के लिए आयोजित किया गया	जेनेवा	01
16	यूएसपीटीओ कॉपीराइट सेमिनार 2023 17 से 19 अक्टूबर, 2023 तक अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया में यूएसपीटीओ मुख्यालय में आयोजित किया गया	वर्जीनिया	02
17	औद्योगिक डिजाइनों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण हेतु लोकार्नो यूनियन के विशेषज्ञ समिति का 16वां सत्र 23 से 26 अक्टूबर, 2023 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया।	दूरस्थ भागीदारी	01
18	कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर स्थायी समिति का 44वां सत्र 6 से 8 नवंबर, 2023 तक	जेनेवा	01
19	बुडापेस्ट संधि के तहत सदस्य राज्यों और अंतरराष्ट्रीय निक्षेपागार प्राधिकरणों की बैठक 13 से 14 नवंबर, 2023 तक आयोजित किया गया	जेनेवा	01
20	अंतरराष्ट्रीय चिह्नों के पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रणाली के कानूनी विकास पर कार्य समूह का 21वां सत्र 13 से 17 नवंबर, 2023 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया	दूरस्थ भागीदारी	01

21	औद्योगिक डिजाइनों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए हेग प्रणाली के कानूनी विकास पर कार्य समूह का 12वां सत्र 4 से 6 दिसंबर, 2023 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया जाएगा।	दूरस्थ भागीदारी	05
22	भारत-ओमान सीईपीए के संबंध में दूसरे दौर की वार्ता 9 से 11 दिसंबर, 2023 तक मस्कत में आयोजित की गई।	मस्कत	01
23	29 से 31 जनवरी, 2024 तक पीसीटी टेक्स्ट प्रोसेसिंग टास्क फोर्स, वायपो के पहले सत्र के लिए नामांकन।	दूरस्थ भागीदारी	02
24	पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) कार्य समूह का 17वां सत्र 19 से 21 फरवरी, 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया	दूरस्थ भागीदारी	06
25	भारत में आईपी व्यवसायियों के लिए उच्च स्तरीय वेबिनार, आईपीओ और यूकेआईपीओ के सहयोग से वायपो और सीआईपीए द्वारा 6 मार्च, 2024 को दोपहर 2:30 से शाम 5:00 बजे (आई.एस.टी) तक आयोजित किया गया।	दूरस्थ भागीदारी	03
26	चयनित एशिया और प्रशांत देशों के लिए मैड्रिड प्रणाली के लिए उत्तरदायी बौद्धिक संपदा कार्यालय अधिकारियों की क्षेत्रीय बैठक 7 और 8 मार्च, 2024 को बैंकॉक में आयोजित किया गया	बैंकॉक	02
27	ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत कानून पर स्थायी समिति का 47वां सत्र 18 से 20 मार्च, 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया।	दूरस्थ भागीदारी	03

……………………..

मानव संसाधन

परिचय:

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के अधीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) / राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) अपनी गतिविधियाँ निष्पादित में करते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान पेटेंट कार्यालय, ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री में रिक्तियों को भरने लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा अनुशंसित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के लिए 05 आशुलिपिकों, 01 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और 23 अवर श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति के लिए कार्रवाई की गई।

विभिन्न बौद्धिक संपदा कार्यालयों में मानव संसाधन:

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न, मुंबई:

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) में निम्नलिखित सहायक कर्मचारी हैं :

31 मार्च, 2024 तक कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के अनुमोदित और नियोजित व कार्मिक शक्ति का विवरण:

क्र. सं ..	पदनाम	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक संख्या
1	महानियंत्रक	1	1
2	निजी सचिव	1	1
3	स्टाफ कार ड्राइवर	1	1
4	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	0
	कुल	**4**	**3**

हालांकि, पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालयों के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को सीजीपीडीटीएम कार्यालय में स्थापना, प्रशासन, बजट और वित्त, नीतिगत मामलों आदि से सबंधित कार्य को संभालने के लिए तैनात किया गया है।

पेटेंट कार्यालय:

पेटेंट कार्यालयों की कार्मिक शक्ति **परिशिष्ट क** में दर्शायी गई है। उक्त परिशिष्ट में चारों पेटेंट कार्यालयों में 31 मार्च, 2024 तक संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ-साथ कार्यरत कार्मिक संख्या को भी दर्शाया गया है।

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री:

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की कार्मिक शक्ति **परिशिष्ट ख** में दर्शाई गई है। उक्त परिशिष्ट पांचों व्यापार चिह्न कार्यालयों में 31 मार्च, 2024 तक संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ-साथ कार्यरत कार्मिक संख्या को भी दर्शाता है।

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री :

मानव संसाधन के संदर्भ में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के पास अलग से संस्वीकृत कार्मिक संख्या है। **परिशिष्ट ग** भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की 31 मार्च, 2024 तक की संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ-साथ कार्यरत कार्मिक संख्या को दर्शाता है ।

पीआईएसआरजीएनआईआईपीएम/:

31मार्च,2024 में पीआईएस आरजीएनआईआईपीएम/में संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ-साथ कार्यरत कार्मिक संख्या का विवरण **परिशिष्ट घ** में दिया गया है।

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री :

मानव संसाधन के संदर्भ में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के पास अलग से संस्वीकृत कार्मिक संख्या है। **परिशिष्ट ग** भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की 31 मार्च, 2024 तक की संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ-साथ कार्यरत कार्मिक संख्या को दर्शाता है ।

पीआईएस/आरजीएनआईआईपीएम:

31मार्च,2024 में पीआईएस/आरजीएनआईआईपीएम में संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ-साथ कार्यरत कार्मिक संख्या का विवरण **परिशिष्ट घ** में दिया गया है।

परिशिष्ट- क

31 मार्च, 2024 तक पेटेंट कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स में लेबेल	स्वीकृत कार्मिक शक्ति	कार्यरत कार्मिक शक्ति
1	वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	लेवेल 13 (क)	3	2
2	संयुक्त नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	लेवेल 13	47	41
3	निदेशक	समूह क	लेवेल 13	1	1
4	उप सचिव	समूह क	लेवेल 12	1	1
5	उप नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	लेवेल 12	112	75

6	सहायक नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	लेवेल 11	498	496
7	परीक्षक, एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	लेवेल 10	773*	219
8	व्यवस्था विश्लेषक सह कंप्यूटर प्रोग्रामर	समूह क	लेवेल 10	4	4
9	प्रशासनिक अधिकारी	समूह क	लेवेल 10	1	0
10	सहायक निदेशक (राज भाषा)	समूह क	लेवेल 10	1	1
11	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	लेवेल 7	6	5
12	निजी सचिव	समूह ख (राजपत्रित)	लेवेल 7	3	1
13	सहायक पुस्तकाध्यक्ष व सूचना अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	लेवेल 7	2	2
14	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	समूह ख (अराजपत्रित)	लेवेल 7	1	0
15	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख (अराजपत्रित)	लेवेल 6	63	44
16	पुस्तकालय और सूचना सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	लेवेल 6	1	1
17	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	समूह ख (अराजपत्रित)	लेवेल 6	3	2
18	आशुलिपिक श्रेणी I	समूह ख (अराजपत्रित)	लेवेल 6	4	3
19	फोटोग्राफी सहायक	समूह ग	लेवेल 5	3	2
20	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	लेवेल 4	45	45
21	आशुलिपिक श्रेणी II	समूह ग	लेवेल 4	2	2
22	डाटा इंट्री ऑपरेटर	समूह ग	लेवेल 4	9	9
23	स्वागतकर्ता	समूह ग	लेवेल 4	1	1

24	अवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	लेवेल 2	44*	17
25	बहु कार्य कर्मी	समूह ग	लेवेल 1	45	34
			कुल	1673	1009

परिशिष्ट - ख

31 मार्च, 2024 तक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स में लेबेल	स्वीकृत कार्मिक शक्ति	कार्यरत कार्मिक शक्ति
1	महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न	समूह क	लेवेल 14	01	01
2	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन	समूह क	लेवेल 13 (क)	02	01
3	संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन	समूह क	लेवेल 13	05	00
4	उप पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन	समूह क	लेवेल 12	15	08
5	सहायक पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन	समूह क	लेवेल 11	32	21
6	वरिष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन	समूह क	लेवेल 11	75	29
7	सहायक निदेशक (राजभाषा)	समूह क	लेवेल 11	01	00
8	लेखा अधिकारी	समूह क	लेवेल 11	01	00
9	परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन	समूह ख (राजपत्रित)	लेवेल 07	160	104
10	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	लेवेल 10	03	00
11	निजी सचिव	समूह ख	लेवेल 07	04	02

		(राजपत्रित)			
12	सहायक पुस्तकालय व सूचना अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	लेवेल 07	01	01
13	भंडार अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	लेवेल 07	05	00
14	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख (अराजपत्रित)	लेवेल 06	13	01
15	सहायक परीक्षक, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन	समूह ख (अराजपत्रित)	लेवेल 06	32	03
16	पुस्तकालय व सूचना सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	लेवेल 06	01	01
17	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	समूह ख (अराजपत्रित)	लेवेल 06	03	01
18	आशुलिपिक समूह I	समूह ख (अराजपत्रित)	लेवेल 06	10	07
19	लेखाकार	समूह ख (अराजपत्रित)	लेवेल 06	03	00
20	सहायक अधीक्षक	समूह ग	लेवेल 05	11	05
21	रोकड़िया	समूह ग	लेवेल 05	04	00
22	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	लेवेल 04	44	20
23	आशुलिपिक समूह II	समूह ग	लेवेल 04	12	11
24	डाटा इंट्री ऑपरेटर	समूह ग	लेवेल 04	09	06
25	अवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	लेवेल 02	38	16
26	स्टाफ कार ड्राइवर	समूह ग	लेवेल 02	01	01
27	बहु कार्य कर्मी	समूह ग	लेवेल 01	51	19
			कुल	**537**	**258**

31मार्च, 2024 तक भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.सं	पदनाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक संख्या
1	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	समूह क	1	1
2	सहायक पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	समूह क	2	2
3	परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	समूह क	1	1
4	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	1	1
5	बहु कार्य कर्मी	समूह ग	1	1
	कुल		**6**	**6**

31 मार्च, 2024 तक पेटेंट सूचना पद्धति और आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों और कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.सं	पदनाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक संख्या
1	वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी	समूह क	1	0
2	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0
3	वरिष्ठ प्रलेखन सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0
4	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1
5	आशुलिपिक वर्ग I	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1
6	भंडार सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1
7	कनिष्ठ रिप्रोग्राफी सहायक	समूह ग	3	1

8	सहायक अधीक्षक	समूह ग	1	0
9	शेल्फ सहायक	समूह ग	1	1
10	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	3	1
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	समूह ग	2	2
12	अवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	3	1
13	हिंदी टंकक	समूह ग	1	1
14	बहु कार्य कर्मी (दफ्तरी)	समूह ग	1	0
15	बहु कार्य कर्मी (आदेशपाल)	समूह ग	3	1
	कुल	**-**	**24**	**11**

....